सप्तदश माला, खंड 3, अंक 25 शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019

28 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पहला सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 3, पहला सत्र, 2019 / 1941 (शक)

अंक 25, शुक्रवार, 19 जुलाई, 2019 / 28 आषाढ़, 1941 (शक)

विषय	**पृष्ठ संख्या**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]*तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 385, 388 तथा 393	10-38
प्रश्नों के लिखित उत्तर	39
तारांकित प्रश्न संख्या 386, 387, 389 से 392 और 394 से 400	
अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 से 4561	

[1]*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 40-43

राज्य सभा से संदेश 44

सभा का कार्य 45-50

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित 51-53

(**एक**) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019 51-52, 56

(**दो**) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 53-55

(**तीन**) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 56

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी

अध्यादेश, 2019 के बारे में विवरण

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 87-146

विचार करने के लिए प्रस्ताव 87

श्री नित्यानंद राय 86-87,

149-156

डॉ. शशि थरूर 89-95,151

डॉ. सत्यपाल सिंह 96-107

श्रीमती कनिमोझी	108-112
प्रो. सौगत राय	113-116
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ	117-119
श्री विनायक भाऊराव राऊत	120-122
श्री पिनाकी मिश्रा	123-125
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले	127-129
श्री सुशील कुमार सिंह	130-133
श्री पी.आर. नटराजन	134-135
श्री जयदेव गल्ला	136-137
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	137-140
श्री असादुद्दीन ओवैसी	141-144
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	145-146
डॉ. के. जयकुमार	147-148
खंड 2 से 6 और 1	158-162
पारित करने के लिए प्रस्ताव	

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण

श्री जगदम्बिका पाल	179-187
श्री अनुराग शर्मा	188-197
श्री विनोद कुमार सोनकर	198-205
श्री आर.के. सिंह पटेल	206-215
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	216-220
श्री नायब सिंह सैनी	222

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 19 जुलाई , 2019 / 28 आषाढ़, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन ऑवर, प्रश्न संख्या-381, श्रीमती रेखा वर्मा।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन ली जाए। कर्नाटक में ... (व्यवधान) लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[2]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 381।

(प्रश्न संख्या 381)

श्रीमती रेखा वर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधान मंत्री जी और देश के 16 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में 8 अक्टूबर, 2017 को इन्द्रधनुष मिशन के प्रथम चरण की शुरुआत की थी।... (व्यवधान) इसका उद्देश्य छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण कराना था। ... (व्यवधान) सही उम्र में सभी आवश्यक टीके लगने से शिशुओं को कई घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है।... (व्यवधान) टीकाकरण नहीं होने से कभी-कभी बच्चे खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ... (व्यवधान) इसीलिए छूटे हुए बच्चों के लिए मिशन इन्द्रधनुष चलाकर टीकाकरण किया जाना था। ... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इन्द्रधनुष मिशन कितने राज्यों में लागू किया गया है और इसके तहत कितने छूटे हुए बच्चे, पलायन कर चुके बच्चों का अभी तक टीकाकरण किया गया है? ... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिसम्बर, 2014 में यह मिशन इन्द्रधनुष योजना लागू की गई थी। ... (व्यवधान) 2015 से इस पर वर्किंग शुरू हुई।... (व्यवधान)

---

[2] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

उसके पहले जहां इम्यूनाइजेशन में नॉर्मली एक प्रतिशत की वृद्धि होती थी, ...(व्यवधान) मिशन इन्द्रधनुष लागू होने के बाद यह वृद्धि लगभग 6 प्रतिशत होने लगी।... (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.02 बजे</u>

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री वी.के. श्रीकंदन, डॉ. कलानिधि वीरस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

उसके बाद अक्टूबर, 2017 में, जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा है, देश के उन जिलों के बारे में अध्ययन किया गया, जहां हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन कवरेज अपेक्षा के मुकाबले बहुत कम था और इसकी पहल स्वयं माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक मीटिंग लेकर की। इस सन्दर्भ में, लगभग 12 मंत्रालयों ने मिशन इन्द्रधनुष में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इसमें एक ओवरसाइट मैकेनिज्म के तहत, जिसमें देश के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेटरी और राज्यों के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी इसको मॉनीटर करते थे। 12 मंत्रालयों ने इसमें सहयोग किया और लगभग 190 जिलों में इन्टेंसीफाइड मिशन इन्द्रधनुष को लागू किया गया। उसके बाद जब इसका अध्ययन किया गया तो बहुत सारे जिलों में करीब 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई। अभी जो हमारा स्टेटवाइज इम्यूनाइजेशन कवरेज का डेटा है, उसे प्रश्न के उत्तर के साथ उपलब्ध कराया है। ग्राम स्वराज्य योजना, जिसमें कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स को लेकर फोकस किया गया था, उस योजना में भी और उसके बाद एक्सटेंडेड ग्राम स्वराज्य योजना, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती थी, में प्रयास करके लगभग 100 प्रतिशत बच्चों को यह टीका दिया गया।

हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम लोग 'मिशन इन्द्रधनुष' को आगे ले कर चल रहे हैं और सरकार एवं विशेष कर प्रधान मंत्री जी की भी प्राथमिकता इम्यूनाजेशन है। देश में एक भी बच्चा किसी भी कारण से रूटीन इम्युनाजेशन से छूटना नहीं चाहिए। भारत सरकार ने 12 वैक्सीन्स नि:शुल्क उपलब्ध कराई हैं और हर एक बच्चे को वह वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए।... (व्यवधान) बहुत सारे राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ राज्यों में कमी है, वहां पर भी हमारे विशेष प्रयास चल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में देश के एक भी बच्चे को प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ के कारण तकलीफ में नहीं आने देंगे। ... (व्यवधान)

श्रीमती रेखा वर्मा: सर, मैं माननीय मंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे लिख कर जवाब देने की कृपा की है।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गांव में 'मिशन इन्द्रधनुष' के तहत दो वर्ष की आयु के सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराने का उद्देश्य रखा गया है।... (व्यवधान) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर हर महीने एक बार टीकाकरण किया जाता है।... (व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, लेकिन एक दशक की तुलना में अधिक भारतीय बच्चों को सभी बुनियादी टीकाकरण हो रहे हैं।... (व्यवधान) यह बेहतर शिक्षित माताओं और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल का संकेत है, लेकिन गांव अभी भी इससे दूर हैं।... (व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खास कर ग्रामीण क्षेत्रों, तहसील और ब्लॉक्स में 100 प्रतिशत महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए सरकार जागरूकता हेतु क्या कदम उठा रही है?... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने माननीय सदस्य को बताया है, मैं पहले यह बताना चाहता हूं कि 'मिशन इन्द्रधनुष' के देश के ऐसे गांव या जो भी ऐसे हिस्से हैं, जहां हम अपेक्षित इम्यूनाजेशन नहीं कर पाए हैं, हम लोगों ने उसकी सूची बनाई है।... (व्यवधान) जैसा कि बताया गया है कि साधारणत: महीने में एक पर्टिकुलर जगह पर आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स की सहायता से बच्चों का टीकाकरण किया जाता था।... (व्यवधान) 'मिशन इन्द्रधनुष' में एक महीने में लगातार सात दिन यह एक्टिविटी चलती है और यह लगातार चार महीने

तक चलती है।... (व्यवधान) इसके लिए बाकायदा बच्चों को सर्च करके, घर-घर उनकी लिस्टें बना कर, यह सुनिश्चित किया जाता है कि हम एक-एक बच्चे को उसमें कवर करें और उसी के कारण इम्युनाइजेशन कवरेज में जम्प मिला है।... (व्यवधान)

इसके साथ-साथ उन्होंने आई.ई.सी. के बारे में कहा है।... (व्यवधान) आज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कॉम्युनिकेशन के लिए भी टूल्स उपलब्ध हैं, चाहे वह सोशल मीडिया, अखबार, रेडियो या अन्य दूसरे प्रकार के संचार के माध्यम हों, सभी माध्यमों से दूर-दराज गांवों तक यह जानकारी लोगों एवं खास कर जो कम शिक्षित हैं, उन तक पहुंचे। ... (व्यवधान) हर जगह, दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन्स उपलबध कराने के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हमने इसके लिए 12 मंत्रालयों की सहायता ली है। ... (व्यवधान) हमारी होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी पर्सनल, इन्होंने भी दूर-दराज के क्षेत्रों में वैक्सीन्स के ट्रांसपोर्टेशन में मदद की है। ... (व्यवधान) कभी-कभी दूर-दराज के गांवों में वैक्सीन्स सही समय एवं सही टेम्परेचर पर वैक्सीन कैरियर में नहीं पहुंच पाती थीं, इसलिए उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा कैम्पेन बनाया गया। ... (व्यवधान) पिछले पांच वर्षों में इसमें बहुत ज्यादा गुणात्मक परिवर्तन हुआ है।... (व्यवधान) जैसा मैंने कहा कि स्वयं प्रधान मंत्री जी इसको मॉनिटर करते हैं, प्रगति के अंदर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ... (व्यवधान) देश के लेवल पर कैबिनेट सेक्रेट्री और स्टेट लेवल पर चीफ सेक्रेट्री की ओवरसाइट में यह सारा काम होता है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियमानुसार आप लोग ही सदन में तय करते हैं कि कभी राज्य और राज्य विधान सभा से संबंधित विषय पर इस सदन में चर्चा न हो। आपने कई बार जब वक्तव्य दिया तो सर्वसम्मति से सदन ने कहा कि यहां पर राज्यों के विषयों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, यह राज्य का और संवैधानिक पदों का विषय है।

... <u>(व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष : आप एक मिनट बैठ जाएं, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। मैंने आपको इसी विषय पर शून्य काल में दो बार बोलने का मौका दिया। आप लोगों ने फैसला किया है कि किसी भी राज्य के घटनाक्रम पर, जैसे पहले

संसद में बंगाल के लोग चर्चा करते थे या किसी अन्य राज्य की चर्चा करते थे, तो सभी सदस्यों का आग्रह था कि राज्यों के विषय पर संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप प्रश्न काल चलने दें, मैं शून्य काल में देखूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया स्पर्श न करें। वह मेरे स्टाफ सदस्य हैं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दो दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार में रिपोर्ट छपी कि क्या सरकार एक ऐसी वैक्सिनेशन तैयार कर रही है, जिससे नए मच्छरों को लाकर उनमें वलबकिया बैक्टेरिया डाला जाए और उसका फील्ड ट्रायल अक्टूबर में होने वाला है। ऐसी रिपोर्ट है कि इससे डेंगू खत्म हो जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं उसका फील्ड ट्रायल यहीं पार्लियामेंट में सारे सांसदों के साथ करवा लीजिए। आप यह काम इसलिए कर रहे हैं, ताकि फार्मास्यूटिकल कम्पनी को फायदा हो।... (व्यवधान) आपने क्यों मोनाश यूनीवर्सिटी ऑफ आस्ट्रेलिया से एमओयू साइन किया? एक फार्मास्यूटिकल कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के फील्ड ट्रायल किए जा रहे हैं। इससे डेंगू खत्म नहीं होगा, बल्कि फार्मास्यूटिकल कम्पनियों का करोड़ों रुपयों का फायदा होगा। ... (व्यवधान) मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि इस तरह के जो पुडुचेरी स्ट्रेन हैं, इन्हें इमिडिएटली बंद किया जाए और हम अपने शहरियों का इस्तेमाल किसी फार्मास्यूटिकल कम्पनी के पैसे बनाने के लिए न करें।... (व्यवधान)

डॉ. हर्ष वर्धन : अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि माननीय सदस्य एक लर्नेड मैम्बर हैं।... (व्यवधान) देश और दुनिया में बहुत सारी वैक्सीन्स रिसर्च के माध्यम से डेवलप हुई हैं और उन वैक्सीन्स से दुनिया के करोड़ों बच्चों को जीवनदान मिला है। वैक्सीन प्रीवेंटेबल डिसीजेज से हम करोड़ों लोगों, करोड़ों बच्चों के प्राणों की रक्षा कर पाए हैं। डेंगी जैसी बीमारी, जिसके ऊपर इतने लम्बे समय से रिसर्च चल रहा है, उसके लिए वैक्सीन डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है और भी अन्य बीमारियों के लिए कोशिश हो रही है। मेरे

ख्याल से उसके बारे में ऐसी एप्रिहेंशन रखना बिलकुल बेबुनियाद है और मुझे बहुत अफसोस है कि एक लर्नेड मैम्बर की तरफ से इस प्रकार की बात आ रही है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 382, श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 388 और 393 को क्लब कर रहे हैं।

प्रश्न 388, डॉ. जयंत कुमार राय - उपस्थित नहीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 393, श्री अच्युतानंद सामंत।

माननीय सदस्य पहले प्रश्न संख्या बोलें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

(प्रश्न संख्या 382, 388 और 393)

प्रो. अच्युतानंद सामंत: माननीय अध्यक्ष महोदय, सौभाग्य से मैं ओडिशा राज्य से हूं और आदिवासी बहुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कंधमाल का भी प्रतिनिधित्व करता हूं। [हिन्दी] मैं खुश हूं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है। आपको पता है कि ओडिशा में ट्राइबल पापुलेशन सबसे ज्यादा है। [अनुवाद] विशाल जनसंख्या के कारण वहां अनेक बीमारियां व्याप्त हैं। ये आदिवासी लोग हमेशा कई स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। उनके पास उचित सड़क बुनियादी ढांचा और संचार सुविधाएं नहीं हैं। महोदय, मुझे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूरक प्रश्न पूछते हुए खुशी हो रही है। क्या कुछ चिकित्सा मोबाइल वैन, जो उन्नत जांच सुविधाओं, छोटे ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञ डॉक्टरों से युक्त हों, शुरू की जा सकती हैं ताकि आधुनिक और अन्य गंभीर बीमारियों का सुरक्षित रूप से उपचार किया जा सके?

[हिन्दी]

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट्स में सभी प्रकार की सुविधाएँ, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और सभी प्रकार की मेडिसीन्स की उपलब्धता के साथ-साथ सभी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज की स्थापना, को अलग-अलग स्कीम्स के तहत भारत सरकार विशेष रूप से नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सपोर्ट करती है। लेकिन जहाँ पर स्पेशिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो स्टेट्स को पीआइपी (प्रोग्राम इमप्लीमेंटेशन प्लान्स... (व्यवधान) के तहत भारत

सरकार को प्लान बनाकर देना होता है और हरेक स्टेट के प्लान्स को विस्तार से डिसकस किया जाता है। यह पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक प्रमुख घटक है, जो राज्यों को समर्थन प्रदान करता है। इसके अलावा, यदि किसी स्टेट को कमियाँ लगती हैं, तो उसमें भारत सरकार पूरी तरह से सपोर्ट करती है। माननीय सदस्य यदि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या स्थान के बारे में, किसी पर्टिकुलर सुविधा के बारे में कमी लगती है, तो अपने स्टेट गवर्नमेंट से भारत सरकार को प्लान बनाकर दें। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी करूंगा और इसे मजबूत करूंगा।

प्रो. अच्युतानंद सामंत : माननीय मंत्री जी ने जो कहा, उससे मैं बहुत खुश हूँ। स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हमारे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ट्राइबल एरियाज में हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। [अनुवाद] मलेरिया, सुरक्षित मातृत्व और किशोरी लड़कियों, और तपेदिक (टीबी) आदि को समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के विशाल अभियान में सुधार के लिए [हिन्दी] इसके लिए क्या कोई स्पेशल प्लान-प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट का विचार है?

डॉ. हर्ष वर्धन: मैंने जैसा कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी प्रकार की बीमारियों के लिए भारत सरकार सभी प्रकार की सपोर्ट देती है, इसमें सभी चीजों का प्रोविजन है। जहाँ तक ट्यूबरकुलोसिस की बात है, तो इसके लिए भारत सरकार का एक एमबिशियस प्रोग्राम है। वर्ष 2025 तक हम ट्यूबरकुलोसिस को रोकना चाहते हैं, यह प्रधान मंत्री जी का सपना है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए पूरे देश के सभी स्टेट्स में, लोगों के लिए केवल सरकारी सेक्टर में ही नहीं, चाहे वह ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो या ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस हो, उसका सम्पूर्ण इलाज, दवाइयों का टोटल खर्च और अगर मरीज किसी प्राइवेट सेक्टर में भी इलाज करा रहा है, तब भी पूरा-का-पूरा खर्चा भारत सरकार देती है। उसी तरह से, दूसरी बीमारियों में भी हरेक बीमारी के लिए नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, उनके तहत एक पैकेज है, जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दिया जाता है, उस के तहत सारे स्टेट्स को पूरी मदद दी जाती है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल इस संसद के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। मैं प्रश्नकाल और पेपर्स-ले के बाद आपके नेता को निश्चित रूप से बोलने का मौका दूँगा।

अनेक माननीय सदस्य: थैंक यू सर।

<u>पूर्वाह्न 11.19 बजे</u>

इस समय श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री वी.के. श्रीकंदन, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

डॉ. संजय जायसवाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 382 का जवाब बहुत ही संतोषप्रद दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसा कि अभी ओडिशा के सांसद बोल रहे थे, मेरे यहाँ भी बाल्मिकी नगर टाइगर रिज़र्व है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो अस्पताल हैं, उनमें टायर-वन और टायर-टू सिटीज के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। गरीबों को आयुष्मान भारत योजना की ज्यादा जरूरत जिले के सबडिवीजन के इलाके में पड़ती है। छोटे शहरों में अपोलो या फोर्टिस जैसे अस्पताल नहीं होते हैं। वहाँ सिंगल डॉक्टर्स के नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स होते हैं, तो जैसे ट्राइबल एरियाज या जो दूर के एरियाज हैं, वहाँ के भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और सबडिवीजनल हॉस्पिटल्स को आयुष्मान भारत योजना में लेने की कोई योजना है ताकि गरीबों को उनके ही जिले में इलाज की सुविधा मिल सके? इलाज के लिए उनको पटना या दिल्ली आने की जरूरत न पड़े।

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सभी सरकारी अस्पताल ऑटोमेटिकली आयुष्मान योजना के तहत कवर्ड हैं। इसके अलावा, देश में अभी तक करीब 16 हजार अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत रजिस्टर किया गया है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है

कि इसमें पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी है। देश के किसी भी स्थान का कोई भी मरीज, जो इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से एनटाइटल्ड है, वह देश में किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर जा सकता है। बीमार होकर किसी भी अस्पताल में वॉक-इन कर सकता है और बिना किसी पेपर की सहायता के, केवल उसके पास नाम और आधार कार्ड का नम्बर हो, तो अस्पताल में जाने पर उसके नाम के आधार पर तुरंत उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। अगर कोई इस योजना के तहत एनटाइटल्ड है, तो उसको कार्ड दे दिया जाता है। अगर अभी तक किसी एनटाइटल्ड पर्सन को कार्ड न मिला हो, जबकि अब तक ऑलरेडी आठ करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड्स मिल चुके हैं। जो भी लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत और अस्पतालों को भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए उनकी सहायता करने वाली स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य कोई बेहतर योजना नहीं हो सकती है।

[अनुवाद]

डॉ. जयंत कुमार राय : महोदय, मैं उत्तर बंगाल से हूँ। क्या मंत्री जी हमें बताएंगे कि सरकार उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए कोई केंद्रीय चिकित्सा कॉलेज या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान - जैसा संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है, और यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उत्तर बंगाल के 1.5 करोड़ से अधिक लोगों के लिए प्रभावी या पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, और यदि हाँ, तो इसके विवरण क्या हैं?

[हिन्दी]

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, उसका उत्तर विस्तार से दिया गया है। जैसा कि मैंने उत्तर में भी बताया है कि वैस्ट बंगाल में हमारी सरकार द्वारा कल्याणी में एक एम्स बनवाया जा रहा है। इसके अलावा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज में परिवर्तन करने की जो योजना है, उसके तहत पहली बार में 58 और दूसरी बार में 24 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेज में परिवर्तित

करने की योजना है। इस तरह से देश में लगभग 82 मेडिकल कॉलेजेज की स्थापना की योजना है। जिनमें से वैस्ट बंगाल में पाँच पहले फेज में लिए गए हैं और पाँच दूसरे फेज में लिए गए हैं। यदि आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में और कुछ होना चाहिए, तो उसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन में कोई भी सरकार अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की सुविधा को स्ट्रेनथेन कर सकती है। उसके लिए पब्लिक हेल्थ के नॉर्म्स हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत अगर किसी लेवल पर कमी है, तो वह उसकी डिमांड कर सकती है, किसी नई मेडिकल फैसिलिटी को डेवलप करने की माँग भी वह कर सकती है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के तहत जब कोई प्लान डिसकस होता है, तो अंदर उसकी स्वीकृति दी जाती है।

मैंने माननीय सदस्य को जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है। आप कहें, तो मैं उन चीजों को पढ़कर बता सकता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: नहीं-नहीं मंत्री जी।

डॉ. हर्ष वर्धन: जो बातें वैस्ट बंगाल से संबंधित हैं, उनकी जानकारी विस्तार से दी गई है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना चाहते हैा?

डॉ. जयंत कुमार राय : क्या आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से स्टेट गवर्नमेंट से कुछ बातचीत हुई है?

डॉ. हर्ष वर्धन: आयुष्मान भारत योजना और वैस्ट बंगाल के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि यह योजना वैस्ट बंगाल में लागू हुई थी और वहाँ काफी समय तक चली, लेकिन जनवरी, 2019 में इसको वैस्ट बंगाल सरकार ने बंद कर दिया।

अभी हमारे पास ऐसे मरीजों का भी ब्यौरा है, जिनका कैंसर का इलाज एक स्टेज पर टाटा मैमोरियल में हॉस्पीटल में चल रहा था, लेकिन जब यह योजना बंद हुई तो पोर्टेबिलिटी के कारण उनको जो सविधाएं मिल रहीं थीं, वे उन सारी सुविधाओं से वंचित रह गए। मैंने जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में दायित्व सँभाला था,

उस दिन मैंने दोबारा से जो चार स्टेट्स थे, उनमें वैस्ट बंगाल की मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट की थी और उन स्टेट्स के मुख्य मंत्रियों से रिक्वेस्ट की कि यह योजना सारे देश के लोगों के लार्जर हित में है। इसमें पोर्टेबिलिटी है, जिसमें 5 लाख रुपये तक के गरीब से गरीब आदमी को सब प्रकार की सहायता मिलती है। अगर इसको सारे स्टेट्स लागू करेंगे, इन्क्लूडिंग वैस्ट बंगाल तो वहां के लोगों का हित होगा। मैं समझता हूं कि इस विषय को किसी भी राजनीतिक चश्मे से न देखकर, इसको जनता के हितों के ऐंगल से देखा जाए तो इससे देश को लाभ होगा। आज की तारीख में वैस्ट बंगाल ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष: श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी जी, मैंने आपको पहले बुलाया था, लेकिन आप यहां पर नारेबाजी में व्यस्त थे। मैं आज आपको स्पेशल परमीशन दे रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। [हिन्दी] मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष: आप पहले प्रश्न संख्या बताएं।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी: सर, प्रश्न संख्या 382 है।

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, इस प्रश्न का उत्तर ऑलरेडी चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप प्रश्न पूछें।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी : सर, यह गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है। [अनुवाद] यह लगभग 50 करोड़ लोगों को कवर करने वाली एक बहुत अच्छी योजना है। लेकिन योजना का कार्यान्वयन वास्तव में महत्वपूर्ण है मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। यह बड़ी स्कीम है। इस स्कीम में मेरा प्रश्न है कि आपने जो लिखा था, योजना में बाय-पास सर्जरी के लिए 19,000 रुपये की राशि दी जाती है। लेकिन सभी निजी अस्पताल कम-से-कम तीन लाख

रुपये वसूलते हैं। [हिन्दी] मैं ऐसे पैकेज के रेट बढ़ाने के बारे में पूछना चाहता हूं। कोई हॉस्पीटल पेशेंट को नहीं ले रहा है। मैं देश की बात कर रहा हूं।

डॉ. हर्ष वर्धन: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इसके बारे में सूचित करना चाहता हूं कि लगभग 1393 पैकेजेज डिफरेंट टाईप की बीमारियों के इलाज, ऑपरेशंस, प्रोसीजर्स इत्यादि के हैं। वे पेकेजेज इसके अंदर रखे गए हैं। इन पैकेजेज को फाइनलाइज्ड करने के लिए बहुत हाई पावर्ड एक्सपर्ट्स की कमेटी है, जिसमें सभी प्रकार के स्टेक हॉल्डर्स हैं। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एसोसियेशन थी, उसमें इण्डस्ट्री के लोग थे, उसमें ऑल इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस के लोग थे, उसमें हैल्थ के सीनियर मोस्ट प्रोफेशनल्स थे। उन्होंने इसका बहुत विस्तार से अध्ययन किया और उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स के लिए स्पेशलाइज्ड सब कमेटीज बनीं, फिर उन्होंने इसका अध्ययन किया। आयोग ने भी इसका पीयर रिव्यू किया। उसके बाद 1393 पैकेजेज बने थे। किसी पर्टिकुलर रेट को किसी दूसरे अस्पताल के रेट से ऐसे कंपेयर करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में लोगों को 60-70 परसेंट तक की ऑक्यूपेंसी होती है और 30 बेड्स जो होते हैं, इसके माध्यम से उनको भरने की, क्योंकि बल्क के अंदर पेशेंट्स मिलते हैं और जो ये रेट्स हैं, ये काफी ज्यादा रेशनलाइज्ड हैं और बहुत ऑथेंटिक तरीके से काफी स्टडी करने के बाद बनाए गए हैं। इसमें जो छोटी-मोटी अनोमलीज हैं, जैसे कोई-कोई प्रोसीजर अलग-अलग जगह पर डिफरेंट रेट के साथ डिस्क्राइब्ड है, उन अनोमलीज के बारे में हमारे पास जो शिकयतें या ऑब्जर्वेशंस आएं है, उनके ऊपर एक्सपर्ट्स का अध्ययन करा रहे हैं।

हम एनॉमेलीज़ दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये रेट्स काफी सोच-समझकर बहुत जिम्मेदार लोगों ने तय किए हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको स्पेशल परमिशन दी है।

श्री कोमती रेड्डी वेंकेट रेड्डी: थैंक्यू सर। मैं मंत्री साहब से अनुरोध कर रहा हूं कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की प्रस्तावित लागत 90,000 रुपये है। दिल्ली में सीजीएचएस दर इससे अधिक, यानी 1.1 लाख

रुपये से ऊपर है, और निजी अस्पताल इस सर्जरी के लिए न्यूनतम 3 लाख रुपये तक शुल्क ले रहे हैं। सर, इसमें बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी के बहुत से केसेज़ आते हैं। आज के समय की ये मेन डिजीज़ेज़ हैं। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट 1.1 लाख रुपये है, आपके यहां 90 हजार रुपये रेट फिक्स कर रहे हैं। यह कैसे एक्सपर्ट कंपनी डिसाइड करती है?

एक और प्रश्न पूछने वाला चाहता है कि तेलंगाना राज्य इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तेलंगाना राज्य को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाए।

डॉ. हर्ष वर्धन: आपका जो दूसरा पार्ट है, जहां तक तेलंगाना सरकार के बारे में मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद तेलंगाना के मुख्य मंत्री जी को भी राइटिंग में रिक्वेस्ट किया है और हम कन्टीन्यूअसली प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी सरकार के राज्य में लागू करने के लिए उन्हें पूरे मुद्दे के बारे में पूरी तरह से अवगत और सहमत होना होगा। हमारा यह कहना है कि आप भी अपनी सरकार के मुख्य मंत्री जी को लगातार इसके लिए रिक्वेस्ट करिए। हम तो स्वागत करेंगे क्योंकि दो-तीन स्टेट्स, जो अभी तक इसके अंदर नहीं आए हैं, वे अगर इसके अंदर आएंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। जहां तक आपने रेट्स का कम्पेरिजन किया है, इस तरह से रेट्स का कम्पेरिजन नहीं हो सकता। अभी आप सी.जी.एच.एस. से भी तुलना करें तो सी.जी.एच.एस. के अंदर जो बेनीफिशियरी हैं, तो वे उन सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं जो उन्हें मिलती हैं। यह एक अलग योजना है। इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स का अध्ययन करके इसको एक्सपर्ट्स ने बनाया है। यह मनमाने ढंग से नहीं बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुरेश जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? आप यहां सदन में आए थे ना? यह सदन सबको मौका दे रहा है। रात को 162 माननीय सदस्यों ने शून्य काल में अपनी बात रखी है।

(प्रश्न संख्या 383)

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर: महोदय, कई सदस्यों के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं यह विषय सदन में क्यों उठा रहा हूँ। जब मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कार्यरत था तब यह गंभीर सच्चाई सामने आई कि देश में बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की एक प्रमुख वजह है—विद्यालयों में उचित शौचालयों और मासिक धर्म स्वच्छता सुविधाओं की अनुपलब्धता। अनेक सरकारी विद्यालयों में या तो शौचालय हैं ही नहीं और यदि हैं, तो वे उपयोग लायक नहीं होते या वहां आवश्यक स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध नहीं होते हैं। किशोरावस्था की बालिकाएं ऐसी स्थिति में मजबूर होकर घर लौट जाती हैं ताकि वे खुद की देखभाल कर सकें। यदि उनका घर दूर होता है, तो वे अक्सर स्कूल वापस नहीं लौटतीं, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित होती है।

यदि आप गौर करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो प्राथमिक कक्षाओं में लड़के और लड़कियाँ समान रूप से उपस्थित रहती हैं, लेकिन कक्षा आठ के बाद लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर चिंताजनक रूप से बढ़ जाती है। यह एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है क्योंकि लगभग हर अंतरराष्ट्रीय संगठन यह मानता है कि किसी भी देश के समग्र विकास की कुंजी महिलाओं की शिक्षा है। यदि हम लड़कियों को शिक्षित करते हैं, तो इससे न केवल समाज में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, बल्कि देश के अनेक विकासात्मक मुद्दों का समाधान भी स्वतः ही संभव हो जाएगा।

इसलिए, मेरा प्रश्न इस तथ्य पर आधारित है कि पिछली संसद में, मैंने एक विधेयक लाने का प्रयास किया था, जिसका उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम में संशोधन करके स्कूलों और सरकारी संस्थानों को इस बात के लिए बाध्य करना था कि वे छात्राओं के शौचालयों में मुफ्त मासिक धर्म स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराएँ। क्या आप इस तरह के कानूनी बदलाव के लिए तैयार हैं? मेरे पीछे बैठे मेरे सहयोगी, हिबी ईडन, जब वे एर्नाकुलम में विधायक थे, उन्होंने इसे 25 स्कूलों में प्रयोगात्मक रूप से शुरू किया था और उन्होंने पाया कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उन्हें उत्पाद प्राप्त करने के लिए एक रुपये का सिक्का डालना

पड़ता था। इसके बाद, शौचालय में इसे नष्ट करने के लिए एक इंसीनेरेटर स्थापित किया गया था। सरकार यह कार्य कर सकती है। मुझे लगता है कि हम इस देश की बेटियों की रक्षा के अपने कर्तव्य में सचमुच लापरवाह रहे हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन: मान्यवर अध्यक्ष महोदय, डॉ. शशि थरूर जी को यह जानकर खुशी होगी कि जो कार्य उन्होंने अपने मंत्री पद के दौरान करने की योजना बनाई थी, हालांकि उस समय वह कार्य पूरा नहीं हो पाया था, वह अब हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। चार मंत्रालय हैं जो इस कार्य के लिए पहले से ही मदद कर रहे हैं। इसके लिए मेरे मंत्रालय के अलावा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और भेषज विभाग भी मदद कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से, एक विशेष कार्यक्रम के तहत स्कूलों की सहायता की जा रही है। पिछले वर्ष, उन्होंने 500 स्कूलों से शुरुआत की थी और इस बार, उनके पास लगभग 14,000 स्कूलों के लिए परियोजनाएँ हैं, जहाँ हम वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर लगाने का प्रस्ताव कर रहे हैं।

इसी प्रकार, यह मुद्दा पीने के पानी और स्वच्छता मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है। मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है। हमारे कार्यकाल के पहले वर्ष, 2014 में, हम सभी स्कूलों में महिला छात्रों के लिए विशेष रूप से समर्पित शौचालयों का निर्माण करने में सफल रहे।

हम इस विषय के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं और इस मुद्दे को यहां उठाने के लिए आपकी सराहना करते हैं। जो भी संभव है, वह किया जा रहा है और हम इसे देश भर में पूरी संतुष्टि और आवश्यकता के स्तर तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं।

डॉ. शशि थरूर : मेरे पास एक पूरक है।

मुझे खेद है कि उत्तर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन आपके अपने उत्तर में एक विशेष योजना का उल्लेख किया गया है, जिसे शायद राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहा जाता है।

अब, तथ्य यह है। आप इस योजना के माध्यम से केवल ग्रामीण किशोरियों तक पहुंच रहे हैं। यदि मैं सरकारी आंकड़ों पर गौर करूं, तो हमारे देश में महिला श्रम-बल की भागीदारी वर्ष 2005 में 36.7 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2018 में केवल 26 प्रतिशत हो गई है। महिलाओं की कार्य करने की क्षमता में कमी आ रही है। इसके पीछे एक कारण जो अध्ययन में सामने आया है, वह यह है कि हम कार्यस्थल पर उनकी मासिक धर्म स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान नहीं करते हैं।

क्या आप तैयार हैं राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को केवल कुछ चयनित जिलों तक सीमित रखने के बजाय पूरे देश में विस्तारित करने के लिए, और क्या आप इसे स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों से आगे बढ़ाकर हमारे देश की महिलाओं तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं, ताकि वे हमारे समाज के अधिक उत्पादक सदस्य बन सकें और 2005 में जैसी श्रमबल में उनकी भागीदारी को फिर से बढ़ाया जा सके? धन्यवाद, महोदय।

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हम इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से कार्यान्वित कर रहे हैं। हमने पिछले पांच वर्षों में सभी अधिकार, निधियाँ और अन्य संसाधन राज्यों को सौंप दिए हैं। हमने इस परियोजना के लिए विभिन्न राज्यों को लगभग 239 करोड़ रुपये विशेष रूप से आबंटित किए हैं। पहले, जब आप सरकार में थे, तो ये सैनिटरी नैपकिन एच.एल.एल. में बनते थे, जिससे गुणवत्ता और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके परिवहन को लेकर समस्याएँ थीं। अब, हमने सभी अधिकार राज्यों को सौंप दिए हैं और अब राज्य खुद इनका उत्पादन कर सकते हैं। अब यह केवल ग्रामीण क्षेत्र का मुद्दा नहीं रहा; हमने इसे शहरी क्षेत्रों में भी विस्तार दिया है।

आपने इसे महिलाओं तक और अधिक विस्तार देने का सुझाव दिया है। जीएसटी में हमने इस वस्तु पर कोई कर नहीं लगाया है। भेषज विभाग बहुत ही मामूली कीमत पर अपने जन औषधि स्टोर के माध्यम से इन डिस्पोजेबल और पुनः प्रयोज्य सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने पर भी काम कर रहा है। हम देश की युवा लड़कियों को आपूर्ति की जा रही इन सभी नई नवोन्मेषी वस्तुओं की लागत-प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आइ.सी.एम.आर. के माध्यम से अनुसंधान के साथ इस पहलू को भी मजबूत कर रहे हैं। इसलिए, हम इस पूरे मुद्दे को समग्र दृष्टिकोण से देख रहे हैं और इसे व्यापक रूप से सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं।

डॉ. शशि थरूर: क्या आपके पास इसके लिए बजट है?

डॉ. हर्ष वर्धन: हाँ, बिल्कुल है, हमारे पास इसके लिए बजट है।

सुश्री एस. जोतिमणि: धन्यवाद, महोदय।

डॉ. शशि थरूर ने ठीक ही कहा है कि मासिक धर्म प्रबंधन की कमी सर्वाइकल कैंसर जैसी कई बीमारियां पैदा करती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या महिलाओं के स्वास्थ्य, विशेषकर मासिक धर्म स्वास्थ्य से निपटने के लिए कोई विशेष विभाग बनाया जा सकता है?

डॉ. हर्ष वर्धन: महिलाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सरकार का प्रमुख ध्यान महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर है। जननी सुरक्षा योजना, बच्चों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, और अन्य गर्भावस्था संबंधी कार्यक्रम सभी विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए समर्पित हैं।

इसके अतिरिक्त, हम महिला और बाल विकास विभाग के साथ मिलकर काम करते हैं। सरकार महिला संबंधित मुद्दों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रही है। मुझे लगता है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई वर्षों से, हमने देखा है कि मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वह दिन आएगा जब गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।

गर्भावस्था एक महिला के लिए वरदान है और यह उसके लिए अभिशाप नहीं बनना चाहिए। हम इस उद्देश्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता रखते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे को केवल इसलिए अपनी जान गंवानी पड़े क्योंकि उसे टीकाकरण नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि कोई महिला केवल गर्भवती होने के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करे और अपनी जान गवां दे। इसीलिए यह सरकार का एक अत्यंत केंद्रित और प्राथमिकतापूर्ण कार्यक्रम है।

सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि सरकार के अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। महिला सशक्तीकरण मुद्दों पर, आप जानते हैं कि हमारे पास बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। ये सभी अत्यंत केंद्रित कार्यक्रम हैं। पिछले पांच वर्षों में, प्रधान मंत्री ने इन कार्यक्रमों को अत्यधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपनाया है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है। इस पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। आप उज्ज्वला योजना के बारे में जानते हैं। मूल रूप से, यह एक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा था। सभी स्वच्छता कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, उनका अंतिम उद्देश्य महिलाओं में बीमारियों को रोकना है।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: महोदय, आप अब प्रश्नों को युग्मित कर रहे हैं। जो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, वह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं यह प्रश्न मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर पूछ रहा हूँ। डॉ. हर्षवर्धन जी एक अत्यंत सम्मानित और योग्य व्यक्ति हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पार्टी का दबाव है और वे केवल लोकदृष्टि को ध्यान में रखकर बातें कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य साथी नामक एक योजना शुरू की है। [हिन्दी] हर फैमिली को हर साल पांच लाख रुपये मिलते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप पश्चिम बंगाल की मार्केटिंग के लिए नहीं, अपितु प्रश्न पूछने के लिए खड़े हैं।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय: सर, उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि आयुष्मान भारत स्कीम को पश्चिम बंगाल सरकार नहीं ले रही है।... (व्यवधान) [अनुवाद] उन्होंने ये बात कही है और पश्चिम बंगाल पर निशाना साधा है। मैं कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने एक योजना शुरू की है, स्वास्थ्य साथी जिसके लिए वे हर साल हर परिवार को 5 लाख रुपये देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केवल पश्चिम बंगाल ने ही आपकी योजना को स्वीकार करने से इनकार किया है, या अन्य राज्य भी हैं जिन्होंने इसे अस्वीकार किया है?

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यदि आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

डॉ. हर्ष वर्धन : सर, मैं किसी भी विषय को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं।

माननीय अध्यक्ष : यहां संस्कृत में श्लोक लिखा भी हुआ है।

डॉ. हर्ष वर्धन : माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल की जिस स्कीम के बारे में बोल रहे हैं, उस स्कीम में बेसिकली वैस्ट बंगाल सरकार डेढ़ लाख रुपये तक खर्च करती है और अगर कुछ स्पेसिफिक बीमारियां, जिसमें कैंसर वगैरह भी है, उसके जब पेशेंट आते हैं और एक प्रोसीजर के तहत वे रिक्वैस्ट करते हैं तो फिर उनको पांच लाख रुपये तक वह दे सकते हैं। हमारी स्कीम कोई हमारे लिए नहीं है, अपितु यह पूरे देश के लिए है। आयुष्मान योजना किसी का ब्रांड नहीं है। इसको कंसीव प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, लेकिन यह देश के 132-135 करोड़ लोगों के लिए है। मैंने उदाहरण भी दिया है कि जिस समय इस स्कीम से वैस्ट बंगाल सरकार द्वारा विद्ड्रॉ किया गया ... (व्यवहार) तो एक पेशेंट जो मेमोरियल में इलाज करवा रहा था, उसने हम लोगों को लिखा और रिकॉर्ड किया कि उसका इलाज हमारे पास नहीं हो सका क्योंकि पोर्टेबिलिटी का फायदा नहीं मिला। वैस्ट बंगाल सरकार उसकी सहायता नहीं कर सकती थी। आपने पूछा कि कौन सी और राज्य सरकारें हैं। तेलंगाना में यह लागू नहीं हुई है, उनको भी हमने रिक्वैस्ट किया है। दिल्ली के मुख्य मंत्री को भी रिक्वैस्ट किया है। ओडिशा के साथ हमारे सीईओ की मीटिंग हो चुकी है। ओडिशा इस योजना से जुड़ चुका है और बहुत जल्द

इसे लागू करने की संभावना है। यह राजस्थान और पंजाब में भी लागू हो रही है। दो-तीन राज्य ही बचे हैं। यह वैस्ट बंगाल के लोगों के हित में है और आप वैस्ट बंगाल के लोगों का पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करते हैं। आप भी अपने मुख्य मंत्री को जाकर कनविंस करेंगे तो आपको भी उसका लाभ होगा।

(प्रश्न संख्या 384)

श्री नारणभाई काछड़िया: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारा देश आज वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वस्त्रों का निर्यात विदेशों में कर रहा है। लेकिन हमारे गुजरात राज्य का सूरत शहर जो देश का एक केन्द्र माना जाता है, जहां पर वस्त्र से संबंधित हजारों छोटे-छोटे उद्योग स्थापित हैं। वहां वस्त्र निर्माण के लिए लेटेस्ट तकनीकी का इस्तेमाल करके कम से कम लागत में अच्छे गुणवत्ता वाले कपड़ों का निर्माण होता है।

अध्यक्ष जी, आज हमारा राजस्व टेक्सटाइल क्षेत्र में इतना आगे निकल चुका है, फिर भी रेशम का उत्पादन गुजरात में नहीं हो रहा है। देश के कुल 26 राज्यों में रेशम का उत्पादन हो रहा है। लेकिन हमारे गुजरात में इसका उत्पादन बिल्कुल शून्य है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे गुजरात के वातावरण की अनुकूलता न होने के कारण या तो रेशम का उत्पादन नहीं हो रहा है, या किसानों में रेशम कीट पालन के व्यवसाय की जानकारी का अभाव होने के कारण इसका उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार द्वारा रेशम कीट पालन व्यवसाय को गुजरात में बढ़ावा देने हेतु कोई योजना बनाई गई है? अगर बनाई गई है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि भारत सरकार सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से 2017 से लेकर 2020 तक के कार्यकाल में एक विशेष सिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 'सिल्क समग्र' नाम की लगभग 2,160 करोड़ राशि की एक नई स्कीम लेकर आई है, जिसमें प्री कोकून और पोस्ट कोकून सिल्क के उत्पादन के संदर्भ में हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं।

महोदय, माननीय सांसद जानना चाहते हैं कि क्या प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समन्वय के साथ विशेषकर हम किसानों के लिए कोई कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें अवगत कराना चाहती हूं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं मनरेगा के अंतर्गत कन्वर्जन्स प्रोगाम्स के माध्यम से वर्ष 2018-19 के लिए हमने राज्यों को लगभग 600 करोड़ रुपये के प्रपोजल्स सैंक्शन कर दिए हैं, जिसमें से हमने 400 करोड़ रुपये देश भर के जिन-जिन राज्यों ने हमसे विशेष रूप से कृषि की दृष्टि से सिल्क प्रोडक्शन में मदद मांगी है, हमने उनको 400 करोड़ रुपये तक की मदद पहुंचाई है।

अभी वर्तमान में नवसारी में एक डिफंक्ट सिल्क फार्म है, जिसे रिवाइव करने का प्रयास सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड कर रही है और उसकी बातचीत गुजरात सरकार से चल रही है।

श्री नारणभाई काछड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा सवाल यह है कि रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'सिल्क समग्र' योजना चलाई जा रही है। [अनुवाद] इस योजना के अंतर्गत देश में रेशम कीट पालन व्यवसाय के प्रचार-प्रसार के लिए पिछले दो वर्षों में कौन-कौन से कार्य किए गए हैं तथा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने पिछले दो सालों में कितनी धनराशि खर्च की है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : अध्यक्ष महोदय, सिल्क समग्र का विशेष संदर्भ रोजगार को और बढ़ाना है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय सांसद को अवगत कराना चाहती हूं कि अगर आप मात्र रोजगार देखेंगे, तो वर्ष 2013-14 में हमारे देश के लगभग 78.5 लाख नागरिक सिल्क सेक्टर में कार्यरत थे। सिल्क समग्र का लक्ष्य यह है कि हम एक करोड़ लोगों को वर्ष 2020 तक नौकरी देंगे। मुझे आपके माध्यम से सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि रोजगार के कल तक के आंकड़े 91 लाख तक पहुंच चुके हैं। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के आदेशानुसार जो एक करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य है, हम उसे निश्चित रूप से पा पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सदन में हमारे कई ऐसे मेंबर होंगे, देश भर के करीबन 26 राज्यों में सिल्क के उत्पादन में अलग-अलग गतिविधियां चलती हैं। मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि वर्ष 2013-14 में मल्बरी में दो लाख

हेक्टेयर एरिया था। अगर आज आप देखेंगे, तो 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रॉ सिल्क प्रोडक्शन में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ताकि भारत स्वनिर्भर हो सके, उसमें 170 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वन्य सिल्क प्रोडक्शन में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं इतना बता देना चाहती हूं कि वर्तमान में किसान नर्सरीज़ 111 हैं, इरिगेशन और अदर वाटर कन्जर्वेशन टेक्नीक के प्रोजेक्ट्स 3,038 हैं।

हमारे कृषकों के लिए जो सेपरेट रियरिंग हाउसेस 3819 हैं, रियरिंग अप्लायंसेस 3640 से ज़्यादा हैं, प्रोडक्टशन यूनिट जहाँ पर बायलॉजिकल इनपुट्स 32 हैं, चॉकी रियरिंग सेंटर्स इत्यादि की हमारे पास सारी जानकारी है, जो मैं आदरणीय सांसद को बता सकती हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री परबतभाई पटेल । डिटेल्स में जानकारी देनी हो तो कई बार व्यक्तिगत भी भिजवा दें ताकि हम अधिकतर क्वेश्चन सदन में ले सकें।

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में देश में रेशम कीट पालन को बढ़ावा देना एक प्रशंसनीय कदम है, जिसके तहत देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि के साथ-साथ किसान भाइयों के लिए आमदनी का एक और नया ज़रिया बन गया है। इस व्यवसाय को बढ़ावा देने और वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में सिल्क उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बन रहे हैं। महोदय, इससे हमें किसान भाइयों की आय को बढ़ाने में भी काफी मदद मिल रही है, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार रेशम कीट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एवं किसानों को लेटेस्ट तकनीकी प्रशिक्षण हेतु दूसरे देशों से तकनीकी सहायता ले रही है या लेने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, सांसद ने विशेष किसानों के संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त किए हैं। मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का सिल्क समग्र के अंतर्गत विशेष महिला किसानों पर भी ध्यान देने का एक आग्रह रहा है। उन्हें यह जानते हुए खुशी होगी कि 680 इनफोर्मल प्रोड्यूसर ग्रुप के माध्यम

से 33000 से ज़्यादा किसान मोबिलाइज़ हुए हैं। हमने विशेष उन किसानों और महिला किसानों को 23 डिस्ट्रिक्ट्स में विशेष रूप से सहयोग दिया है, जो लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिस्ट इलाकों से प्रभावित हैं, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में विशेष महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के अंतर्गत हम लोग सिल्क का काम बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के संदर्भ में आदरणीय सांसद ने एक प्रश्न पूछा, चाइना, उज़्बेकिस्तान के साथ-साथ सेंट्रल सिक्क बोर्ड, भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के समन्वय से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और किसानों के संदर्भ में हम लोग विशेष किसान मेला लगा कर, किसानों के लिए वर्कशॉप लगाकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी काम करते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी: रेशम उत्पादन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह लघु एवं सीमांत किसानों के जीवन-यापन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तेलंगाना राज्य में दो तकनीकी सेवा केंद्र स्थापित हैं- एक विकाराबाद में तथा दूसरा चेवेल्ला में, जो मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मेरे राज्य में, कुतुबुल्लापुर, मोइनाबाद, पेडेमुल और महेश्वरम में भी सरकारी बीज फार्म हैं जो मेरे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

इसके अलावा, रेशम बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि रेशम की खेती के लिए तेलंगाना सबसे उपयुक्त राज्य है। आप यह भी जानते हैं कि तेलंगाना राज्य कृषि के लिए बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में केंद्रीय रेशम बोर्ड की एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती हैं?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: केंद्रीय रेशम बोर्ड एक एकल एकात्मक बोर्ड है, जो पूरे देश के लिए सेवाएं प्रदान करता है। यदि तेलंगाना राज्य से, विशेष रूप से रेशम उत्पादन के संबंध में किसानों की मदद के लिए कोई प्रस्ताव किया गया है, तो हमें उन्हें अपनी सेवाओं का विस्तार करने में खुशी होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय

सदस्य को बताना चाहती हूं कि केंद्रीय रेशम बोर्ड विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर कार्यशालाओं का आयोजन करता है। इस संदर्भ में तेलंगाना राज्य को हर संभव सहयोग देने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 385, श्री थोल तिरुमावलवन।

माननीय सदस्य, एक बार फिर व्यवस्था समझ लीजिए। इसमें कोई बात नहीं है, सब नए हैं। जब मैं माननीय सदस्यों का क्वेश्चन नम्बर पुकारूँ तो आप सभी माननीय सदस्य पहले क्वेश्चन नम्बर बोलें। फिर माननीय मंत्री जी उत्तर सभा पटल पर रखेंगे। फिर आप प्रश्न पूछिए। सदन की व्यवस्था इस तरह से है।

माननीय सदस्य बहुत ही गंभीर और पकड़ वाले हैं। माननीय सदस्य पूछिए।

[अनुवाद]

(प्रश्न 385)

श्री थोल तिरुमावलवन : मुझे किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से विवरण मिला।

मंत्रालय के उत्तर के अनुसार, मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि तमिलनाडु और पुडुचेरी सहित 10 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत अपने स्वयं के नियम बनाए और अधिसूचित किए हैं। केवल पाँच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार के नियमों को अपनाया है और उन्हें अधिसूचित किया है। लेकिन आठ राज्य और संघ राज्यक्षेत्र हैं जिन्होंने जे.जे. अधिनियम के तहत नियमों का मसौदा तैयार किया है, लेकिन उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया है। तेरह राज्य और संघ राज्यक्षेत्र हैं जो जे.जे. अधिनियम के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं। यह जानना वास्तव में चौंकाने वाला है कि लगभग 21 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र ने अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है। यह वास्तव में बच्चों के साथ अन्याय है। केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों और अपराधों से प्रभावित बच्चों को न्याय प्रदान करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 बनाया।

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 36 में से 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अभी तक अधिनियम के निर्देशों का पालन नहीं किया है। वे इस अधिनियम को लागू करने में विफल रहे। यह बच्चों के साथ बड़ा अन्याय है। मैं माननीय मंत्री जी से उन राज्यों के लिए एक समय-सीमा तय करने का अनुरोध करता हूं जिन्होंने अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है।

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने हमारे देश में बाल दुर्व्यवहार की संख्या में वृद्धि, विशेष रूप से यौन दुर्व्यवहार के मामलों में वृद्धि पर मामला दर्ज करने के संबंध में *स्वत: संज्ञान* लिया। पिछले छह महीनों में देशभर में बाल यौन शोषण से संबंधित 24,212 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं, जो कि इस प्रकार के मामलों में वृद्धि को

दर्शाता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न उठाना चाहता हूँ कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक नियमों को अधिसूचित नहीं किया है, उनके खिलाफ केंद्र सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जब तक कोई राज्य अपने नियमों को अधिसूचित नहीं करता है, तब तक केंद्रीय नियम और अधिनियम लागू होते हैं। इसलिए, केवल किसी राज्य द्वारा अपने नियम अधिसूचित न करने के कारण किसी भी बच्चे को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में की गई टिप्पणी का प्रश्न है, मेरा मानना है कि वे संभवतः मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दे रहे हैं, जो पूरी तरह से पुष्ट या प्रमाणित नहीं हो सकती हैं। मैंने माननीय उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय पढ़ा है जिसमें देश के सभी ज़िलों में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की बात कही गई है। अतः यह मान लेना कि यह आंकड़ा केवल एफआईआर पंजीकरण, राज्य पुलिस द्वारा जांच या फिर न्यायालयों में लंबित कानूनी मामलों से संबंधित है, एक अनुमान होगा जिसे लगाना उचित नहीं होगा। मैं केवल इतना कहूंगी कि जिन राज्यों ने अब तक अपने नियम अधिसूचित नहीं किए हैं, वहाँ केंद्रीय अधिनियम लागू होता है। मैं माननीय सदस्य की चिंता को संज्ञान में लूंगी। हम उन राज्यों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क में हैं जिन्होंने अब तक अपने नियम अधिसूचित नहीं किए हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, जब तक राज्य अपने नियम अधिसूचित नहीं करते, केंद्रीय अधिनियम लागू रहता है।

श्री मनीष तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि देशभर में किशोर न्याय गृहों, जिन्हें सामान्यतः रिमांड होम कहा जाता है, की स्थिति बहुत ही खराब है। क्या माननीय मंत्री जी द्वारा एक आयोग नियुक्त पर विचार किया जाएगा जो देशभर में इन रिमांड होम्स की स्थिति का अध्ययन करे और यह

सिफारिशें दे कि इन संस्थाओं की सुविधाओं को कैसे मानकीकृत किया जा सकता है और कैसे इन्हें बेहतर बनाया जा सकता है?

मध्याह्न 12.00 बजे

समस्या यह है कि जब किसी अपराध के आरोपी किशोरों को किशोर न्याय गृहों या जिन्हें सामान्यतः रिमांड होम कहा जाता है, में भेजा जाता है, तो वे सुधार करने के बजाय और अधिक अपराधी प्रवृत्ति के होकर वापस आते हैं। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी द्वारा इस प्रकार के किसी आयोग के गठन पर विचार किया जाएगा?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को सूचित करना चाहती हूं कि एक मंत्री के रूप में मैंने इस पहलू पर विचार करने के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले ही बातचीत कर ली है। यह इसलिये है क्योंकि इन संस्थाओं का प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन है और सहकारी संघवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, राज्य की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना इन संस्थाओं का निरीक्षण करने का अधिकार राज्य सरकारों को है। लेकिन साथ ही, मैं इस मामले को गंभीरता से लेती हूँ और सदस्य की चिंता को समझती हूँ। आयोग गठित करने के बजाय, जो राज्यों के अधिकारों और जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर सकता है, हम राज्यों के साथ मिलकर इस विषय पर और अधिक प्रभावी तरीके से काम करेंगे ताकि इन संस्थानों की स्थिति में सुधार किया जा सके।

---

[3]□प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 386, 387, 389 से 392 और 394 से 400

अतारांकित प्रश्न संख्या 4332 से 4561)

[3]*प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.01 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी।

[अनुवाद]

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर तथा इसकी आनुषंगीकियों के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर तथा इसकी आनुषंगिकियों का वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 398/17/19]

(3) एनटीसी लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 399/17/19]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाल विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 400/17/19]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के व वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 401/17/19]

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपद येसो नायक): मैं निम्न्लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 402/17/19]

(3) होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 33 की उप-धारा (2) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

1. होम्योपैथी (स्नातकोतर डिग्री कोर्स) एम. डी. (होम्यो.) संशोधन विनियम, 2019 जो 20 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-11/2010-सी.सी.एच.(भाग-II)(1) में प्रकाशित हुए थे।
2. होम्योपैथी (डिग्री कोर्स) संशोधन विनियम, 2019 जो 19 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 12-13/2006-सी.सी.एच.(भाग -VI) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 403/17/19]

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**: -**

(1) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 404/17/19]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): मैं वर्ष 2019-2020 के लिए वित्त मंत्रालय के परिणामी बजट (खंड I और II) की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 405/17/19]

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 17 जुलाई, 2019 में लोक सभा द्वारा 15 जुलाई 2019 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गये अन्वेषण अभिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03 बजे

~~सभा का कार्य~~

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): आपकी अनुमति से, महोदय, मैं घोषणा करता हूं कि 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र के शेष अवधि के दौरान सरकारी कार्य में निम्नलिखित में सम्मिलित होंगे:

1. आज के आदेश पत्र से आगे बढ़ाए गए सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार:- [इसमें मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार और पारित करना शामिल है।]

2. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 पर विचार और पारित किया जाना।

3. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करनाः-

   (एक) डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी (उपयोग तथा लागू होना) विनियमन विधेयक, 2019

   (दो) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019

   (तीन) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019

   (चार) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019

   (पाँच) जलियाँवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019

   (छह) मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019

   (सात) सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2019

4. निम्नलिखित विधेयकों पर उनके पुरःस्थापित होने के पश्चात विचार एवं पारित किया जाना:

(एक) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019

(दो) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019

(तीन) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

(चार) मजदूरी संहिता विधेयक, 2019

(पाँच) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता विधेयक, 2019

5. कंपनी (संशोधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर चर्चा कंपनी (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2019 के पुरःस्थापन के पश्चात विचार एवं पारित किया जाना।

6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार एवं पारित किया जाना।

7. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारित किया जाना:-

(एक) माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019

(दो) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: अब सबमिशन होगा।

... (<u>व्यवधान)</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उसे सबमिशन के बाद लिया जाएगा, क्योंकि सबमिशन महत्वपूर्ण है।

... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए-

1. दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में 68 संविदा नर्सिंग कार्मिकों को तत्काल नियुक्ति देकर नियमित करने के संबंध में।
2. मनरेगा में विगत 15 महीनों से सामग्री मद में भुगतान नहीं होने से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने सबमिशन में जो दिया है, उसी को पढ़ना है।

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन (एर्नाकुलम): महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि निम्नलिखित दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. एनएच 17 (नया एनएच 66) के एडाप्पिली-मुथाकुन्नम खंड के बीच एनएच का विकास एक लंबित मामला है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह एलिवेटेड हाइवे के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करे या 2013 के आर एंड आर पैकेज के अनुसार भूमि मूल्य का भुगतान करने पर विचार करे।
2. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफोपार्क स्मार्ट सिटी-कक्कनाड तक कोच्चि मेट्रो विस्तार का दूसरा चरण पूरा करने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री सी. पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्न दो विषयों को शामिल किया जाए-

1. जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र प्रतापगढ़ राजस्थान में बाईपास निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात इसको प्रारंभ कराए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।
2. कोटा तथा उदयपुर के मध्य वाया चित्तौड़गढ़ के लिए सुबह शाम एक सवारी गाड़ी या डेमू ट्रेन को चलाए जाने की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा आग्रह है कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित प्रस्तावों को जोड़ा जाए-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल में महेन्द्रनाथ हॉल्ट रेलवे स्टेशन है। उक्त हॉल्ट को यात्री सुविधा की दृष्टि से विकसित करने और वहां पर एक उपरिगामी पुल बनाए जाने पर विचार किया जाए।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा का विस्तृत प्लांट लगाने जाने पर विचार किया जाए।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में मैं निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित करने का निवेदन करता हूं-

1. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरन्दाजी के साईं सेंटर खोलने के संबंध में।

2. मेरी लोक सभा क्षेत्र में अनेक गांव सैकड़ों साल से वन भूमि में बसे हुए हैं। मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि इन गांवों को भूमि आवंटित कर पट्टे देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया - उपस्थित नहीं।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. पिंपरी चिंचवड शहर से गुजरने वाली पवना नदी के प्रदूषण को देखते हुए पवना नदी को "नदी सुधार योजना" में शामिल किए जाने से संबंधित विषय।

2. माथेरन हिल स्टेशन जो कि इको-सेंसेटिव जोन है, पर्यटकों की मांग को देखते हुए वहां पर ई-रिक्शा चलाए जाने से संबंधित विषय को शामिल किया जाए।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. वाराणसी से सोन नगर (औरंगाबाद) तक एन.एच.[हिन्दी] -02 की हालत जर्जर हो गई है। इसकी शीघ्र मरम्मत कराई जाए।

2. बिहार के आरा से कोचस होते हुए भभुआ रोड तक रेल मार्ग के निर्माण की योजना वर्षों से अधर में है। इस योजना को शीघ्र पूरा किया जाए।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचंद्रन (कोल्लम): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. केरल के तटीय क्षेत्र में समुद्र तट रेत खनिज का खनन और आई.आर.ई. लिमिटेड चवारा का विस्तार।
2. केरल में हाल की घटनाओं के संदर्भ में, सार्वजनिक सेवा आयोग और विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की कार्यप्रणाली और उनकी विश्वसनीयता पर विचार।

[हिन्दी]

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत सिंगरा एनएच 75 तथा रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर अविलंब ओवरब्रिज निर्माण कराने की कृपा की जाए।
2. झारखंड के प्रमंडलीय मुख्यालय पलामू जिले के मेदिनीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। अत: इसे अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, मैं आपके वक्तव्य के पहले एक सामान्य नियम आपको बताता हूं कि नियमानुसार किसी भी राज्य की विधान सभा में हो रहे कार्य के सम्बन्ध में यहां चर्चा नहीं हो सकती है। नियम प्रक्रिया में यह भी है कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में भी यहां पर चर्चा नहीं हो सकती है। माननीय अधीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष जी, मैं इससे हट कर दो-चार बातें कहना चाहता हूं। मैं सबसे पहले अपना आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। हमारी तरफ से एडजर्नमेंट मोशन दिया गया था। हमें उम्मीद थी कि कम से कम हमारे गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे। ... (व्यवधान) हमारी यह इच्छा थी कि उनके सामने हम अपनी बात पेश करते और वे खुद इसका जवाब देते।

मैं दो-चार मूलभूत बातें यहां कहना चाहता हूं। यहां बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, आप भी हैं। हर सदन के ये अलंकार होते हैं कि सदन में आरोप-प्रत्यारोप चले, नोक-झोंक चले, वाद-विवाद चले, संवाद चले। हमारे सदन के ये अलंकार स्वरूप होते हैं। यहां जो चीजें होती हैं, हर राज्य की विधान सभा में वही चीजें होती हैं। मान लीजिए अगर आप हमें कुछ व्यवस्था देते हैं, तो राष्ट्रपति जी आकर अगर आपको कहें कि यह नहीं होगा या होगा, तो आपको यह सही नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी ऑटोनामी है। हर राज्य में भी जो सदन के स्पीकर होते हैं, उनकी ऑटोनामी होती है। राष्ट्रपति जी इलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट सिलेक्टेड है। आज हिंदुस्तान में एक के बाद एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश और सिलसिला जारी है। ... (व्यवधान) सर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, ...(व्यवधान) चौदह महीने पुरानी कनार्टक की गठबंधन सरकार का भविष्य तय करने के लिए गुरूवार को विधान सभा में मतदान नहीं हो सका क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन ... (व्यवधान) विपक्षी भाजपा के बीच ... (व्यवधान)

अपराह्न 12.15 बजे

सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित किए गए

(एक) उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019[4]*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): मैं आपत्ति करना चाहूँगा, महोदय, लेकिन मैं कहना चाहूँगा …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, हम वॉक आउट करते हैं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.16 बजे

इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, डॉ. शशि थरूर और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

... (व्यवधान)

---

[4]* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 19.07.2019 में प्रकाशित

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक पुरस्थापित[5]□ करता हूं।

अपराह्न 12.16 ½ बजे

(दो) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 [6]□

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं प्रस्ताव करती हूं कि अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निपेक्षकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

---

[5]* राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

[6]* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 2, दिनांक 19.07.2019 में प्रकाशित।

"अविनियमित निक्षेप स्कीमों पर पाबंदी के लिए एक व्यापक तंत्र का उपबंध करने के लिए और निपेक्षकर्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

[अनुवाद]

श्रीमती निर्मला सीतारमण: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 12.17 बजे

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019[7] के बारे में विवरण

वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण): मैं अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक 7) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

---

[7] सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 406/17/19

अपराह्न 12.18 बजे

सरकारी विधेयक- पुर:स्थापित किए गए ...ज़ारी

(तीन) सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019[8*]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

प्रो. सौगत राय जी, डॉ. शशि थरूर जी और अधीर रंजन चौधरी जी, आप लोगों ने जो नोटिसेज दिए हैं, वह बिल के पुनर्स्थापन के विरोध के कारण दिए गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें कोई लेजिस्लेटिव रूप से विरोध नहीं किया गया है। आप बिल की चर्चा के दौरान भी इस विषय को उठा सकते हैं। मैं फिर भी आपको आसन की विशेष व्यवस्था के तहत एक-एक मिनट बात कहने का मौका दे रहा हूं।

[8*] भारत के राजपत्र, असाधारण, अनुभाग-2, खंड-2 दिनांक 19.07.2019 में प्रकाशित

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लेकर आया हूं, यह हमारी रूल्स की बात नहीं मानी गई [अनुवाद] मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 74 के अंतर्गत यह कहा गया है:

> "आगे यह भी प्रावधान है कि ऐसा कोई प्रस्ताव तब तक नहीं किया जाएगा जब तक विधेयक की प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं और कोई भी सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव पर तब तक आपत्ति कर सकता है जब तक कि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव किए जाने के दिन से दो दिन पहले उपलब्ध नहीं करा दी जाती हैं और ऐसा आक्षेप तब तक मान्य होगा जब तक अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव किए जाने की अनुमति नहीं दे देते हैं।"

महोदय, मैं कौल और शकधर का उल्लेख कर रहा हूँ। पृष्ठ 66, यह कहता है:

किसी विधेयक को तब तक कार्यसूची में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि विधेयक की प्रतियां उस दिन से कम से कम दो दिन पहले सदस्यों को उपलब्ध नहीं करा दी जातीं जिस दिन उसे पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

महोदय, यह आवश्यकता अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की जाती है जो विनियोग विधेयक के संदर्भ में लागू होती है। [हिन्दी] माननीय मंत्री जी राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल को इंट्रोड्यूज कर रहे हैं, हमें इसके लिए दो दिन का मौका नहीं दिया गया। यह रूल्स के मुताबिक नहीं हुआ है। मंत्री जी बिल में जो संशोधन लाना चाहते हैं, वह हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सूचना का अधिकार फंडामेंटल मतलब मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को हनन करने की कोशिश हो रही है। जैसा कि सूचना का अधिकार विधेयक में प्रस्तावित किया जा रहा है, वेतन के संदर्भ में, सेवा के संदर्भ में, परिलब्धियाँ, कार्यकाल की अवधि, सूचना आयोग आदि के संदर्भ में पहले इलैक्शन कमीशन का पांच साल का फिक्स टेन्योर था, अब यह सरकार तय करेगी। वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें चुनाव आयोग के समान थीं और चुनाव आयोग के लिए, यह उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समान है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप डिटेल में बोल रहे हैं। आप बिल पर क्या बोलेंगे? इस बिल को लाने की आपत्ति पर सवाल उठाइए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हम चाहते हैं कि कमीशन पर सरकार का हस्तक्षेप न रहे। यह सरकार कमीशन पर हस्तक्षेप करना चाहती है। इसके ऊपर दबाव डालना चाहती है। इनकी फ्रीडम, आजादी को खत्म करना चाहती है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा न करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी : वास्तव में, स्थायी समिति की राय थी कि सूचना आयोग अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण सृजन है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 19बी में यह अनुमति दी है।

श्री सौगत राय जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप बिल की आपत्ति के समय पूरे बिल पर चर्चा करने लग जाते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप मेरी बात सुन लीजिए। यहां एन.के. प्रेमचन्द्रन जी तथा अन्य विद्वान बैठे हैं। इस तरह से हर बिल पर बिना लेजिस्लेटिव कानून के तहत कोई बात, जिसमें ऑब्जेक्शन करने का तर्क हो, उसके बिना ही आपत्ति प्रदान करने लग जाएंगे तो सदन चलने वाला नहीं है। मेरा आप सबसे आग्रह है, आप जब भी बोलते हैं, पूरे बिल पर ही चर्चा करने लग जाते हैं। आप अपनी बात उठाएं, विधेयक को पुर:स्थापित करने के विरोध का पक्ष उठाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह सदन आपका है, लेकिन पूरे बिल पर चर्चा न करें।

श्री सौगत राय।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: मेरे पास एक अंतिम पंक्ति है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सूचना आयोग में बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्ति सहित आर.टी.आई. अधिनियम के उचित कामकाज को सुनिश्चित किया जा सके। ...(*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): अपने पूरे अधिकार के साथ, मैं सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ।

महोदय, मैं इस संदर्भ में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि 15वीं लोक सभा में 71 प्रतिशत विधेयकों को संसदीय जांच के लिए भेजा गया था। 16वीं लोक सभा में, यह संख्या घटकर केवल 26 प्रतिशत रह गई। वर्तमान लोक सभा में...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: यह विषय इसमें कहां आ गया?

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : यह कनैक्टिड है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरे बोलने के बीच में मंत्री जी को बुला रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, मैं मंत्री जी के बाद आपको बुलाऊंगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्री जी को अधिकार है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): पुरःस्थापन के समय, यदि वे इसका विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें विधेयक के विधायी क्षमता पर इसका विरोध करना चाहिए, न कि विधेयक के गुण पर। वे विधेयक के गुण पर चर्चा कर रहे हैं। वे चर्चा के दौरान विधेयक के गुण पर बात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे चुका हूं, इसी व्यवस्था पर माननीय सदस्यों को चलना है, नहीं तो अगला नाम पुकारा जाएगा।

.. (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मैंने सुना है, लेकिन मैंने तो अभी बोलना शुरू ही नहीं किया है। ये प्राब्लम है कि नए पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ... (व्यवधान) यह नए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह चार बार के लोक सभा के सदस्य रहे हैं, नए नहीं हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रोफेसर सौगत राय : मैंने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया है। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी: क्या आप चाहते हैं कि इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाए?

प्रो. सौगत राय: मैं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूँ। ...(*व्यवधान*) महोदय, इस वर्तमान संसद में, 11 विधेयकों में से एक भी विधेयक को उनकी राय के लिए स्थायी समिति के पास नहीं भेजा गया है।...(*व्यवधान*) महोदय, यदि संसदीय कार्य मंत्री इस प्रकार से किसी सदस्य को विघ्नित करने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे विघ्न से संरक्षण प्रदान करें। [हिन्दी] आप मुझे संरक्षण दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सदन में बताएं कि इस बिल का इंट्रोडक्शन से क्या संबंध है? अगर इस पर डिटेल में चर्चा करनी है तो आप नोटिस दीजिए। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मैं आपसे संरक्षण मांगता हूं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अभी आप बिल इंट्रोडक्शन पर बोलें।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, राइट टू इन्फार्मेशन बहुत ही जरूरी अधिकार है। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने कहा -

[अनुवाद]

"सूचना आयोग अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण सृजन है, जो कानून की प्रशंसनीय योजना को निष्पादित करेगा।"

अब, यह विधेयक सूचना आयोग की शक्ति को नवीनीकृत करने का प्रयास करता है क्योंकि पूर्व विधेयक में कहा गया था कि केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियां चुनाव आयोग के समान शक्ति थीं। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : आप मुझे बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इसका जवाब दें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी ।

... (व्यवधान) [9]□

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर जी की बात ही नोट हो रही है।

... (व्यवधान) [10]□

---

[9]* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[10]* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): महोदय, सूचना के अधिकार अधिनियम का पूरा ढांचा राज्य और केंद्रीय सूचना आयोगों, दोनों की स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर निर्भर करता है। जिस स्थायी समिति ने मूल आर.टी.आई. विधेयक का अध्ययन किया था, उसने इन संस्थाओं को स्वतंत्र रखने की सिफारिश की थी। साथ ही, उसने चुनाव आयोग की तरह इन संस्थाओं के लिए वैधानिक कार्यकाल और निश्चित वेतन की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी, जिसे संसद ने आर.टी.आई. विधेयक में स्वीकार किया था।

वैधानिक शर्तों को समाप्त करके, इसे सरकार की इच्छाओं के अनुसार और सरकार के नियम बनाने की शक्तियों के अधीन करके, यह विधेयक दो सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कवचों को समाप्त कर रहा है। …(*व्यवधान*) महोदय, कृपया समझें, मैं गुणों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यह कोई आर.टी.आई. (संशोधन) विधेयक नहीं है। यह एक आर.टी.आई. उन्मूलन विधेयक है। यह विधेयक संस्थागत स्वतंत्रता के दो सबसे बड़े कवचों को समाप्त रहा है और और इसके अतिरिक्त, राज्य सूचना आयुक्तों को नियंत्रित करने तथा उनके वेतन निर्धारण की शक्ति केंद्र सरकार के हाथ में लेने के द्वारा इसे नष्ट कर रहा है। …(*व्यवधान*)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): महोदय, मैंने नियम 72 के तहत एक नोटिस दिया है। मेरी राय है कि इस विधेयक में विधायी क्षमता का अभाव है। महोदय, जैसा कि आप भलीभांति जानते हैं-आप एक विद्वान व्यक्ति हैं और इस गरिमामयी पीठ पर विराजमान हैं- हमारे संविधान में अनुच्छेद 246 है, जो संघ सूची और राज्य सूची को परिभाषित करता है; साथ ही समवर्ती सूची संविधान की सातवीं अनुसूची में निहित है। मैं यह क्यों कह रहा हूँ कि यह विधेयक विधायी सक्षमता से वंचित है, उसका कारण यह है कि इसकी खंड 3, मूल अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करती है। यह संशोधन राज्यों के अधिकारों का हनन करता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यह विधेयक विधायी सक्षमता के अभाव में लाया गया है। अब, यह खंड 3 संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। संघ सरकार को राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों, विशेषकर

अभिलेखों और सूचनाओं की उपलब्धता से संबंधित मामलों पर विधायी कार्य करने का अधिकार नहीं है। …*(व्यवधान)* मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : केवल माननीय जितेन्द्र सिंह जी का भाषण नोट होगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज, मैंने भी बिल को पूरा पढ़ा है।

... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, विडम्बना यह है कि बिना बिल पर चर्चा हुए, शायद बिना उसको पूरी तरह से पढ़े हुए, माननीय सदस्य इस पर अपनी निष्कर्ष एवं टिप्पणियां दे रहे हैं। [अनुवाद] हो सकता है कि मैं ओवैसी जी और प्रो. सौगत राय जी जितना विद्वान न होऊँ, लेकिन मैं इन सभी से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी समझ के अनुसार, वे इस विधेयक के अभी पुर:स्थापन के पक्ष में हैं, और जब इसे विचारार्थ लिया जाएगा, तब वे अपने उठाए गए प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यदि वे चाहते हैं कि मैं इस पर उत्तर दूँ, तो यह संपूर्ण चर्चा पर उत्तर देने के समान होगा, जो इस समय उचित नहीं होगा। …(*व्यवधान*)

डॉ. शशि थरूर : इसे स्थायी समिति को भेजा जा सकता है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: यदि इसे स्थायी समिति को भेजना भी आवश्यक हो, तो इसके लिए हमारे पास ठोस कारण होने चाहिए।…(*व्यवधान*)

अब मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं इस विषय पर विस्तृत चर्चा में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ऐसा करना विधेयक पर संपूर्ण चर्चा का उत्तर देने के समान होगा। अब यह कहा जा रहा है कि इसमें कम्पिटेंसी नहीं है, यह बिल सर्कुलेट ही नहीं हुआ। यह माननीय अध्यक्ष महोदय की निर्णय क्षमता और उनके पद की प्रामाणिकता को चुनौती देने के समान है। [हिन्दी] बिल सर्कुलेट हुआ। अध्यक्ष जी ने यह मुनासिब समझा कि इसको इन्ट्रोडक्शन

के लिए लाया जाए। आप यह भी मानने को तैयार नहीं हैं। आप बताइए इसका क्या उत्तर है? इसके बाद यह कहा जा रहा है कि आप उनकी सैलरीज में दखल दे रहे हैं। बिल तो यह कह रहा है कि आरटीआई एक्ट में रूल बनाने का प्रावधान नहीं था। [अनुवाद] हम बस इसे पुरःस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चर्चा के क्रम में इस पर आऊंगा। हम उस संशोधन पर भी चर्चा करेंगे जो सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है। [हिन्दी] सैलरी कितनी हुई है, इसकी तो अभी चर्चा ही नहीं हुई। सारे जमाने में जिसका जिक्र नहीं था, वह बात इन पर बड़ी नागवर गुजरी है। [अनुवाद] ओवैसी जी ने कैसे यह मान लिया है कि हम वेतन कम कर रहे हैं? यह तो चर्चा में होगी। ... (व्यवधान) तीसरा, शशि थरूर जी ने ठीक ही बताया है कि यह एक सांविधिक निकाय है। अब यदि हम यह स्वीकार करते हैं कि यह एक वैधानिक निकाय है, तो फिर इसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।...(*व्यवधान*) मुझे पूरा करने दीजिए। ...(*व्यवधान*)

महोदय, वे सभी विधि के गहन जानकार हैं, लेकिन एक सामान्य संसद सदस्य के नाते, मैं आपकी अनुमति से कुछ न्यायिक निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनकी आवश्यकता मुझे विधेयक की केवल प्रस्तावना के दौरान नहीं प्रतीत हुई थी। मेरा उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि एक वैधानिक न्यायाधिकरण या आयोग और एक न्यायिक निकाय में क्या बुनियादी अंतर होता है। इस संदर्भ में, मैं गुजरात राज्य बनाम गुजरात राजस्व न्यायाधिकरण प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का हवाला देना चाहूंगा, जो इस अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। ...(*व्यवधान*) [हिन्दी] उस विषय पर भी आते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को मौका देता हूं। आप बार-बार खड़े होंगे तो इस तरीके से चेयर से परमिशन नहीं मिलेगी। आप इन्टरप्ट न करें।

... (<u>व्यवधान)</u>

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप हमको बोलने नहीं देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पूरा मौका देता हूं।

... (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, क्योंकि यह बिल अभी इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर है, केवल धारणा दूर करने के लिए, यह तय हो चुका है। [अनुवाद] यह विषय न्यायालय में कई बार चर्चा का विषय बन चुका है, न कि केवल एक बार, बल्कि बार-बार यह प्रश्न उठाया गया है कि:

"एक प्राधिकरण को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण कहा जा सकता है यदि उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, लेकिन इसे एक न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता।"

इसलिए, यह एक सांविधानिक निकाय है। आप इसे उच्चतम न्यायालय से कैसे तुलना कर सकते हैं? आप इसे एक निर्वाचित निकाय से कैसे तुलना कर सकते हैं? मैं इसमें अधिक नहीं जाना चाहता क्योंकि हमारे पास इस पर चर्चा करने के लिए बहुत समय है।

एक व्यक्ति जो इस मामले में किसी न्यायाधिकरण या आयोग का प्रभार संभाल रहा है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस मामले में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष समानता या विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता, न ही वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष हो सकता है। यह वर्ष 1997 के चंद्र कुमार बनाम भारत के संघ से है। तो, ये ऐसी बातें हैं जिनमें मैं आज विस्तार से नहीं जा रहा हूं। मैं इसमें बाद में आऊंगा।

अब मैं पुनः विषय पर वापस आता हूँ।

जहां तक मोदी सरकार की बात है तो हमारी प्रतिबद्धता पर कोई अंगुली न उठाए, कोई संदेह न करे। आपको याद होगा, वर्ष 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद प्रधान मंत्री जी ने हमे यह मंत्र दिया था 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' उसके लिए पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और ईज ऑफ गवर्नेंस अनिवार्य है। इस संशोधन का उद्देश्य आरटीआई अधिनियम की संस्थागत स्थिति सुनिश्चित करना, उसे सुव्यवस्थित करना और सेवाओं की उपलब्धता को आसान बनाना है। आपके द्वारा कही गई बातों के विपरीत, यह वास्तव में

आरटीआई ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। इसमें आरटीआई में कोई हस्तक्षेप नहीं है। [हिन्दी] अब हुआ यह है, जो मैं कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सोचा पहले दिन से ही विवाद शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें इस पर दो दिन झगड़ा करना है। या तो उत्साह था जल्दी-जल्दी आर.टी.आई. बनाने का या शायद समय का अभाव था, इसलिए नियम बनाए ही नहीं गए। अब इसमें हमारा क्या कसूर है। हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: संसद को नियम बनाना चाहिए न कि आपको। ...(*व्यवधान*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: हम संसद में आए हैं। ...(*व्यवधान*) नहीं, मैं बोलने का अवसर नहीं दूंगा। ...(*व्यवधान*) आप संसद का हिस्सा हैं। हम आपके पास आए हैं। क्या आप संसद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। [हिन्दी] अब उस अफरा-तफरी में नियम बनाए ही नहीं गए और यह अधिकार भी नहीं रखा कि नियम बनाने हैं कि नहीं बनाने। [अनुवाद] इसलिए, हम एक संशोधन ला रहे हैं। दूसरे शब्दों में, इसे संक्षेप में कहने के लिए, मैं कहूंगा कि यह प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए एक सक्षम कानून है।

जहां तक यह कहा गया कि परामर्श नहीं हुआ, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के साथ उचित परामर्श किया गया। [हिन्दी] अब यह कहा जा रहा है कि... (व्यवधान) आपके पास आए है, तभी तो इंट्रोड्यूज करवा रहे हैं। कंसलटेशन के लिए ही तो आए हैं। हमने पिछले पांच साल में आर.टी.आई. एक्ट को और ज्यादा प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। हमने आर.टी.आई. का पोर्टल बना दिया। आप क्या छोड़कर गए थे? 10 से 5 आर.टी.आई. होती थीं। आज आपको अपने मोबाइल एप से 24 घंटों में कभी भी ज्ञानोदय होता है तो आप आर.टी.आई. कर सकते हैं। यह हमने पांच साल में किया है। हम पर कौन आरोप लगा सकता है कि हमने आर.टी.आई. को कमजोर किया है। हमने इसको ऑनलाइन किया। इसे आज देश-विदेश में बैठे हुए कर सकते हैं। आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 4 आप लाए थे जो कहती है कि 'सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना का *स्वत: आदान-प्रदान'* नहीं हो रहा है, आज देखें हमारी वेबसाइटें इतनी भिन्न हैं। डी.ओ.पी.टी. में भी किसी

अधिकारी का आर्डर होता है तो उसको उसकी प्रति बाद में पहुंचती है, उससे पहले वेबसाइट्स पर आ जाती है। नई बिल्डिंग हमने बनाई। आप कह रहे है कि आर.टी.आई. पहले प्रभावी था। एक ऐसा समय भी आया कि चार-चार सदस्यों के साथ कमीशन चलता था, आपके जमाने में तो ऐसा नहीं हुआ, फिर एक ऐसा समय आया कि एक लीडर ऑफ दी अपोजिशन होना चाहिए। चयन समिति में विपक्ष के नेता का होना आवश्यक है। हमने इस दिशा में अतिरिक्त प्रयास किया है। हमने कहा कि कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमने कहा कि सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदस्य बनाया जाए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया, उसके बाद भी आप कह रहे हैं तो विधेयक पुरःस्थापित किया जाए। जो भी होगा, हम चर्चा करेंगे और मैं खुले दिल से कहता हूं, हम सरकार को नियम बनाने के लिए अधिकृत करने के लिए यह संशोधन ला रहे हैं। उसमें आपके जो भी सुझाव होंगे कि किस तरह की सैलेरी होगी, किस तरह का टेन्योर होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप इसे स्थायी समिति के पास भेज दीजिए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह: नहीं। हमें क्यों भेजना चाहिए? पहले हम चर्चा करते हैं।

आप मुझे बताइए, आप इस असंगति को कैसे सही ठहरा सकते हैं? केंद्रीय सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर हैं। …(*व्यवधान*) कृपया सुनें। …(*व्यवधान*) ओवैसी *साहेब*, समस्या यह है कि आप पूरे वाक्य को सुनने से पहले प्रतिक्रिया करते हैं। [हिन्दी] उसकी अगर जजमेंट को चेलेंज करना हो तो आप हाईकोर्ट को चैलेंज करते हैं। क्या कभी दुनिया भर में ऐसा हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल की जजमेंट को अपोज किया जा रहा है। [अनुवाद] यह वही अधिनियम है जो आपने बनाया है। आपने एक अव्यवस्थित अधिनियम बनाया है और हम इसे संशोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक अव्यवस्थित अधिनियम है और इसे जल्दबाजी में किया गया है। आपने सूचना आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का दर्जा दिया, और साथ ही, अपील के प्रावधान को उच्च न्यायालय के पास छोड़ दिया। [हिन्दी] इसका कोई

जवाब देगा। हम उसमें सुधार ला रहे हैं।... [अनुवाद] (*व्यवधान*) शशिजी, मैं यह बात खुले मन से कह रहा हूं। …(*व्यवधान*) जो आप कह रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। हम खुले मन से सोच रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसे सुधारने के लिए, इसे सुव्यवस्थित करने और इसे अधिक संस्थागत बनाने के लिए, हम इसे शामिल करेंगे, लेकिन हमें इन विसंगतियों को सही करना होगा।

अचानक, हम ऐसा नहीं कर सकते। …(*व्यवधान*) हम संसद में आवश्यक अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हैं।…(*व्यवधान*)।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

... (<u>व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: महोदय, मैं मत विभाजन चाहता हूँ। …(*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.40 बजे</u>

इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, कुँवर दानिश अली, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, श्री मोहम्मद फैजल और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश-कक्ष खाली कर दिए जाएं -

अब प्रवेश-कक्ष खाली हो गए हैं।

मत-विभाजन के बारे में घोषणा

माननीय अध्यक्ष : महासचिव।

महासचिव : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि चूंकि सदस्यों को अभी तक मत विभाजन संख्या का आबंटन नहीं किया गया है। अत: स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग मशीन द्वारा मत-विभाजन कराना संभव नहीं है। अब मत-विभाजन नियम 367 एए के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

सदस्यों को अपने मत दर्ज करने के लिए उनके स्थान पर 'हां' या 'नही' मुद्रित पर्चियां दी जाएंगी। 'हां' वाली पर्चियां हरे कागज पर हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में एक ओर छापी गई हैं और 'नहीं' वाली पर्चियां पीछे गुलाबी कागज पर छापी गई हैं। सदस्य पर्चियों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर और अपना नाम, पहचान पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एवं तिथि साफ अक्षरों में लिखकर अपनी पसंद का मत दर्ज करें। जो सदस्य 'मतदान में भाग न लेने वाला' मत दर्ज कराना चाहते हैं, वे 'मतदान में भाग न लेने वाली' पीले कागज में छापी गई पर्ची मांग सकते हैं। अपना मत दर्ज करने के तत्काल बाद प्रत्येक सदस्य अपनी पर्ची मत विभाजन अधिकारी को देंगे, जो उनके स्थान पर उन पर्चियों को लेने आएंगे तथा उन्हें सभा पटल के अधिकारियों को सौंप देंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे मत-विभाजन के लिए केवल एक पर्ची को ही भरें।

सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि मत-विभाजन अधिकारियों द्वारा पर्ची एकत्र किए जाने के पश्चात् ही अपना स्थान छोड़ें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान दी जाए।"

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, डिविजन।

माननीय अध्यक्ष : अब मतदान।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

मत-विभाजन **पक्ष में** **अपराह्न 12.50 बजे**

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहलुवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनुराधा, श्रीमती चिंता

बचेगौडा, श्री बी.एन.

बहेड़िया,श्री सुभाष चंद्र

बालियान, डॉ. संजीव

बापट, श्री गिरीश भालचन्द्र

बारणे, श्री श्रीरंग आप्पा

बसवराज, श्री जी.एस.

बेनीवाल, श्री हनुमान

बे, श्री होरेन सिंह

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री सुदर्शन

भार्गव, श्री रमाकान्त

भाटिया, श्री संजय

भट्ट, एडवोकेट अजय

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

बिधूड़ी, श्री रमेश

बिसेन, डॉ. ढाल सिंह

बिसाई, श्रीमती प्रमिला

बिष्ट, श्री राजू

बोहरा, श्री रामचरण

चाहर, श्री राजकुमार

चटर्जी, श्रीमती लॉकेट

चौधरी, श्री पी.पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री प्रदीप कुमार

चौधरी, सुश्री देबाश्री

चौहान, श्री देवुसिंह

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री भागीरथ

चौधरी, श्री चंद्र प्रकाश

चौहान, श्री निहाल चन्द

डाभी, श्री भरतसिंहजी शंकरजी

दामोर, श्री गुमान सिंह

दास, श्री पल्लब लोचन

डेलकर, श्री मोहनभाई सांजीभाई

देवरायालू, श्री लावू श्रीकृष्णाा

देवेन्द्रप्पा, श्री वाई.

देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा

देवी, श्रीमती रमा

धर्मापुरी, श्री अरविंद

दिलेर, श्री राजवीर

दुबे, डॉ. निशिकांत

दुबे, श्री विजय कुमार

दुग्गल, सुश्री सुनीता

फिरोजिया, श्री अनिल

गद्दीगौदर, श्री पी. सी.

गडकरी, श्री नितिन जयराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गाव, श्री तापिर

घोष, श्री दिलीप

गोगोई, श्री तपन कुमार

गुप्ता, श्री संगम लाल

हेमामालिनी, श्रीमती

हेम्ब्रम, श्री कुनार

ईरानी, श्रीमती स्मृति जूबिन

जाधव, डॉ. उमेश जी.

जादौन, डॉ. चन्द्र सेन

जयसवाल, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनागि, श्री रमेश चन्दप्पा

जोल्ले, श्री अण्णासाहेब शंकर

जोशी, श्री सी. पी.

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कैसर, चौधरी महबूब अली

कस्वां, श्री राहुल

कटारा, श्री कनकमल

कटील, श्री नलीन कुमार

खान, श्री सौमित्र

खेर, श्रीमती किरण

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्रीमती रंजीता

श्री श्रीधर कोटागिरी

श्री मनोज कोटक

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, श्री बंदी संजय

कुमार, श्री नरेन्द्र

कुमार, श्री पी. रविन्द्रनाथ

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री विजय

कुमारी, सुश्री दीया

श्री रविन्दर कुशवाहा

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज

श्री विद्युत बरन महतो

श्री ज्योतिर्मय सिंह मह

श्री भर्तृहरि महताब

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो

माझी, श्री रमेश चन्द्र

मजूमदार, डॉ. सुकांन्त

श्री कृपानाथ मल्लाह

मल्लिक, डॉ. राजश्री

मंडल, श्री अजय कुमार

श्री रामप्रीत मंडल

मंडल, श्रीमती मंजुलता

मण्डावी, श्री मोहन

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे

मौर्य, डॉ. संघमित्रा

मीना, श्रीमती जसकौर

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मेंढे, श्री सुनील बाबूराव

मोहन, श्री पी. सी.

मुंडा, श्री अर्जुन

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव

मुनिस्वामी, श्री एस.

मुंजपरा, डॉ. (प्रो.) महेन्द्र

मुर्मु, कुमारी चन्द्राणी

मुर्मु, श्री खगेन

नगर, श्री रोड़मल

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री प्रवीण कुमार

ओझा, श्रीमती क्वीन

पचौरी, श्री सत्यदेव

पाल, श्री कृष्ण

पाण्डेय, श्री संतोष

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री कमलेश

पटेल (बकाभाई), श्री मितेष

पटेल, डॉ. के.सी.

पटेल, श्री देवजी

पटेल, श्री गजेन्द्र उमराव सिंह

पटेल, श्री हँसमुखभाई सोमभाई

पटेल, श्री आर.के. सिंह

पटेल, श्रीमती केशरी देवी

पटेल, श्रीमती शारदा अनिल

पाठक, श्री सुब्रत

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटिल, श्री संजय काका

पवार, डॉ. भारती प्रवीण

फोज़, डॉ. लोरहो

पिंटू, श्री सुनील कुमार

पुजारी, श्री सुरेश

राय, श्री नित्यानंद

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री विष्णु दयाल

राणा, श्रीमती नवनीत रवि

रंजन, डॉ. आर. के.

राठौड़, श्री रतनसिंह मगनसिंह

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

रथवा, श्रीमती गीताबेन वी.

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्री अशोक कुमार

रेडेप्पा, श्री एन.

रेड्डी, श्री जी. किशन

राय, डॉ. राजदीप

सागर, श्री अरुण कुमार

साहू, श्री महेश

साहू, श्री चन्द्र शेखर

साई, श्रीमती गोमती

शइकीया, श्री दिलीप

सिनी, श्री नायब सिंह

संगमा, कुमारी अगाथा के.

साव, श्री अरूण

सारंगी, श्री प्रताप चंद्रा

सारंगी, श्रीमती अपराजिता

सरस्वती, श्री सुमेधानंद

सरकार, डॉ. सुभाष

सरकार, श्री जगन्नाथ

सरुता, श्रीमती रेणुका सिंह

सेठ, श्री संजय

सेठी, श्रीमती शर्मिष्ठा

शाह, श्री अमित

शाह, श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी

शर्मा, श्री अनुराग

शर्मा, श्री जुगल किशोर

शर्मा, श्री विष्णु दत्त

शेजवलकर, श्रीविवेक नारायण

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल रमेश

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

श्रंगारे, श्री सुधाकर तुकाराम

शियाल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिंह 'ललन', श्री राजीव रंजन

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, जनरल (सेवानिवृत) डॉ. वी. के.

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. सत्य पाल

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री बृजेन्द्र

सिंह, श्री धर्मबीर

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री महाबली

सिंह, श्री प्रदीप कुमार

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राजबहादुर

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्रीमती कविता

सिंहा, श्री जयंत

सोलंकी, डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई

सोलंकी, श्री महेंद्र सिंह

सोनी, श्री सुनील कुमार

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोरेन, श्री सुनील

सुब्बा, श्री इंद्र हंग

सुमन, डॉ. आलोक कुमार

स्वामीजी, डॉ. जय सिधेश्वर शिवाचार्य

तेली, श्री रामेश्वर

ठाकुर, श्री गोपाल जी

ठकुर, श्री अनुराग सिंह

त्रिपाठी, डॉ. रमापति राम

त्रिपुरा, श्री रेबती

टुडु, इंजीनियर बिश्वेश्वर

तुमाने, श्री कृपाल बालाजी

उइके, श्री दुर्गा दास

वर्धन, डॉ. हर्ष

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री प्रवेश साहिब सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा अरुण

यादव, श्री गिरिधारी

यादव, श्री कृष्णा पाल सिंह

यादव, श्री मुलायम सिंह

यादव, श्री राम कृपाल

येपथोमी, श्री तोखेहो

विपक्ष में 'ना' वाले

ज़लील, श्री सय्यद ईमत्याज

नटराजन, श्री पी.आर.

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पसुनूरी, श्री दयाकर

पोथुगन्ती, श्री रामुलु

रेड्डी, श्री कोथा प्रभाकर

थिरुमावलवन, डॉ. थोल

वसंतकुमार, श्री एच.

वेंकटेशन, श्री एस.

मतदान में भाग नहीं लिया

शून्य

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: मत विभाजन का परिणाम यह है:

हाँ: 224

नहीं : 9

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक पुर:स्थापित करें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: प्रवेश कक्ष खोल दिया जाए।

<u>अपराह्न 12.59 बजे</u>

मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय अध्यक्ष : आइटम न: 14, माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): अध्यक्ष जी, मैं श्री अमित शाह की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>अपराह्न 01.00 बजे</u>

अध्यक्ष महोदय, मानव और मानवता के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. को और ज्यादा सक्षम और व्यापक बनाने के लिए तथा आयोग में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यह प्रस्ताव है। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, सिविल सोसाइटी की भागीदारी बनाना, विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रावधान में अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त को मानव सदस्य के रूप में सम्मिलित करना है। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष को भी इसका पात्र बनाया है, इसका प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. तथा एस.एच.आर.सी. के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को 5 वर्षों से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव है। एस.एच.आर.सी. के लिए सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अध्यक्ष का पात्र बनाने का प्रस्ताव है। दिल्ली के सिवाय संघ राज्य क्षेत्रों के मानव अधिकारों से जुड़े कार्य राज्य आयोगों को प्रदान करने का प्रस्ताव है। एन.एच.आर.सी. की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए, इसके महासचिव एस.एच.आर.सी. के सचिव को पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है।

महोदय, इन प्रस्तावों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य के मानव अधिकार आयोग को अधिक शक्ति प्रदान कर मानव के अधिकारों को और संरक्षित करने और उसको न्याय देने का यह प्रस्ताव है।

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> **"**कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 18 दिसंबर, 1993 को जब इस लोक सभा ने पहली बार मानवाधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा की और इसे स्वीकार किया, तब इस विधेयक के समर्थन में बोलने वाले पहले प्रमुख वक्ताओं में मेरे सम्माननीय पूर्व नेता, तिरुवनंतपुरम से संसद के सदस्य श्री ए. चार्ल्स थे, जो इस सीट से तीन बार चुनाव जीतने वाले मेरे अलावा एकमात्र व्यक्ति हैं। इसलिए, एक उत्तराधिकारी के रूप में, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोगों की मूल भावना का समर्थन करने हेतु इस सदन में उपस्थित हूँ।

<u>अपराह्न 01.03 बजे</u> (श्री राजेन्द्र अग्रवाल *पीठासीन हुए*)

महोदय, नवम्बर 2016 में संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यायन उप-समिति की रिपोर्ट में हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यप्रणाली के तरीके को लेकर कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई थीं। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की मान्यता प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, क्योंकि हम 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत पेरिस सिद्धांतों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सुधार करने का वचन दिया था। इसी आश्वासन के आधार पर, 2017 में हमें 'ए' श्रेणी का पुनः प्रत्यायन प्राप्त हुआ। इस कारण सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश किया है।

इसलिए, इस विधेयक का उद्देश्य उस आश्वासन को पूरा करना है जो हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दिया था, कि हम अपने मानवाधिकार आयोग को मजबूत करेंगे और उसे पेरिस सिद्धांतों के मानकों के अनुसार सुधारेंगे।

जैसा कि हम कानून निर्माता हैं, हमें यह चिंतित होना चाहिए कि क्या यह विधेयक अपने उद्देश्य को पूरा करता है या जो इसे करना चाहिए था, क्या वह कार्य कर रहा है। क्या यह विधेयक पेरिस सिद्धांतों के

अनुरूप है और क्या यह वास्तव में मानवाधिकार आयोग को हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में मजबूती प्रदान करता है, जैसा कि हमारे संविधान में निहित है?

मुझे डर है कि यह विधेयक दोनों मामलों में छह विशिष्ट कारणों से विफल हो जाता है, जिन्हें मैं इस सभा के समक्ष रखना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्वायत्तता की कमी है। तथ्य यह है कि पेरिस सिद्धांतों की सबसे आवश्यक विशेषता किसी देश में एक स्वायत्त और स्वतंत्र मानवाधिकार आयोग है। हमारे स्वयं के उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक 'निरर्थक बाघ' की तरह है यानी केवल दिखावे के लिए मौजूद है क्योंकि सरकार इसके सुझावों और निर्देशों की अवहेलना करती है। मार्च 2017 तक, आयोग के पास 32,085 मामले लंबित थे, जिनमें से 29,548 मामले या तो संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा में थे या प्राप्त रिपोर्टें आयोग द्वारा विचार के लिए लंबित थीं।

प्राधिकृत अधिकारी आयोग को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं। आयोग ने इसे स्वीकार किया और सरकार से अनुरोध किया कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह उन सरकारी कर्मचारियों को दंडित कर सके जो आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करते, विशेष रूप से जो समय पर स्वतंत्र रिपोर्ट जमा करने में विफल रहते हैं। इस विधेयक में इस सिफारिश की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। मानवाधिकार आयोग ने स्वयं हमारी सरकार को ऐसा करने के लिए कहा है और हमारी सरकार ने इसे नजरअंदाज किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव सरकारी सदस्य होते हैं और जांच टीमों में विभिन्न राज्य सरकारों के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। एस.सी.ए. ने सरकार को यह सुझाव दिया था कि महासचिव के पद को ऐसे व्यक्तियों के लिए भी खोला जाए जो सिविल सेवक न हों; जैसे कि मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले अधिवक्ता। साथ ही, जांच टीमों में पुलिस बल के अलावा अन्य पेशेवरों को शामिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन इस विधेयक में इन सुझावों में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यह कार्य करना न केवल अत्यंत सहज था, बल्कि इससे संयुक्त राष्ट्र भी संतुष्ट होता, क्योंकि यह संकेत देता कि हम अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से, हमने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। प्रस्तुत विधेयक

केवल अधिक नौकरशाहों, अधिक पुलिस बल और सरकार के बढ़ते नियंत्रण का प्रतीक मात्र बनकर रह गया है।

मेरी दूसरी आपत्ति कार्यकाल कम करने पर है। यह विधेयक अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्षों से घटाकर तीन वर्ष कर देता है, और इस निर्णय के पीछे कोई स्पष्ट कारण या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यकाल को घटाने और सदस्यों तथा कर्मचारियों में अधिक बार बदलाव होने से मानवाधिकार आयोग की कार्यप्रणाली में असंगतता आ सकती है। इसके अलावा, इससे आयोग द्वारा की जाने वाली दीर्घकालिक जाँचों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी जाँचें प्रायः तीन वर्षों से अधिक समय ले सकती हैं।

मेरी तीसरी आपत्ति पुनर्नियुक्ति की पात्रता को लेकर है। वर्तमान विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के पश्चात पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। अतः यह आशंका निर्मूल नहीं है कि कुछ सदस्य पुनर्नियुक्ति की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के प्रति पक्षपातपूर्ण रुख अपना सकते हैं। दुनिया भर में सामान्य प्रथा लंबी अवधि के लिए है, लेकिन एक कार्यकाल निर्धारित करना है, ताकि किसी को भी सरकार को संतुष्ट करने की कोई इच्छा न हो ताकि फिर से नियुक्त किया जा सके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्रता को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, खासकर जब इस सरकार ने सत्तारूढ़ दल के उपाध्यक्षों में से एक को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की कोशिश की थी और अंत में नागरिक समाज समूहों ने इस तरह का आंदोलन किया और उच्चतम न्यायालय में गए, तो उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हमें स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजनेताओं को मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने से रोका जाए और निश्चित रूप से यह विधेयक ऐसा नहीं करता है।

मेरी अगली आपत्ति पदों की रिक्तियों पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग लंबे समय तक रिक्त पदों से जूझ रहे हैं, जो बहुत समय तक खाली रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार

आयोग के अध्यक्ष का पद लगभग आठ महीने के लिए खाली छोड़ दिया गया था। हम शायद आर.टी.आई. पर ठीक से चर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन सूचना आयोगों में भी पद उसी तरह से रिक्त रखे गए थे; लोकपाल का कार्यालय पांच साल के लिए रिक्त रखा गया था। वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के डीजी (जांच) का पद 2014 से तीन वर्षों तक रिक्त रखा गया था, जब तक कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को नियुक्ति न करने के कारण फटकार नहीं लगाई। इस विधेयक में समयबद्ध नियुक्तियों के लिए प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन यह ऐसा नहीं करता है। इस प्रकार, एक विरोधी सरकार संविधान को निष्क्रिय बना सकती है, जिससे पदों को अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक खाली रखा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे आरटीआई अधिनियम को आयुक्तों की नियुक्ति न करने और मामलों को लंबित छोड़ने से कमजोर किया गया है, उसी प्रकार यही समस्या मानवाधिकार आयोग के साथ भी उत्पन्न हो सकती है।

मेरी पांचवीं आपत्ति कानूनी प्रतिबंध को हटाने को लेकर है। अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अधिनियम की धारा 36(2) में संशोधन करने की सिफारिश की थी, क्योंकि यह आयोग को घटना की तारीख से एक वर्ष के भीतर मानवाधिकार उल्लंघन का संज्ञान लेने से रोकता है। समस्या यह है कि इस विधेयक ने इस सिफारिश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है। इसलिए, आयोग किसी उल्लंघन का संज्ञान नहीं ले सकता, जिसे विभिन्न उचित कारणों से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के दौरान इसकी सूचना नहीं दी गई होगी।

अंत में, यह विधेयक मानवाधिकार आयोग को स्पष्टता प्रदान करने में विफल रहा है। अधिनियम की धारा 30 सरकार को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को संभालने के लिए प्रत्येक जिले में मानवाधिकार अदालतों की स्थापना करने का अधिकार देती है।

लेकिन यह अधिनियम इन अदालतों के अधिकार क्षेत्र की स्पष्टता प्रदान नहीं करता, जिसके परिणामस्वरूप बहुत कम मानवाधिकार अदालतें स्थापित की जा सकी हैं, और इस कारण मानवाधिकार आयोग के पास शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

वर्ष 2016 में, मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की थी कि अदालतों के बारे में इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाए, लेकिन विधेयक द्वारा इसकी भी अनदेखी की गई है।

इसलिए, मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह विधेयक खंडित और दिखावटी है। यह समस्या की सतह को भी छूता नहीं है जिसके कारण हमें शुरू में हमारे प्रत्यायन से वंचित कर दिया गया था। मंत्री जी को इसे वापस लेना चाहिए और उन विशिष्ट खामियों को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान लाने चाहिए, जिन्हें मैंने सूचीबद्ध किया है। यह विधेयक मानवाधिकार आयोगों और राज्य मानवाधिकार आयोगों में भी सुधार का एक स्वर्णिम अवसर हो सकता था, लेकिन यह एक निराशाजनक प्रयास साबित हुआ है। और अधिक चिंताजनक बात यह है, महोदय, जब संयुक्त राष्ट्र उप-समिति इसे देखेगी, तो एक वास्तविक डर है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।

मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आई थी, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष निगरानीकर्ता, मेरे पुराने मित्र श्री हर्ष मंदर, असम गए और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की जो यह दर्शाते हैं कि डिटेंशन सेंटर्स, जहाँ कथित विदेशी नागरिकों को रखा गया है, वहाँ बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। कहा जाता है कि इन आधिकारिक रिपोर्टों में से दो केंद्र सरकार को भेजी गई थीं और एक स्वतंत्र रिपोर्ट उन्होंने सार्वजनिक की थी। लेकिन इन सभी रिपोर्टों की सरकार ने अनदेखी की। इसके विरोध में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब मुझे असम में 57 लोगों की पुष्टि की गई सूची प्राप्त हुई है जिन्होंने एनआरसी से बाहर किए जाने के कारण आत्महत्या कर ली है। विडंबना यह है महोदय कि इनमें से अधिकांश लोग हिंदू हैं और उन्होंने आत्महत्या की है।

मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं: क्या वे एन.आर.सी. सूची में भारत के नागरिकों के शामिल न होने से संबंधित मूलभूत चिंताओं के प्रति सचेत हैं? अनेक लोग अपनी जन्मतिथि या कॉलेज की डिग्री प्रमाणित नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मंत्रियों ने भी ऐसा करने में असमर्थता दिखाई है। ऐसे में, केवल इस आधार पर कि कोई अपनी जन्मतिथि प्रमाणित नहीं कर सकता, उसे इस देश के मौलिक अधिकारों से वंचित कर देना

किस प्रकार न्यायसंगत हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये वे लोग हैं जिन्होंने यह विश्वास किया था कि अपने जीवनकाल तक उन्हें भारत में रहने का अधिकार है, और यह मानवाधिकारों का एक घोर उल्लंघन है।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मानवाधिकार रिपोर्टों या इस प्रकार की विशेष रिपोर्टों के आधार पर कोई कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं, तो अंततः मानवाधिकार आयोग में सुधार करने का दावा करने का उद्देश्य ही क्या है?

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि यह अत्यंत विडंबनापूर्ण है कि हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को सशक्त बनाने की चर्चा कर रहे हैं, जबकि कुछ ही दिन पूर्व अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग ने इस सरकार द्वारा देश के दो सबसे प्रसिद्ध, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकार रक्षकों — वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर — की आवाज को दबाने के प्रयास की कड़ी निंदा की है। ये दोनों अधिवक्ता फुटपाथवासियों, कैंसर रोगियों, महिलाओं, यौन अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्षों से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।

ऐसे समय में जब हार्वर्ड लॉ स्कूल मानवाधिकार अधिवक्ता सुधा भारद्वाज को उनके काम के लिए सम्मानित कर रहा था, हमारी सरकार उन्हें और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने में व्यस्त थी। जब यह सरकार जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोकने में असफल रही, तब एक पर्यावरण कार्यकर्ता को विमान से उतारने के प्रयास में उसने अत्यधिक तत्परता दिखाई जिसके लिए अंततः उसे दिल्ली उच्च न्यायालय की फटकार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार की घटनाओं की सूची बहुत लंबी है। मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा लेकिन आप भली-भांति जानते हैं कि ऐसे अनेक उदाहरण और भी हैं।

यह हमारे देश में मानवाधिकारों के लिए अनेक दृष्टियों से एक अंधकारमय समय है। मैं हमारे मानवाधिकार रक्षकों से आग्रह करता हूँ कि वे राष्ट्र की अंतरात्मा के संरक्षक बनकर अपने संघर्ष को निरंतर जारी रखें। साथ ही, मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि वह पेरिस सिद्धांतों की भावना और उनके अनुरूप जिन अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करना आवश्यक है, उन्हें आप जो विधेयक लेकर आएँ, उसमें स्पष्ट रूप से

प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। मैं आपको यह विधेयक वापस लेने का सुझाव दूँगा। कृपया उन बिंदुओं पर ध्यान दें, जो मैंने उठाए हैं। ये सभी बिंदु आपको इस विधेयक को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वीकृति दिलवाने में मदद करेंगे। फिर आप इसे इस सदन में फिर से पेश कर सकते हैं। हम इसे सहानुभूति के साथ देखेंगे, क्योंकि इस पक्ष में हम मानवाधिकारों में विश्वास रखते हैं। जहाँ तक हमारी बात है, हम एक दिन जीतेंगे। तब तक हमें इस देश में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष को जारी रखना होगा, और उस संघर्ष की लौ को जलाए रखना होगा। मैं यह बात दूसरे पक्ष के सज्जनों से भी कहूँगा, कृपया इस संघर्ष की लौ को बुझाने की कोशिश न करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय सभापति महोदय, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ-साथ मैं अपनी पार्टी को भी विशेष धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इस विषय पर अपने विचार रखने का अवसर दिया।

महोदय, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वैसे भी इस संशोधन विधेयक के अंदर ऐसी विरोध करने वाली कोई बात नहीं है। डॉ. शशि थरूर जी ने कुछ पाइंट रखे हैं। इंटरनेशनल कॉवेनेंट के आधार पर, जो पेरिस में मीटिंग हुई है, उसके आधार पर भी भारत सरकार इस विधेयक को लाई है। लगभग पिछले तीन दशकों का जो अनुभव रहा है कि किस प्रकार से हमारे मानव अधिकार आयोग काम करते रहे हैं, चाहे वह केन्द्र में हो या चाहे राज्यों में हो, क्या उसमें महसूस किया गया? डॉक्टर शशि थरूर जी ने जो बातें कहीं हैं, उनमें कुछ बातें जरूर सही हैं। मामलों का लंबित रहना और अक्षमता, लेकिन उससे इस बात को कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। मैं बाद में उसके ऊपर भी आऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है कि जो ग्लोबल अलाइंस नेशनल ह्यूमेन राइट्स इंस्टीट्यूशन्स का हुआ है, उसके आधार पर उसकी कन्फर्मिटी में भारत सरकार इस बिल को ला रही है। यह बात सही है कि कई बार चाहे नेशनल ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो या स्टेट ह्यूमेन राइट्स कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सेंटर में जरूरत है या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की स्टेट में जरूरत है। कई बार वह नहीं मिलते हैं। यह बहुत ही बड़ी प्रैक्टिकल प्राब्लम है। उसके कारण जो जगह थी, वह कई बार खाली रही है। मैं इसके लिए भारत सरकार का बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इसके लिए किया है। जहां टेन्योर की बात है, जैसा कि डॉ. शशि थरूर जी कह रहे थे कि अधिकतर जो दूसरे कमीशन हैं, वहां पर जो तीन साल का टेन्योर है, उन आयोगों के अनुरूप वे इस आयोग में भी कार्यकाल कम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं मानव अधिकारों पर विचार करते समय इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर कुछ विचार रखना चाहता हूं, जो मुझे बहुत जरूरी लगता है। अभी श्री पी. पी. चौधरी जी यहां पर नहीं हैं, वर्ष 2015 में मुझे और श्री पी. पी. चौधरी जी को ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में सम्मेलन हुआ था, उसमें हमें बुलाया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मैग्नाकार्टा के ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कांफरेन्स था। वहां पर आने वाले अधिकतर स्पीकर्स, विशेष रूप से जो ब्रिटिश लोग थे, वे इस बात को कह रहे थे कि दुनिया के अंदर जब मानव अधिकारों पर जो मूल बात शुरू हुई थी, वह मैग्नाकार्टा से 1215 के अंदर शुरू हुई थी। मैं इंग्लैंड के अंदर लंदन में भी इस बात को कह रहा था कि जो मैग्नाकार्टा है, वह 800 साल पुरानी बात है। उससे हजारों-लाखों वर्ष पहले हमारे देश के अंदर इस नाम से नहीं था। यह बात जरूर है कि फ्रांस दुनिया का पहला देश था, जिसने 1789 में अपने यहां मानव अधिकारों के लिए किया, उसके बाद 1791 में अमेरिका आया, उसके बाद दो विश्व युद्ध हुए, उसमें यूनाइटेड नेशन्स ने ह्यूमेन राइट्स सहित 1948 के अंदर उन्होंने मानव अधिकार आयोग के गठन के बाद इसका डिक्लयरेशन किया था। मैं कह सकता हूं कि उसी की नकल करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह लिखा है कि जब डिस्कशन हुआ था कि अमेरिकन संविधान के आधार पर जो मानव अधिकार आयोग बना था, उसके आधार पर हमारे यहां पहले सात मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब छः रह गए हैं। भारत के संविधान में जो किया गया है, वह उसी के आधार पर उसमें किया गया था। इसलिए, मैं कह सकता हूं और यह बात सिद्ध है कि मानव अधिकारों की जो संकल्पना है, वह एक पश्चिमी संकल्पना है। हमारे देश और भारत की संस्कृति में इस प्रकार के संकल्पों को महत्व नहीं दिया गया है।

महोदय, मैं ऐसा कहना चाहता हूं और लोग इस बात को मानते हैं कि मानव इस सृष्टि की एक विलक्षण कृति है। उसकी विलक्षणता के पीछे का कारण, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है और हमारे शास्त्रकार यह कहते रहे हैं कि-

‘न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किंचित'।

सर्वश्रेष्ठता का आधार यह था कि मनुष्य अपने चिंतन और मनन के कारण, अपनी आज़ादी और सामाजिक व्यवस्थाओं के बीच में अपने अभ्योदन का विकास करता है, ऐसा हमारी संस्कृति ने माना था। हम ऐसा मानते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। हमारी भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों की संतान हैं। जो लोग यह कहते हैं कि वे बंदरों की औलाद हैं, मैं ऐसे लोगों की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।... (व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं। मैं और भारतीय संस्कृति यह मानती है कि हम ऋषियों और मुनियों की संतानें हैं।... (व्यवधान) जो लोग यह मानते हैं, मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं।... (व्यवधान) मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि... .(व्यवधान) मुझे अभी बोलने दीजिए।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

सुश्री महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर): यह विकास के सिद्धांत के खिलाफ है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह : महोदय, हमारी संस्कृति परंपरा में मनुष्य के निर्माण पर जोर दिया गया है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया बैठें।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : जब आपकी बारी आए, तब आप बोल सकती हैं। महुआ जी, कृपया बैठ जाइए। उन्हें बोलने दीजिए।

... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : सौगत दा, आप कृपया बैठ जाएं। कृपया, सहयोग कीजिए। सौगत दा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : महुआ जी, आपकी बारी आएगी। मैं रिकार्ड्स की जांच करूंगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैंने यह कहा कि हमारी संस्कृति ने मानव निर्माण के ऊपर... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान) ... [11]□

डॉ. सत्यपाल सिंह: जो लोग मानव अधिकारों की कीमत नहीं समझते, वे इस तरह से बीच-बीच में करते हैं। हमारी संस्कृति और परम्परा ने मनुष्य के निर्माण पर बल दिया । मानव अधिकारों के ऊपर नहीं, संस्कारों के बल पर एक मनुष्य को कैसे संस्कारवान बनाया जाए, कैसे अच्छे इंसान का निर्माण किया जाए, इस बात पर ज़ोर दिया। हमारी संस्कृति, वेद ने कहा कि मनुर्भव- अच्छे मनुष्य बनो, अच्छे मनुष्यों का निर्माण करो । ऐसे संस्कारों, धर्म के आधार पर सच्चा इंसान बनने और कर्तव्यपरायणता पर उन्होंने पर ज़ोर दिया। हमारा धर्म केवल यह नहीं कहता कि मन्दिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ। हमारी संस्कृति ने यह कहा कि धर्म उस चीज़ का नाम है कि-

श्रूयताम धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैव अनुवर्त्यताम्।

आत्मन: प्रतिकूलानि, परेषां न समाचरेत्॥

जो मैं अपने लिए नहीं चाहता हूँ, वह मैं दूसरे के प्रति भी न करूँ। अगर मैं यह चाहता हूँ कि मुझे कोई डिस्टर्ब न करे तो मैं दूसरे को भी डिस्टर्ब न करूँ। यह धर्म है। धर्म केवल मंदिर, मस्जिद और चर्च में जाने का

---

[11]* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नाम नहीं है। जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हम दूसरे के साथ करें, यही धर्म का नाम है। हमारे लोगों ने केवल धर्म के आधार पर बात नहीं की। 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' - दुनिया के सब लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:। सब स्वस्थ रहें। उन्होंने यह कहा कि केवल आदमी के लिए नहीं, हमारे वेदों ने इस बात की घोषणा की थी कि- 'मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे।' हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें, दोस्तों की दृष्टि से देखें। केवलमात्र मनुष्य को नहीं, लेकिन दुनिया के जितने प्राणी हैं, हम उन सब को मित्र की दृष्टि से देखें। हमने कभी भी मानव अधिकारों की बात नहीं की, कर्तव्यपरायण और अच्छे संस्कारों की बात की। हमने वसुधैवकुटुम्बकम् का नारा दुनिया को दिया। मैंने कहा कि यह जो संकल्पना है मानव अधिकारों की, यह पश्चिमी संकल्पना है। हम लोगों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आदमी त्याग करके भोग करे, बांट कर खाना सीखे। हम लोगों ने यह सोचा कि मानव इस सृष्टि का ट्रस्टी है। इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है, मानव उसका एक ट्रस्टी है। इसलिए चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़-पौधे हों, सब को उसमें उसका ट्रस्टी माना गया है।

सभापति महोदय, हजारों-लाखों लोगों का कत्ल करने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले, अत्याचार करने वाले जमीन-जायदाद और देशों पर कब्जा करने वाले ही बाद में मानव अधिकारों की बातें करने लगे। इस बात को इतिहास बताता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। इस बात को इतिहास बताता है कि जिन्होंने लाखों लोगों को मारा होगा, चाहे अमरीका का इतिहास देखिए, न्यूजीलैंड का इतिहास देखिए, आस्ट्रेलिया का इतिहास देखिए, यूरोप का इतिहास देखिए, जिन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को मारा है, ट्राइबल्स को मारा है, वही लोग बाद में मानव अधिकारों की बात करने लगे। जब तक कर्तव्यपरायणता की बात नहीं होगी तब तक हम लोग अधिकार लेकर क्या करेंगे? हम सब यहाँ पर ऐसा माहौल पैदा करने के लिए, ऐसा कानून बनाने के लिए बैठे हैं, ताकि हम मानव को अच्छा इंसान बनाने और उसके अधिकारों की रक्षा कर सके।

सभापति महोदय, आजकल के जो मानव अधिकार संगठन हैं, मैं अपने अनुभवों के आधार पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अलग-अलग नामों से मानव अधिकार संगठन काम करते हैं। इस देश के अंदर बहुत तरह

के संगठन हैं। कोई अखिल भारतीय के नाम पर हैं, मानव अधिकार के नाम पर कुछ संगठन हैं, कोई भ्रष्टाचार विरोधी हैं, कोई अपराध विरोधी हैं, कोई लॉयर्स के नाम पर हैं अलग-अलग नामों से ये संगठन हैं।

मैं ज्यादातर मानव अधिकार संगठनों के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। यह बात ऑन रिकॉर्ड है कि ज्यादातर मानव अधिकार संगठन फॉरेन फंडेड होते हैं। यह बात जरूर है कि पिछले 5 वर्षों में मोदी सरकार के कारण कुछ लोगों के धंधे बंद भी हुए हैं और हम लोगों को इस बात के लिए उनका अभिनन्दन करना चाहिए। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन सरकारी विभागों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस, फौज आदि के खिलाफ काम करते हैं। ये आतंकवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, नक्सलवादियों के खिलाफ कभी काम नहीं करेंगे, अपराधियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे और ये आरोपियों के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। ये बोलेंगे तो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे, हमारी संस्थाओं के खिलाफ बोलेंगे, पुलिस के खिलाफ बोलेंगे और उनको हतोत्साहित करने का काम करेंगे। ज्यादातर मानव अधिकार संगठन उनको डीमोरेलाइज करने का काम करते हैं। कोर्ट में जो केस दाखिल होते हैं, जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं, आतंकवादियों ने जिनको मारा है, ये मानव अधिकार संगठन उनके परिवारों के प्रति कभी नहीं बोलेंगे। ये अपनी ऐजेंसियों सीबीआई, आईबी पर बोलते हैं और इनके कर्मचारियों को डीमोरेलाइज करने, कमजोर बनाने का काम करते हैं।

महोदय, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ और ये बहुत ही शर्मनाक उदाहरण हैं। मेरी इन बातों को सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। मार्च, 1993 में मुम्बई में सीरियल ब्लास्ट हुए और उनमें 257 लोग मारे गए। इस घटना में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे, देश का नाम भी बदनाम किया गया। कुछ पॉलिटिकल लोग भी उसके पीछे थे और उन्होंने मानव अधिकार संगठनों को खड़ा कर दिया। मार्च के महीने में ये सीरियल ब्लास्ट हुए थे और अक्टूबर, 1993 में भारत सरकार में एन.एन. वोहरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। वोहरा कमेटी ने यह रिपोर्ट दी कि इसके पीछे कौन-कौन लोग हैं, इन सीरियल ब्लास्ट्स के पीछे कौन-कौन लोग हैं। राजनीति का किस प्रकार से अपराधीकरण किया गया, राजनेताओं, अधिकारियों, ब्यूरोक्रेट्स और मानव अधिकार संगठनों का किस प्रकार से नेक्सस रहा, उसके बारे में वह रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया, क्योंकि भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में निवेदन किया कि अगर हम लोग इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, तो हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा । इस देश को यह जानने की जरूरत है कि वे कौन लोग हैं, जो इसके पीछे थे। ये कौन लोग हैं, जिनका गैंगस्टरों से संबंध था और कौन से ऐसे संगठन थे। देश जानना चाहता है कि उसमें कौन-कौन लोग मिले हुए थे। हमारे गृह राज्य मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं निवेदन करूँगा कि ऐसे लोगों का नाम देश के सामने आना चाहिए। सबको मालूम हैं कि वर्ष 2013 में 13 दिसम्बर को इसी संसद के ऊपर हमला हुआ था। अफजल गुरु उसका मास्टरमाइंड था। वर्ष 2002 में बड़ा फास्ट ट्रैक रिव्यू हुआ, उस समय यहाँ माननीय अटल जी की सरकार थी और वर्ष 2002 में उसे फाँसी की सजा सुनाई गई। वर्ष 2002 से लेकर वर्ष 2013 तक ये मानव अधिकार संगठन और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसको पॉलिटिसाइज करती रहीं और वर्ष 2013 में जाकर उसको फाँसी लगी और तब भी लोगों ने कहा, फांसी राजनीति से प्रेरित है। ये मानव अधिकार संगठन ऐसे काम करते हैं। ऐसे-ऐसे आर्टिकल लिखे गए। याकूब मेनन वर्ष 1993 मुम्बई ब्लॉस्ट का एक मेजर आरोपी था। क्या कोई सोच सकता है कि टाडा का आरोपी, वर्ष 2007 में उसको फाँसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वर्ष 2015 में जाकर उसको फाँसी लगी। रात के 3 बजे, ऐसे हमारे लोग हैं, जैसा मैंने कहा, ये मजबूत संगठन हैं, ये मानव अधिकार संगठन हैं, हमारे ऐडवोकेट्स के अंदर भी कुछ इस प्रकार के लोग हैं, किसी साधारण, सज्जन आदमी के लिए रात के 3 बजे आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं खुला, एक आतंकवादी याकूब मेनन के लिए रात के 3 बजे हमारा सुप्रीम कोर्ट खुलता है। क्या इसी प्रकार के मानव अधिकारों की हम बात करते हैं?... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): क्या इस फैसले को अगले दिन तक के लिए रोकना जरूरी था?... (व्यवधान) इसके लिए अगले दिन कोर्ट खोलना जरूरी था या रात को 3 बजे फैसला सुनाना जरूरी था, आप इस बारे में बता दीजिए।... (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह : जब वर्ष 2007 तक उसका निर्णय हो गया, सुप्रीम कोर्ट को केस चला गया, तब भी यह केस चलता रहा। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि लोग किस प्रकार से ऐसा करते हैं।

इसी तरह, इशरत जहां का केस था। उसमें दो पाकिस्तानी मारे गए। वे टेररिस्ट थे। दो भारतीय थे। डेविड हेडली ने बयान दिया था कि इशरत जहां भी टेररिस्ट थी, फिदायीन थी, एल.ई.टी. की फिदायीन थी। हम लोगों ने कितना हल्ला किया।

महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि लंदन में लंदन पुलिस की कार्रवाई में एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट मारा गया। लंदन पुलिस कमिश्नर ने उस पर बयान दिया। क्या लंदन, इंग्लैंड में कुछ हुआ? क्या किसी ने इसके ऊपर हल्ला मचाया? क्या किसी मानवाधिकार संगठन ने उसके बारे में हल्ला मचाया? क्या वहां की मीडिया ने कोई हल्ला मचाया? हमारे यहां इस प्रकार का हल्ला मचता रहता है।

महताब जी, 26.11.2008 को मुम्बई पर इतना बड़ा अटैक हुआ। यह सारी दुनिया को मालूम है और इस पर मानवाधिकार संगठन सामने आए और उन्होंने क्या कहा? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि हमारे पुलिस अधिकारियों में से एक, उन्होंने 'हु किल्ड करकरे?' नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद का वास्तविक चेहरा भारत में है। उन्होंने इसके लिए आई. बी. को दोष दिया कि वे इस के लिए जिम्मेदार हैं। हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों ने ही उसे मास्टरमाइंड किया है, उन्होंने ही मुम्बई के ऊपर अटैक कराया है। ऐसी किताब लिखी गई। उसके पीछे मानवाधिकार संगठनों के लोग थे।

महोदय, यहां दिल्ली के अन्दर वर्ष 2008 में बाटला हाउस का केस हुआ। हमारा एक इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर श्री मोहन चन्द शर्मा शहीद हो गए। उसमें एक टेररिस्ट आतिफ़ अमीन और एक मोहम्मद साज़िद मारा गया था और हमारी कुछ पार्टियों के हमारे कुछ नेता उनके घर तो जाते हैं, पर मोहन चन्द शर्मा के घर पर कोई नहीं गया। हमें उसकी शहादत पर न ही दु:ख हुआ और न ही उसके ऊपर गर्व हुआ और न ही किसी ने उसके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की। हमारी जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं उनका नाम नहीं

लेना चाहता हूं, उनके कुछ नेता हैं, वे बोलते हैं कि उन्हें रात में नींद नहीं आई। वर्ष 2009 में एन.एच.आर.सी. की रिपोर्ट के बाद भी ये लोग शांत नहीं हुए।

अभी शशि थरूर जी एन.आर.सी. के बारे में बात कर रहे थे। मुझे वह बात याद आ गई। असम में घुसपैठियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सितम्बर, 2006 में कहा था कि यह भारत पर बाहरी आक्रमण है। फिर तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। लेकिन, इतने दशकों में वर्ष 1985 में राजीव गांधी जी के साथ एकॉर्ड होने के बाद भी हम लोगों ने क्या किया? एन.आर.सी. बनी। एन.आर.सी. पर इतना काम होने के बाद उस पर हल्ला मचाया जा रहा है। उस पर मेरे कुछ सवाल भी हैं। यहां पर माननीय गृह राज्य मंत्री जी बैठे हैं। एक तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, संविधान में मौलिक अधिकारों की बातें करते हैं तो हमने एक प्राइवेट मेम्बर बिल भी इस विषय पर इंट्रोड्यूस किया था। चौधरी साहब, आप एक विद्वान अधिवक्ता हैं। संविधान के अन्दर 25 से लेकर 30 तक जो आर्टिकल्स हैं, पिछले दस सालों में उनको जिस प्रकार से इंटरप्रेट किया गया, उसमें अल्पसंख्यकों को तो अधिकार दिए गए कि वे अपने धार्मिक संस्थानों को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, पर बहुसंख्यक लोग ऐसा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग अपने शिक्षा संस्थान चला सकते हैं, अपने स्कूल्स, कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ चला सकते हैं, पर बहुसंख्यक लोग नहीं चला सकते। क्या यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या यह उनके मानव अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उसे रीविज़िट करने की जरूरत नहीं है? अल्पसंख्यक संस्थाएं, जो विश्वविद्यालय चलाते हैं, वहां पर हमारे शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। भारत सरकार से जो फण्डेड इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां 100 परसेंट पैसा जाता है, क्या उन्हें यह अधिकार होना चाहिए? क्या हमें इसे रीविज़िट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यह खत्म हो?

महोदय, मौत तो कहीं भी हो सकती है, प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है, बीमारी से भी हो सकती है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ होती है तो हर बार यही माना जाता है, सबकी नज़र में यही आता है कि पुलिसवालों ने मारा होगा, पुलिसवालों के मारने के कारण ही इसकी मौत हुई है।

जेल में मौत होने की इनक्वायरी होती है। यह भी माना जाता है कि जेल में उसको मारा गया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हुई है और यह मानवाधिकारों का हनन हुआ है। मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार करने की जरुरत है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद भी हमारे डेटा जेनरली ठीक नहीं होते हैं।

माननीय गृह राज्य मंत्री जी, मैं यह इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें हमारे डेटा ठीक नहीं होते हैं, इसलिए हमारी जो रिपोर्ट है, वह वर्ल्ड लेवल पर जाकर खराब होती है। इससे हमारा इम्प्रेशन खराब होता है। मैं भारत सरकार को जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा, हम लोग बात करते हैं कि जाति, वंश तथा किसी भी धर्म को मानने वाले कानून की नजर में बराबर हैं। कानून की नजर में सभी बराबर हैं। हम इतने वर्षों तक हज की सब्सिडी देते रहे, क्या किसी ने सोचा कि कैलाश मानसरोवर के लिए भी सब्सिडी देनी चाहिए? ऐसा किसी ने नहीं सोचा। मैं मोदी सरकार का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने वर्ष 2019 में हज सब्सिडी को बंद किया । अपने नक़वी साहब का बहुत अच्छा स्टेटमेंट था कि हज सब्सिडी के छल को मोदी सरकार ने ईमानदारी के बल पर खत्म किया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। यह बहुत अच्छा निर्णय हुआ है कि मुस्लिम वुमन भी वहां जाकर हज कर सकती हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की रिपोर्ट था कि अगर किसी महिला को अपने पति के परमिशन के बिना बाहर जाना अलाउ नहीं, तो यह महिलाओं के मौलिक अधिकारों का हनन है। दुनिया इस बात को मानती है, लेकिन हमारे यहां यह अभी तक चलता रहा।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, अपना समय एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भाजपा के और वक्ताओं को बोलना है। कृपया अपना समय लें।

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह: महोदय, मैं दो-तीन उदाहरण जरूर देना चाहूंगा। मैं एमएचए की एक कमेटी में भी था। हमारे गुर्जर लोग जो हिन्दू थे, वर्ष 1947-48 में कश्मीर के अंदर आए थे। कश्मीर में आने के बाद उनको अधिकार नहीं दिया गया। वे भारत के नागरिक बनें, लेकिन वे कश्मीर के अंदर वोट नहीं दे सकते हैं। उनको वहां कोई अधिकार नहीं है, उनके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलती है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं

मिलती है। क्या पिछले 70 वर्षों में हमने इस बात पर ध्यान दिया कि उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? कश्मीर से जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया और उनको मारा गया, क्या उनका भी कोई मौलिक अधिकार है? क्या ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कभी इस बात पर ध्यान दिया है? क्या किसी संगठन ने उनकी बात उठाई है?

सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । महाराष्ट्र का एक केस है। मैं उस जगह का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। महाराष्ट्र में पुलिस वाले सभी जगह ड्यूटी करते हैं। जब कोई केस होता था, तो पुलिस वाले जाते थे, जज तथा मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करते थे कि हमको पुलिस कस्टडी दे दीजिए। वे दस दिन की पुलिस कस्टडी मांगते थे, लेकिन जज दो दिन का देते थे। वह बोलते थे कि आप गलत काम करते हो, लोगों को परेशान करते हो। अन्फॉर्चूनेट्ली उसी जज के घर में हाउस ब्रेकिंग हो गई। पुलिस द्वारा दो-तीन दिन के बाद आरोपी पकड़े गए। पुलिस वाले बोलें कि यह उनकी आदत थी, जज साहब पुलिस वालों को दो दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं देते। जब पुलिस वालों ने जज साहब से कहा कि साहब दो दिन की पुलिस कस्टडी दे दीजिए, तब जज साहब ने कहा कि आप दो दिन की क्यों मांगते हो, 10 दिन की क्यों नहीं मांगते हो। उसके बाद पुलिस कस्टडी मिल गई, एक हफ्ते तक पुलिस इन्टेरगेशन चलता, उसके बाद जज साहब थाने में गए और पूछा कि माल बरामद हुआ या नहीं हुआ, जो उनके घर से चोरी हुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि सर, यह बोल ही नहीं रहा है। जज साहब ने कहा कि ऐसे कैसे बोलेगा, आपने उसकी पिटाई की क्या?जब जज के घर में चोरी होती है, तो उसकी पिटाई होनी चाहिए। अगर आतंकवादी दूसरों को मारते हैं, तो हम खड़े हो जाते हैं। हम मानवाधिकारों का नाम लेकर खड़े हो जाते है। अगर मेरे परिवार का कोई आदमी टेररिस्ट या नक्सलियों के हाथों मारा जाता है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार उसके लिए कड़ी व्यवस्था करे। मैं इसे पाखंड तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसके लिए हम लोग दोहरी नीति रखते हैं। किसी भी देश के अंदर गलत आदमियों के लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। दंडेन शास्त्रे प्रजा: अर्थात दंड से ही सरकार चलती है। हमारे यहां तो ईश्वर का विधान था ।

भगवान कृष्ण गीता में कहते थे कि परित्राणाय साधुनाम्, विनाशाय च दुष्कृताम्। सज्जनों की रक्षा करो और दुर्जनों का दमन करो। जब तक दुर्जनों का दमन नहीं होगा, तब तक हम चैन लेने वाले नहीं हैं।

मैं केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि हमारे जो भी आयोग बन रहे हैं, उसमें इन बातों पर ध्यान दिया जाए। साथ-साथ ऐसी कुछ गाइडलाइंस तैयार होनी चाहिए, कुछ रूल्स इस प्रकार से बनने चाहिए कि वे एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें। निश्चित रूप से अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो उसकी रक्षा के लिए जरूर काम होना चाहिए। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं।

मुझे एक बात याद आती है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी ने 20 मई, 2014 को केन्द्रीय कक्ष में एक भाषण दिया था। इसे सब लोगों ने सुना था। उन्होंने कहा था कि सरकार वह हो, जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह हो जो गरीबों की सुने, सरकार वह हो जो गरीबों के लिए जिये। हमारी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में यह करके दिखाया है। पिछले पांच वर्षों के अंदर के आंकड़े इस बात को दिखाएंगे कि जहां-जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर मानवाधिकारों के हनन की संख्या में बहुत गिरावट आई है। अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके काम करते हैं, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है।

मुझे मुंबई की एक बात याद आ गई। हमारे हाई कोर्ट के अंदर एक जस्टिस थे। उसका नाम बख्तावर लेन्टिन था। वे बहुत प्रसिद्ध जज थे। एक रेप का केस अपील के अंदर उनके पास गया। उन्होंने कहा था कि: "मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए", आदमियों के ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होना चाहिए "वहशी और बलात्कारी का नहीं। " आंतकवादियों के मानवाधिकार नहीं हैं, रेपिस्ट के मानवाधिकार नहीं हैं, गलत लोगों के मानवाधिकार नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को इससे सीख लेकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी (थूथुक्कुडी): महोदय, मैं यहां अपना परिचय देना चाहती हूं। दुर्भाग्यवश, मेरे पूर्वज ऋषि नहीं थे। मेरे पूर्वज होमो सेपियन्स थे, जैसा कि विज्ञान कहता है, और मेरे माता-पिता शूद्र थे। वे किसी देवता से उत्पन्न नहीं हुए थे, न ही किसी देवता के अंश थे। वे समाज के निचले स्तर से उत्पन्न हुए थे, न कि किसी दिव्य स्रोत से। मैं यहाँ हूँ और मेरे राज्य के कई लोग यहाँ हैं, यह सामाजिक न्याय आंदोलन और मानवाधिकारों के संघर्ष का परिणाम है, जिसे हम आज तक निरंतर जारी रखते हैं, और हम इसे भविष्य में भी जारी रखेंगे। मैं समझती हूँ कि इस देश के लोगों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संरक्षित करना मानवाधिकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना, हम मानवाधिकार सुनिश्चित नहीं कर सकते, और मुझे लगता है कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस सदन में वैज्ञानिक मानसिकता बनी रहे और कोई भी उसका उल्लंघन न करे। धन्यवाद महोदय। ...(*व्यवधान*) हां, यह हमारे संविधान में है, लेकिन मुझे लगता है कि संविधान का कोई महत्व नहीं है। यह कहा गया कि हमारे सामने जो भी विधेयक है, वह पेरिस सिद्धांतों की सिफारिशों के अनुसार लाया गया है। लेकिन मैं यहां एस.सी.ए. को उद्धृत करना चाहूंगी। इसमें कहा गया है :

> यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक ऐसी प्रक्रिया के औपचारिककरण और उसके अनुपालन के लिए प्रचारित करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें निम्नलिखित आवश्यकताएँ शामिल हों:
>
> क) पदों को व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करें;
>
> ख) समाज के विभिन्न समूहों और शैक्षिक योग्यताओं से संभावित उम्मीदवारों की संख्या को अधिकतम करें;
>
> ग) आवेदन, स्क्रीनिंग, चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में व्यापक परामर्श या भागीदारी को बढ़ावा दें;
>
> घ) आवेदकों का मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित, वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानदंडों के आधार पर करें; और

ङ) सदस्यों का चयन उनके व्यक्तिगत रूप में सेवा देने के लिए किया जाए, न कि वे जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके पक्ष में।"

मैं नहीं लगता कि इस विधेयक ने एस.सी.ए. की सिफारिशों को ध्यान में रखा है। पहली जगह में ही, यह नियम का उल्लंघन करता है।

महोदय, अगले बिंदु पर आते हुए, विधेयक वास्तव में सदस्यता मानदंड, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्षों की सदस्यता, बाल अधिकारों के संरक्षण के राष्ट्रीय आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए आयोग को शामिल करने की कोशिश करता है।

हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि जिन लोगों को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, वे सत्ता में बैठे राजनीतिक दलों के करीबी हैं। चाहे यह सरकार हो या कोई अन्य सरकार, वे राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति होते हैं। तो, जब इस तरह के सदस्य भी राजनीतिक नियुक्ति होते हैं, तो एन.एच.आर.सी. जैसी संस्था स्वतंत्र रूप से कैसे काम कर सकती है?

कई अध्ययनों में, हमें पता चला है कि इन समितियों के अधिकांश अध्यक्ष बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। यह सिफारिश की गई है कि स्वतंत्र एनजीओ – चाहे इस सरकार के पास एनजीओ के खिलाफ कई मुद्दे हों – को इस देश में मानवाधिकारों के लिए कार्य करना चाहिए। जब भी मानवाधिकारों, चाहे वह दलितों के अधिकार हों, अल्पसंख्यकों के अधिकार हों या महिलाओं के अधिकार हों, से छेड़छाड़ की गई है, मुझे लगता है कि सामाजिक कार्यकर्ता ही होते हैं जो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। इसलिए, ऐसे विश्वसनीय और सम्माननीय व्यक्तियों को यहाँ सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक में अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में बदलाव किया गया है। मुख्य न्यायाधीश से, अब इस समिति के अध्यक्ष के रूप में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। यह वास्तव में सरकार के

लिए विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला खोल देगा, जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका के कार्यरत सदस्यों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा और इसके अधिक राजनीतिकरण की संभावना उत्पन्न हो सकती है।

महोदय, इन नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता नहीं है। साथ ही, पुनः नियुक्ति का कार्यकाल घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। वह व्यक्ति, जो अपना कार्यभार संभाल रहा है, उसके पास इन तीन वर्षों में यह समझने के लिए भी पर्याप्त समय नहीं होगा कि मुद्दे क्या हैं और समस्याएं क्या हैं। तो, वे उन्हें कैसे हल कर पाएंगे?

वे दूसरे कार्यकाल की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, जो व्यक्ति वहां दूसरी बार नियुक्त होने जा रहा है, उसे वर्तमान सरकार द्वारा चुना जाएगा। इससे उन लोगों के मन में काफी संदेह उत्पन्न होगा जो मानवाधिकारों में विश्वास रखते हैं। दूसरे कार्यकाल की बात पर, निश्चित रूप से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को समझौता करना पड़ सकता है।

सिर्फ एक और व्यक्ति को नियुक्त करने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा क्योंकि एक लाख से अधिक मामले हैं जो लंबित हैं। फिर, भारत में मानवाधिकार आयोग के पास प्रतिदिन 450 से अधिक मामले आते हैं। तो, केवल एक और व्यक्ति की नियुक्ति करने से समस्या कैसे हल हो सकती है?

महोदय, वे कह रहे हैं कि वे एक और महिला सदस्य को शामिल करेंगे। स्टाफ, जो लगभग 500 का है, वहां केवल 20 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। यदि वे महिला का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और व्यक्ति को शामिल करते हैं, तो यह पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम, 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। एक और महिला को शामिल करने से कोई फायदा नहीं होगा।

महोदय, इस विधेयक में महासचिव की शक्तियाँ स्थानांतरित की गई हैं। पहले यह अधिकार आयोग के पास थे, लेकिन अब ये सभी अधिकार अध्यक्ष के पास आ गए हैं। ये अधिकार केवल अध्यक्ष के पास केंद्रित हैं, जो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक नहीं है।

हम भारत में मानवाधिकारों की प्रगति और उनके महत्व के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन दुखद है कि दुनिया हमें एक अलग नजरिए से देखती है। आज भारत को मानवाधिकारों के उल्लंघन में दुनिया का 28वां सबसे बुरा देश माना गया है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसे लेकर हम सभी को शर्म आनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन लिया गया है। *दलितों* के बारे में हम जानते हैं कि इस देश में उनका कैसे अपमान किया जा रहा है।

देश में वाद-विवाद और संवाद का कोई अधिकार नहीं है। लेखकों, विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और मारा गया है। क्या यही मानवाधिकारों के बारे में हमारी बात करने का तरीका है?

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कनिमोझी: हाँ, महोदय। एन.एच.आर.सी. के पास तो सशस्त्र बलों पर भी अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो भी अत्याचार सशस्त्र बलों द्वारा किए जाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे वहाँ किसी जांच का आदेश नहीं दे सकते। वे यह नहीं देख सकते कि वहां क्या हो रहा है। सशस्त्र बलों के मामलों में यह पूरी तरह से निरर्थक है।

हिरासत में होने वाली मौतों के मामले दोगुने हो गए हैं। वर्ष 2016 के बाद, सरकार ने जानबूझकर जेल और अपराध संबंधी आंकड़े देना बंद कर दिया है। यही है सरकार का समस्या और सवालों का समाधान करने का तरीका – वह जानकारी देना बंद कर देती है। यही तरीका है जिससे इस देश में समस्याओं का समाधान किया जाता है।

इसलिए, ये परिवर्तन बहुत ही सतही हैं और वास्तव में इस देश में मानवाधिकार आयोग की शक्ति को कमजोर करते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहती हूँ कि इस विधेयक को वापस लिया जाए और एक विधेयक लाए जो वास्तव में मानवाधिकारों की रक्षा करता हो और इस देश में मानवाधिकारों को बनाए रखे।

यहां, मैं सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के प्रतीक नेल्सन मंडेला को उद्धृत करना चाहती हूं: “लोगों के मानवाधिकारों को नकारना उनके मानवत्व को चुनौती देने के समान है।“ हम सब केवल मनुष्य हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। कृपया, उनकी रक्षा करें। धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं विधेयक पर बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं विधेयक का विरोध करता हूं। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ, इसलिए मैंने विधेयक में छह संशोधन दिए हैं। श्रीमती कनिमोझी जी ने जो भी कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और जो भी श्री सत्यपाल सिंह जी ने कहा है, मैं उसका विरोध करता हूँ।

श्री सत्यपाल सिंह जी संविधान की मूल भावना के विरोध में हैं। संविधान के अनुच्छेद 51(क), उपधारा (ज) के अनुसार, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और प्रश्न तथा सुधार की भावना का विकास करे। लेकिन सत्यपाल जी ने यह कहकर कि हम बंदरों से विकसित नहीं हुए हैं, डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को नकारा है। यह न केवल वैज्ञानिक सोच का विरोध है, बल्कि संविधान में निहित नागरिक कर्तव्यों का भी उल्लंघन है।

माननीय सभापति : *दादा* कृपया विधेयक पर आएं।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: नहीं, उन्होंने क्यों कहा? …(*व्यवधान*) उन्होंने वे सारी बातें क्यों कही? यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि सत्तारूढ़ दल ने मानवाधिकारों पर बोलने के लिए एक पूर्व पुलिस आयुक्त को नियुक्त किया है। देश में पुलिस ही वह संस्था है, जो हर जगह मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और लोगों को हिरासत में पीट-पीट कर मार देती है। यह वही पुलिस है जो मामूली उकसावे पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करती है। ऐसे में, जब पुलिस मानवाधिकारों पर बात करे, तो यह विरोधाभासपूर्ण प्रतीत होता है।

मैं यह भी कहूंगा कि यह तर्क अक्सर सत्ता पक्ष द्वारा दिया जाता है। वे कहते हैं: 'आतंकवाद का हवाला देकर मानवाधिकारों को समाप्त कर देना चाहिए।' उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि अफ़ज़ल गुरु को इतने अधिक मानवाधिकार प्राप्त थे कि उच्चतम न्यायालय ने उनके मामले की सुनवाई आधी रात को की। लेकिन जिस न्यायशास्त्र का हम अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक

कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। अतः आधुनिक न्यायशास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को संदेह का लाभ दिया जाता है। कृपया संविधान के अनुच्छेद 14 से 22 तक का अध्ययन करें। अनुच्छेद 21 यह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधिसम्मत प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं अनुच्छेद 22 यह अधिकार प्रदान करता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तारी के पश्चात 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए बिना निरुद्ध नहीं किया जा सकता।

इन सभी प्रावधानों का हमारे देश में खुलेआम उल्लंघन किया जाता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी पुलिस, केंद्रीय बलों और सशस्त्र बलों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ाएं। सशस्त्र बलों को 'सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (ए.एफ.एस.पी.ए.) के तहत संरक्षण प्राप्त है। यह कानून जम्मू-कश्मीर, मणिपुर और कई अन्य क्षेत्रों में लागू है। इन क्षेत्रों के स्थानीय नागरिकों ने इसके खिलाफ लगातार विरोध दर्ज कराया है। [हिन्दी]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): बंगाल में सिर्फ 'जय श्री राम' बोलने पर ही गिरफ्तारी हो जाती है।

प्रो. सौगत राय: आप ह्यूमन राइट्स पर केस कीजिए न। आप अदालत का रुख कर सकते हैं। आपको एक आदेश मिलता है। हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए, 'जय श्री राम' कोई पोलिटिकल स्लोगन नहीं है, यह धार्मिक स्लोगन है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया, अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

… (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: महोदय, विधेयक के बारे में बात करते हुए, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि यह मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के कार्यकाल को पाँच वर्षों से घटाकर तीन वर्ष कर देता है और उन्हें पुनर्नियुक्ति

के अधीन कर देता है। इसका मतलब है कि सरकार उसे अपने नियंत्रण में रखेगी – “आप हमारे पक्ष में निर्णय दें; फिर हम आपके कार्यकाल को तीन साल बाद फिर से नवीनीकरण करेंगे।” यही है लालच। 'गाजर और छड़ी' वर्तमान सरकार की नीति है यानी वह सहयोग के लिए पुरस्कार देती है और विरोध करने पर सजा देती है। इसलिए, मैं मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कम करने का विरोध करता हूँ। मैं भी इसका विरोध करता हूं। आप उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बजाय, उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त कर रहे हैं। इससे अध्यक्ष पद का सम्मान और प्रभाव कम हो जाएगा, और यही उद्देश्य प्रतीत होता है। कई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश हैं जो निरर्थक समय बिता रहे हैं। आप उनमें से किसी को नियुक्त कर सकते हैं, फिर क्यों उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को चुना जा रहा है? इतने सारे न्यायाधीश हैं, तो अध्यक्ष बनने के लिए एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। यह बिल्कुल उचित नहीं है। उच्च न्यायालयों के मामले में भी, केवल मुख्य न्यायाधीश को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए था। अब आपने किसी न्यायाधीश को अध्यक्ष बनने की अनुमति दी है। मैंने अपनी संशोधनों में यह प्रस्तावित किया है कि कम से कम वरिष्ठतम न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाए, न कि किसी भी न्यायाधीश को। 20 या 30 न्यायाधीश हैं, कृपया किसी भी न्यायाधीश को अध्यक्ष न बनाएं।

दूसरी बात यह है कि वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों को भी शामिल कर रहे हैं।…(*व्यवधान*) जैसा कि श्रीमती कनिमोझी जी ने सही रूप से उल्लेख किया है, ये सदस्य माने जाते हैं, लेकिन ये सभी सरकारी नियुक्ति होते हैं। ये सदस्यों का संबंध वर्तमान सरकार से होता है और ये मानवाधिकार आयोग की बैठकों में भी भाग नहीं लेते।

आपको याद रखना होगा कि संविधान का पालन करना और मानवाधिकार के लिए लड़ना हम सभी के लिए एक धार्मिक कर्तव्य है। मानवाधिकारों की हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। आपको यह याद रखना चाहिए कि यूके जैसे सभ्य देश में, उनके पास आई.आर.ए. *सिन फेन* आंदोलन के दौरान सबसे भयंकर आतंकवाद हुआ था। तब भी, उनके सामान्य अधिकारों में कटौती नहीं की गई थी। तब भी, उन्होंने कोई निवारक

निरोध कानून नहीं बनाया। आपको देश में समस्याओं का समाधान करने के लिए सामान्य कानून लाना चाहिए, न कि दमनकारी कानून। मैं चाहता हूँ कि पुलिस और सुरक्षा बलों को संवेदनशील बनाया जाए। हमें मानवाधिकार आयोग को यह कार्य सौंपना चाहिए कि वह पुलिस के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे। श्री सत्यपाल सिंह जी ने एक उदाहरण दिया है कि जज ने बोला कि उसको मारो-पीटो नहीं तो वह चोरी का माल नहीं देगा। यह पुलिस की ज्यादती को सही ठहराता है। हम इशरत जहां की कहानी जानते हैं, एक व्यक्ति के आदेश पर अहमदाबाद की सड़कों पर एक युवा लड़की को कैसे मारा गया था, जिसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन बोला गया ठोक दो। ये मोदी जी को मारने आया है, उसको ठोक दो। ये ठोक दो कल्चर हमारी पुलिस में चल रहा है जिसका एक हिस्सा श्री सत्यपाल सिंह थे।

इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। मैं मानवाधिकारों के पक्ष में हूं। हम इस देश में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे।

धन्यवाद।

अपराह्न 02.00 बजे

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ (काकीनाडा): धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे मानव अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 के संरक्षण पर बोलने का अवसर देने के लिए। मैं अपनी पार्टी वाई.एस.आर.-सी.पी. को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस विधेयक में भाग लेने की अनुमति दी।

[12]महोदय, इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य आयोग के अध्यक्ष की अवधि को कम करना है। साथ ही, अध्यक्ष के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी जा रही है, क्योंकि ये पद काफी समय से रिक्त हैं। मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानवाधिकार आयोग को पूरी तरह से संचालित किया जाना चाहिए। मैं इन बदलावों का स्वागत करती हूं। इस विधेयक को पेश करते समय माननीय मंत्री श्री किशन रेड्डी जी ने इस विधेयक के उद्देश्यों को विस्तार से बताया। यह विधेयक मानवाधिकारों की रक्षा कैसे करेगा? मानवाधिकार आयोग कैसे काम करता है? केंद्र सरकार इन आयोगों को कैसे मजबूत कर रही है? इन सभी बातों की व्याख्या उस समय की गई थी। माननीय मंत्री श्री नित्यानंद जी ने भी कुछ बिंदु बताएं। इस संशोधन से मानवाधिकार आयोग को और मजबूती मिलेगी। हम राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय विकलांगता आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों को आयोग के नामांकित सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्णय का स्वागत करते हैं।

हम सदस्य संख्या को तीन करने और महिला को सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्णय का भी स्वागत करते हैं। इस संदर्भ में, मैं सरकार के ध्यान में कुछ बिंदु लाना चाहती हूँ। चाहे कितने भी कानून और संशोधन हों, हम इस सत्र में कई संशोधनों के गवाह बने हैं, लेकिन परिणाम अधिक महत्वपूर्ण हैं और इन परिवर्तनों से लोगों को लाभ होना चाहिए। मैं कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ, और यह

---

[12]*मूलतः तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

भारी मन से कर रहा हूँ। निर्भया की घटना के बाद भी महिलाओं के साथ ऐसे कई अत्याचार हुए। हम हर दिन महिलाओं से बलात्कार की कई घटनाओं के बारे में सुनते हैं। महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे अमानवीय और घृणित कृत्य किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में महिलाओं की दुर्दशा की अनदेखी और उपेक्षा की जाती है। हाल के दिनों में, एक कानून में संशोधन किया गया है, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाएगी। हमने सोचा कि यह संशोधन अपराधियों के मन में भय पैदा करके हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से, हाल ही में तेलंगाना में एक घटना हुई, जहां 9 महीने की एक लड़की को इस अमानवीय कृत्य का शिकार होना पड़ा। ऐसी घटनाएं मेरे दिल को झकझोर देती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने छोटे और मासूम बच्चों की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। समाज दिन-प्रतिदिन बदल रहा है, हमारे समाज की प्रकृति लगातार बदल रही है। अपराध की प्रकृति बदल रही है; महिलाओं पर होने वाले अपराध बढ़ रहे हैं।

<u>अपराह्न 02.05 बजे</u> (श्री ए. राजा *पीठासीन हुए*)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि महिलाएँ अपनी सुरक्षा के लिए कहां जाएं? हर जगह स्पाई कैमरे लगे हुए हैं, चाहे वह ट्यूबलाइट हो, बटन हो, कुर्सी हो, बाथरूम हो या बेडरूम हो। कहीं भी स्पाई कैमरा हो सकता है। सुरक्षा और संरक्षा के लिए बने स्पाई कैमरों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महोदय, मैं केवल दो मिनट और लूंगी। ये कैमरे ऑफ लाइन और ऑनलाइन माध्यमों से सभी के लिए सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ये बिना किसी नियम के बेचे जाते हैं। हमें कहां जाना चाहिए, महोदय? महिलाओं को जहां भी जाना होगा, संदेह के साथ चारों ओर देखना होगा। हमें स्पाई कैमरे जैसे ऐसे उपकरणों की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। स्पाई कैमरे हर किसी को

उपलब्ध नहीं कराए जाने चाहिए। वे केवल सुरक्षा और सुरक्षा कार्यों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। महोदय, हमें अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए।

हाल ही में, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसमें 21 मिलियन अवांछित कन्या शिशुओं का उल्लेख किया गया है। ऐसी रिपोर्टें हमारे मानवाधिकारों की अवहेलना करती हैं। महिलाओं को कन्या शिशु को जन्म देने का उनका अधिकार छीन लिया जा रहा है। महोदय, महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार होते हैं। जहाँ महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान होता है, वही समाज प्रगति करते हैं। सरकारें इस दिशा में प्रयास कर रही हैं, लेकिन जनहित में वास्तविक परिणाम नहीं मिल रहे हैं। लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए हमें अपने कानूनों में आवश्यक संशोधन करने चाहिए। हमें मानवाधिकार आयोगों को सशक्त और प्रभावी बनाना चाहिए। इन आयोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और उनकी स्वायत्तता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। मैं इन संशोधनों का स्वागत करती हूँ। इन आयोगों के प्रभावी कार्य संचालन के माध्यम से मानवाधिकारों और महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार से मानवाधिकारों के संरक्षण के हित में और कड़े कानून लाने का अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति जी, मैं द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, दुनिया के सबसे बड़े लोकशाही प्रधान अपने देश के संविधान ने देश के सारे वर्गों के हित का प्रावधान अच्छी तरह से किया है। खास करके अपने देश के जो सारे मानव हैं, सजीव प्राणी हैं, इनके हक का संरक्षण कैसे हो और उसके लिए क्या -क्या प्रावधान करने हैं, इसका पूरी तरीके से ध्यान हमारे संविधान ने अच्छी तरह से रखा है। इसीलिए 1993 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना इस देश में हुई। उसके बाद चाहे वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हों, उनके पास लाखों की संख्या में जो मामले दर्ज हुए उनकी तरफ उन्होंने अच्छी तरीके से ध्यान दिया और उन्हें अच्छी तरह से न्याय देने का काम किया है। वर्ष 1993 के बाद आज इस संशोधन पर चर्चा करते वक्त, मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय गृह राज्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि संशोधन करते वक्त मानवाधिकार की व्याप्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज करने वालों को सही वक्त पर न्याय कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से प्रावधान इस संशोधन विधेयक में किए जा रहे हैं। पहले दो सदस्यों की जगह पर अब तीन सदस्य किए जा रहे हैं। आवश्यक था कि महिला सदस्य को भी नियुक्त किया जाए। महिला सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान भी इस संशोधन विधेयक में किया गया है। साथ ही, पांच वर्ष की जगह पर तीन वर्ष की अवधि इस विधेयक के माध्यम से दी गई है। संशोधन करते वक्त इसमें बहुत सी अच्छी बातें शामिल करने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है।

सभापति महोदय, जो अपने देश में रहने वाले मानव हैं, जो लोग हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण करना, उनके अधिकारों का हनन न हो, इसके ऊपर ध्यान रखने का काम इस मानवाधिकार आयोग का होता है।

जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है, मैं उनकी कई बातों से सहमत हूं कि कभी-कभी अपनी लोकशाही का बहुत दुरुपयोग कई संगठनों के माध्यम से होता है। यानी लोकशाही किसके लिए है और मानवाधिकार आयोग

की स्थापना किसके लिए की गई, उसको पूरी तरह से भूल जाते हैं। मुझ दु:ख हो रहा है। जैसा कि सत्यपाल जी ने कहा है कि मुंबई में 26.11.2011 को हमला हुआ, उसमें क़साब जैसे भयानक आतंकवादी को पकड़ा गया।... (व्यवधान) हेमंत करकरे जैसे पुलिस ऑफिसर को उसके सामने शहीद होना पड़ा। ऐसे बड़े खतरनाक आतंवादी को पकड़ते वक्त तुकाराम ओम्बले भी शहीद हुए। मुंबई पुलिस ने जब क़साब को हिरासत में लिया और उसे जेल में रखा, तब उसे सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा है, उसे मच्छरों की वजह से तकलीफ हो रही है, खाने के लिए बिरयानी नहीं मिल रही है, इसके लिए भी मानव अधिकार आयोग के पास जाने वाले कई संगठन हमारे देश में हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने जो कहा है, वह ठीक बात है कि परदेश से मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है, उसका नाजायज फायदा उठाकर, अपने देश में नाज़ायज एक्टिविटी करने वाले जो संगठन हैं, उनके माध्यम से जो मामले मानव अधिकार आयोग के पास जाते हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यता नहीं है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया समाप्त करें। आपका समय पहले से ही खत्म हो गया है।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत: इस संशोधन विधेयक की विशेषता यह है कि बालिका पर होने वाले जो अत्याचार हैं। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति : हमें 3 बजे तक पूरी चर्चा समाप्त करनी होगी। कृपया इसे समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से हिरासत में लिए जाने वाले कई गुनाहगार हैं। सारे गुनाहगार आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन कई

गुनाहगारों द्वारा आत्महत्या करने की भी घटनाएं हो रही है। जेल में उनकी मृत्यु होने की संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ भी सावधानी से देखने की जरूरत है, मानव अधिकार आयोग को इसकी जांच करने की आवश्यकता है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्रा (पुरी): सभापति महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने के लिए बीजू जनता दल को अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

वस्तुतः, यह विधेयक मुख्यतः उन स्पष्ट कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया प्रतीत होता है, जिनका सामना आयोग कर रहा है। अतः इसमें प्रस्तावित कई संशोधन या नए प्रावधान ऐसे हैं, जिन पर सामान्यतः आपत्ति नहीं की जा सकती।

मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ सम्माननीय सदस्य इस बात को लेकर आशंकित हैं कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के पद को न्यायाधीश के पद में परिवर्तित कर देने से उसकी गरिमा कम हो रही है। लेकिन उन्हें ऐसी कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। विधिक दृष्टिकोण से यह सर्वविदित तथ्य है कि मुख्य न्यायाधीश केवल *प्राइमस इंटर पैरेस* यानी समान पदधारियों में प्रथम होते हैं। वे केवल कार्य विभाजन के प्रभारी होते हैं। अन्यथा, सभी न्यायाधीशों के अधिकार समान होते हैं। इसलिए, यह प्रावधान को बिल्कुल भी कमजोर नहीं करता है।

वर्तमान समय में सेवानिवृत्त हो रहे अधिकांश मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता पैनलों में निर्णायक की भूमिका हेतु अत्यधिक माँग में रहते हैं, जहां दोनों पक्षों की ओर से एक-एक न्यायाधीश नामित होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से मुख्य न्यायाधीशों को वरीयता दी जाती है। मैं स्वयं जानता हूँ कि अनेक मुख्य न्यायाधीशों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है। यह एक व्यावहारिक बाधा है। अतः यह आरोप कि सरकार इस व्यवस्था को कमजोर कर रही है, निराधार प्रतीत होता है। हम इस दृष्टिकोण के पीछे निहित विचारों को समझते हैं।

एक महिला सदस्य को शामिल का अन्य प्रावधान स्पष्ट रूप से स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन को अप्रत्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल करना एक सराहनीय और प्रगतिशील प्रावधान है।

फिर, कार्यकाल की अवधि को पाँच वर्षों से घटाकर तीन वर्ष करना भी एक सकारात्मक परिवर्तन है, क्योंकि इससे एक लंबे समय तक बाधित रहने की स्थिति नहीं बनती। स्पष्ट रूप से, इन प्रावधानों पर कोई भी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। हालांकि, इस पर एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थिति क्या है। पाकिस्तान, चीन, रूस और हमारे कई पड़ोसी देशों से हमें क्या अलग करता है, वह यह है कि हमारे पास एक गतिशील और संविधानिक रूप से सक्षम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो हमेशा अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक सक्रिय और मजबूती से खड़ा रहा है।

अन्यथा, हमें कुलभूषण जाधव के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो स्वागत मिला, वह कभी नहीं मिलता, जहाँ निर्णय 15:1 के अनुपात में आया। लगभग पूरी दुनिया, दरअसल पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया हमारे पक्ष में खड़ी थी। यह इसलिये हुआ क्योंकि वे समझते हैं कि मानवाधिकार के मामलों में हमारे पास एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। इसलिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय के साथ इस आयोग को कमजोर न करें।

कुछ महत्वपूर्ण आशंकाएँ हैं जिन्हें मुझे उठाना चाहिए। इस आयोग की स्वीकृत संख्या समय के साथ घटती जा रही है। आज भी, जाँच विभाग में केवल 49 कर्मचारी हैं, जो पहले 59 थे। यह स्थिति असंतोषजनक है। वास्तव में, अपने गठन से लेकर अब तक आयोग कभी भी अपनी पूरी स्वीकृत संख्या को प्राप्त नहीं कर सका है जो कि एक चिंता का विषय है।

वार्षिक रिपोर्ट्स नियमित रूप से अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की जा रही हैं। वास्तव में, आज उपलब्ध नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 की है। वर्ष 2019 में यदि 2015-16 की रिपोर्ट उपलब्ध हो, तो यह स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है और इसे शीघ्र सुधारने की आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय ने एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम्स फैमिलीज एसोसिएशन मामले में मानवाधिकार आयोग को निरर्थक और शक्तिहीन के रूप में वर्णित किया है, जो कि निस्संदेह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में प्रत्यर्पण मामलों पर सुनवाई होती है, तो पहला तर्क यह दिया जाता है कि भारत का मानवाधिकार रिकॉर्ड संतोषजनक नहीं है; भारत में उत्पीड़न हो रहा है और गैर-कानूनी हिरासत हो रही हैं। इसलिए, यदि हम अपनी मानवाधिकार नीति को मजबूत करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि में सुधार होगा, और यही हमें बाकी दुनिया से अलग करता है।

मुझे यह भी कहना है - मुझे नहीं पता कि क्या सदन के बाकी सदस्य मेरे साथ हैं या नहीं - कि सशस्त्र बलों, जिसमें अर्द्धसैनिक बल भी शामिल हैं, को मानवाधिकार आयोग द्वारा सीधे जांचे जाने से वंचित रखना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं की बात आती है, तो चाहे वह कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई हो, सशस्त्र बलों के किसी सदस्य द्वारा अथवा अर्द्धसैनिक बलों के किसी कर्मी द्वारा, इन सभी में कोई अंतर नहीं है। यह एक समान रूप से गंभीर और संवेदनशील विषय है। अतः मेरा मानना है कि इस पहलू पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि इस संदर्भ में लगातार बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

यह निःसंदेह एक सकारात्मक स्थिति है कि जनता मानवाधिकार आयोग पर अत्यधिक विश्वास करती है, जिसका प्रमाण यह है कि प्रतिदिन प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या कई बार 400 से 500 से अधिक होती है। यह स्पष्ट करता है कि लोगों का इस आयोग में गहरा विश्वास है। फिर भी इन शिकायतों का प्रभावी व समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने के लिए आयोग को पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और आवश्यक संसाधनों को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि

मानवाधिकार आयोग के निर्देशों के पास बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। इसलिए, भले ही आयोग केवल अनुशंसा के रूप में ही अपने विचार प्रस्तुत करे, फिर भी उसके निष्कर्षों का प्रमाणिक मूल्य और देश की छवि के लिए प्रचारात्मक महत्व अत्यधिक होता है। अतः, यह हमारे राष्ट्र के हित में है कि इस सभा में उपस्थित सभी सदस्य, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, मानवाधिकार आयोग की साख को और सुदृढ़ करने की मांग करें।

महोदय, मुझे बोलने के लिए अनुमति देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : महोदय, मैं अपने पूर्ववक्ताओं प्रोफेसर राय, श्री पिनाकी मिश्रा एवं सुश्री कनिमोझी द्वारा व्यक्त विचारों का पूर्णतः समर्थन करती हूँ।

मैं सत्ता पक्ष के रवैये से बहुत निराश हूँ। यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय अध्यक्ष जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। मैं आहत और व्यथित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस भारत का प्रतिनिधित्व करती हूँ जो वैज्ञानिक सोच, तर्क और खुले विचारों में विश्वास रखता है। हमारे देश में *श्रद्धा* का विशेष स्थान है, लेकिन इसके साथ ही *अंधश्रद्धा* भी एक गंभीर समस्या रही है। सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा *अंधश्रद्धा* को समर्थन देने वाले विचार प्रस्तुत किए गए, जो न केवल विज्ञान और तर्क की भावना का विरोध करते हैं, बल्कि हमारे संविधान की मूल भावना यानी हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी चुनौती देते हैं।

महोदय, आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या हुआ है। आपको कलबुर्गी, पांसेरे और दाभोलकर याद होंगे, जिन्हें उदार सोच के लिए मारा गया था। फिर, इस 21वीं सदी की संसद में - जो *सबका साथ, सबका विकास* और *सबका विश्वास* का दावा करती है - इस मानवाधिकार आयोग को चुनौती दी जा रही है और विज्ञान को चुनौती दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि यह सरकार किस विकास और विश्वास की बात कर रही है। मैं वास्तव में हैरान हूँ।

उन्होंने मानव अधिकार संगठन के बारे में दो बिंदु उठाए। उन्होंने अधिकतर एनजीओ के बारे में बात की। हम आज एनजीओ की चर्चा नहीं कर रहे हैं; हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। श्री पिनाकी मिश्रा ने बताया कि हर दिन 500 लोग आयोग के पास जाते हैं। यह बात एनजीओ की गतिविधियों से संबंधित नहीं है, बल्कि यह उस वास्तविकता से जुड़ी है जो आम आदमी महसूस करता है। आज, पहला कदम पुलिस के पास जाना है। अगर वहाँ न्याय नहीं मिलता, तो लोग न्यायपालिका के पास जाते हैं, और फिर उसके बाद वे मानव अधिकार आयोग के पास जाकर निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं।

पहला मुद्दा यह है कि जो एक साल का समय सीमा दी गई है, जिसमें मामले को एक साल के भीतर निपटाया जाना है, मुझे लगता है कि इसे बढ़ाया जाना चाहिए। मानव अधिकार आयोग को चुनौती देना, यह मेरे लिए अत्यंत निराशाजनक है।

यह पूरा विधेयक जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों की नहीं है। यहां तक कि एल.जी.बी.टी. समूह को भी शामिल किया जाना चाहिए। हमने यहां 377 विधेयक पारित किया है। इसमें एल.जी.बी.टी. क्यों शामिल नहीं हो रहा है? इसका कारण यह है कि उनके भी मानवाधिकार हैं। मानवाधिकार केवल आतंकवादियों या पुलिस के बारे में नहीं है। मेरा मतलब है कि मैं निराश हूं कि उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए एक पूर्व पुलिस अधिकारी को चुना। जब भी आप मानवाधिकार की बात करते हैं, तो पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि यह या तो किसी हिरासत में हत्या से जुड़ा मामला है या फिर किसी आतंकवादी से संबंधित है। लेकिन यह मामला ऐसा नहीं है। इसमें समाज के विभिन्न वर्ग प्रभावित होते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि हमें इस मुद्दे में एल.जी.बी.टी. समूहों को भी शामिल करना चाहिए।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। हमें इस पूरी योजना को समग्र रूप से पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। गृह राज्य मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। आप क्यों खंडित विधान ला रहे हैं? अगर आप वास्तव में समान अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं, तो आप इसे देश के व्यापक हित में क्यों नहीं सुधारते? हमें निर्णय लेने की अधिक शक्ति चाहिए। वर्तमान में, निर्णय लेने की कोई स्पष्ट शक्ति नहीं है। जब कोई जांच होती है, तो आप किससे सवाल पूछते हैं? क्या यह राज्य सरकार है या केंद्र सरकार? यह वास्तव में एक ही संस्था के दो अंग हैं, जो एक-दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। ऐसे में यह एक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। यहां गैर-राजकीय लोगों को भी अपनी आवाज उठाने का अवसर मिलना चाहिए।

मैं वास्तव में उनकी भाषण से हैरान और निराश हूँ। मुझे चिंता है कि क्या हमारी स्वतंत्रता इस सरकार द्वारा छीनी जा रही है, क्योंकि यह सरकार किसी भी विरोध की आवाज के खिलाफ पूरी तरह से खड़ी दिखाई देती है। मैं इस अवसर पर मार्टिन लूथर किंग को उद्धृत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था, "कहीं भी असमानता,

कहीं भी न्याय के लिए खतरा है।" मैं सोली सोराबजी को उद्धृत करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारत में "छल-कपट भ्रम" हैं। इसका अर्थ है कि मानवाधिकारों को लेकर भारत में जो स्थिति प्रस्तुत की जाती है, वह वास्तविकता से बहुत दूर है। यह एक भ्रम है जो दिखता है, लेकिन उसमें ठोस और वास्तविक संरक्षण की कमी है। विशेष रूप से सत्ता पक्ष के सदस्यों के भाषण को सुनकर मैं वास्तव में अत्यंत निराश हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री जयशंकर जी इस भाषण को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं थे। यदि वे यहाँ होते, तो उन्हें भी उतनी ही निराशा होती। मुझे उन पर बहुत विश्वास है, और वे उन कुछ मंत्रियों में से एक हैं जिनसे मुझे अत्यधिक आशा है।

नेतृत्व किस बारे में है? नेतृत्व ईमानदारी के बारे में है। यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने के बारे में है। यदि सत्ता पक्ष के सदस्य केवल आरोप लगाते रहेंगे, यह कहते हुए कि एनजीओ ऐसा कर रहे हैं और वैसा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूं कि मानवाधिकार केवल एनजीओ के बारे में नहीं हैं। यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने के बारे में है। अच्छा शासन केवल किसी की आलोचना करने के बारे में नहीं होता; यह अपने लोगों के दर्द को सुनने और उनके साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने के बारे में है।

मैं पूरे सरकार पक्ष से निवेदन करती हूँ कि कृपया मानवाधिकारों को नकारें नहीं। मानवाधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह वह अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान किया है। हम सभी ने जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, वह ईमानदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के आधार पर था। इसलिए, कृपया इसे नजरअंदाज न करें। इस बिल को फिर से पेश करें और इस पर और विस्तृत चर्चा करें। इसका दायरा बढ़ाकर इसे मजबूत बनाएं, ताकि भारत का कोई भी नागरिक इन समस्याओं के समाधान से वंचित न रहे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।

सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 लोक सभा में लाया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सभापति जी, यह माना गया है कि मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। रामायण में एक चौपाई है, जिसमें कहा गया है कि "बड़ा भाग मानुष तन पावा।" यानी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अहोभाग्य है, सौभाग्य है। मनुष्य की एक वृत्ति है, एक स्वभाव है कि वह भूखा रह सकता है, लेकिन यदि उसके सम्मान पर ठेस पहुँचती है, तो वह बड़ा दुखी होता है।

हमारे संविधान में कानून की दृष्टि से मानव के संरक्षण के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ । हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है। इस विधेयक में कुछ प्रस्ताव लाए गए हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से कुछ व्यावहारिक बातें सरकार के सामने रखना चाहता हूं। ऐसा देखा गया है कि कई बार किसी व्यक्ति के साथ कोई अमानवीय घटना होती है, उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है तो वह कई दिनों तक अवसाद में चला जाता है। वह कभी-कभी डिप्रेशन में चला जाता है। आदमी एक या दो दिन भूखा रहा सकता है, लेकिन उसके सम्मान के साथ, उसके मानवाधिकारों के साथ हनन होता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं और इसके दोनों पक्ष हैं। कई बार यह भी होता है कि हमारे देश के अंदर तथाकथित स्वयंसेवी संगठन तथा एन.जी.ओज़. हैं, जो अनावश्यक ही चीजों को उछालते हैं और केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें उछालते हैं। वर्तमान में इसके अंदर जो प्रावधान किया गया है, पहले जो प्रावधान थे, उनमें यह था कि इसके अध्यक्ष के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना आवश्यक था, लेकिन मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह बड़ा अच्छा और स्वागतयोग्य है। साथ ही साथ

यह भी कहना चाहता हूं कि अब ये हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश इसके सदस्य या अध्यक्ष हो सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी जो एक सदस्य को इसमें जोड़ने की व्यवस्था की जाने वाली है, ऐसे में इसके सदस्यों की संख्या 6 हो जाएगी। कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि किसी गम्भीर मसले पर मत विभाजन हो और 3 सदस्य किसी बात के समर्थक हों और 3 सदस्य विरोध में हों। ऐसी स्थिति में अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार के लिए यह सुझाव होगा कि इस बॉडी की संख्या ऑड नम्बर में रखी जाए, ताकि मत विभाजन की स्थिति में 3/2 की संख्या हो या 4/3 की संख्या हो। यदि बराबर संख्या हो जाएगी तो अनिर्णय की स्थिति हो जाएगी।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस आयोग को और शक्तिसंपन्न करने की आवश्यकता है, इस आयोग को और अधिकार देने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात शुरू ही की है और मैं अपनी पार्टी का दूसरा वक्ता हूं। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं ज्यादा देर तक बोलने वाला नहीं हूं। मेरा कहना है कि इस आयोग को और शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह आयोग एक टूथलैस टाइगर है, यानी आयोग के पास वह शक्ति नहीं है, जिससे वह अपने निर्णयों को लागू करा सके। ऐसे में इस आयोग की बहुत ज्यादा सार्थकता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार हनन की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं फिगर दे दूंगा। हमारे माननीय गृह राज्यमंत्री जी यहां उपस्थित हैं, जो बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं। कल बाढ़ पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने उसे तुरंत संज्ञान में लेते हुए अपना पक्ष रखा और

जवाब भी दिया। इस तरह से एक संवेदनशील व्यक्ति और मंत्री के सामने यह चर्चा हो रही है। पहले इसमें कर्मचारियों की संख्या 59 थी, अब वह घटकर 49 हो गई है। जहां इसमें आने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है, वहीं इसके कर्मचारियों की संख्या घट गई है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जिलों के स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए क्योंकि मामले बहुत बढ़ रहे हैं। अभी एक लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और हमारे बिहार में तो राज्य के स्तर पर भी अभी मानवाधिकार आयोग का न्यायालय गठित नहीं है। वैसे यह काम राज्य सरकार का है, लेकिन यहां से एडवाइज़री तो जानी ही चाहिए। यह मेरा एक सुझाव है। महोदय, अंतिम बात पूरी करने की अनुमति प्रदान करें। मैं खत्म ही कर रहा हूं। एक सेक्शन 353 है – 'सरकारी काम में बाधा'। यह आईपीसी का सेक्शन है। अंग्रेजों के जमाने में यह कानून बना। उस समय देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स रूल करते थे और हम भारतीयों पर वे शासन करते थे। अंग्रेजों ने इस कानून को अपनी सुविधानुसार बनाया था, लेकिन यह कानून वर्ष 2006 से पहले तक जमानती धारा में था। वर्ष 2006 के बाद भारत सरकार ने इस कानून को गैर जमानती धारा बना दिया। आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि हम राजनीतिज्ञ लोग हैं और सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। यदि कोई आम आदमी किसी कार्यालय में अपने कार्यवश जाता है, और कई दिनों, महीनों तक उसका काम नहीं होता है। वह कार्यालय में जाता है और कर्मी या अधिकारी से अपनी बात कहता है कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, तो जरा सी बात हुई नहीं कि सरकारी कर्मी उस पर एक मुकद्मा लाद देते हैं। कोई नौजवान अपनी नौकरी के लिए जाता है तो उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इन्कम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होता है। चूंकि उसे देर हो रही होती है और जमा करने की अंतिम तारीख होती है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : इसके लिए वह जरा सी बात करता नहीं कि उस पर 353 का मुकद्मा दर्ज कर दिया जाता है। यह सेक्शन वर्ष 2006 के बाद नॉन बेलेबल कर दिया गया है।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : कृपया अब समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह : यह मानवाधिकार का हनन है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि आईपीसी के सेक्शन 353 को गैर जमानती से जमानती किया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. आर. नटराजन (कोयम्बटूर): धन्यवाद, महोदय।

सामान्यतः: मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि यह पुलिस और सशस्त्र बलों की अत्यधिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, खासकर कश्मीर और उत्तर-पूर्वी राज्यों में। 1993 के इस अधिनियम के खंड 19 – सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया – केवल इन राज्यों में सशस्त्र बलों द्वारा किए गए गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ सिफारिशें करने का प्रावधान करता है, जबकि इसमें उचित कार्रवाई का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड जैसे कुछ राज्य हैं, जहां 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित होने के 26 वर्षों बाद भी मानवाधिकार आयोग नहीं है। इन राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मूलभूत मानवाधिकारों की अनदेखी की जा रही है।

इन क्षेत्रों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम ,1958 (अफस्पा) सशस्त्र बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर छूट के साथ असीमित शक्तियां देता है। जम्मू और कश्मीर 2016 में अफस्पा के तहत भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों की सूची में पहले स्थान पर है, जिसमें 92 शिकायतें दर्ज की गईं। असम दूसरे स्थान पर है, जहां 58 शिकायतें दर्ज की गईं। मणिपुर तीसरे स्थान पर है, जहां 21 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर हैं। 186 प्राप्त शिकायतों में से 74 भारतीय सेना के खिलाफ थीं; सेना की मुठभेड़ों में 24 शिकायतें; सेना की फायरिंग में 16 शिकायतें; 21 मामले कथित फर्जी मुठभेड़ों के; और 10 मामले बलात्कार और अपहरण के थे।

14 जुलाई 2017 को, एक ऐतिहासिक फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने पहली बार अफस्पा के तहत मणिपुर में 1,528 फर्जी मुठभेड़ों के मामलों का संज्ञान लिया और इनमें से 97 मामलों की जांच सी.बी.आई. से कराने का आदेश दिया।

सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, यौन शोषण और अन्य आरोपों ने उच्चतम न्यायालय को यह प्रश्न उठाने के लिए मजबूर किया कि क्या सेना में बलात्कारियों को पदस्थ किया गया है। सभी को इरोम शर्मिला के 16 साल के अनशन के मामले के बारे में पता है। मैं इस पर और अधिक नहीं कहना चाहता।

मैं 2019 के मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से सहमत नहीं हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस विधेयक को वापस ले। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि वह इस अधिनियम को कमजोर न करें।

मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, 2019 के मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक में उल्लिखित खामियों पर अपनी दृढ़ आपत्ति व्यक्त करता हूँ और सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह मानवाधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखे।

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदय, मुझे आज इस अवसर पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री किशन रेड्डी *गारू* जी, जो पहले यहां उपस्थित थे और अभी चले गए, मेरे तेलुगु भाई, श्री नित्यानंद राय *जी*, जो 16वीं लोक सभा में मेरे बेंच-मेट थे, और हमारे माननीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह *जी*, की उपस्थिति में यह भाषण दे रहा हूँ।

माननीय मंत्री जी के वक्तव्य एवं विधेयक के उद्देश्यों और कारणों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति में व्यावहारिक कठिनाइयां रही हैं। 1993 के अधिनियम के अनुसार केवल उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को ही एस.एच.आर.सी. का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता था, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में बाधाएँ उत्पन्न होती थीं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब किसी भी न्यायाधीश को यह दायित्व सौंपा जा सकेगा। मेरी दृष्टि में यह एक दूरदर्शी और स्वागत योग्य पहल है।

आंध्र प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। यहां तक कि एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति भी नहीं हो पाई है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। यह स्थिति राज्य मानवाधिकार आयोगों की कार्यप्रणाली की गंभीर स्थिति को दर्शाती है। मुझे आशा है कि यह विधेयक सभी राज्यों में सक्रिय मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

महोदय, इनमें मनमाने ढंग से की गई हत्याएं, जबरन गुमशुदगी, मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, पुलिस हिरासत में प्रताड़ना, और बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज से संबंधित मौतें तथा ऑनर किलिंग जैसे मामलों में आपराधिक जांच या जवाबदेही की कमी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं—यह केवल कुछ उदाहरण हैं। यदि हम वर्ष 2018 के मानवाधिकार प्रथाओं पर आधारित कंट्री रिपोर्ट को देखें, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग ने जारी किया था, तो उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार सेंसरशिप को लेकर प्रतिबंध लगा रही है, सोशल मीडिया अभिव्यक्ति को दंडित करने के लिए मानहानि कानूनों का उपयोग कर रही है और वेबसाइटों को ब्लॉक कर रही है।

जब विदेशी निवेशक भारत आते हैं तो मानवाधिकारों का मुद्दा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए, एक तरह से, मानवाधिकारों का उल्लंघन भी हमारे विकास पथ को प्रभावित करता है। इसलिए, इस बात का ध्यान रखना होगा।

महोदय, हम मानवाधिकार उल्लंघनों के विभिन्न रूपों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि एक ऐसा गंभीर विषय जिसे तुरंत संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, वह है सिर पर मैला ढोने की प्रथा, जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह प्रथा जाति-आधारित भेदभाव से भी जुड़ी हुई है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 का उल्लंघन है, जो सिर पर मैला ढोने पर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 16 का भी, जो समानता के अधिकार की बात करता है। साथ ही, यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3, 5, 7, 8 और 12 का भी उल्लंघन है, और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के मौलिक और बलपूर्वक श्रम सम्मेलनों के अनुच्छेद 2(1) का भी सीधा उल्लंघन करता है। यह स्पष्ट संकेत है कि हमारे पास इन मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद है, लेकिन समस्या इच्छाशक्ति की कमी की है। मेरा मानना है कि स्वयं हमारे प्रधान मंत्री जी भी इस विषय पर बोल चुके हैं। मैं इस सदन और सरकार से, आपके माध्यम से, विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया इस गंभीर विषय पर ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि सिर पर मैला ढोने जैसी अमानवीय प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया जाए।

महोदय, मैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूँ। भले ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, फिर भी सरकार आधार और अन्य विधेयकों के माध्यम से इस अधिकार का अतिक्रमण करने का प्रयास कर रही है। मैंने इस विषय को पहले भी कई बार सदन में उठाया है, विशेष रूप से 20 दिसंबर 2018 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के संबंध में, जिसमें 10 केंद्रीय एजेंसियों को किसी भी कंप्यूटर में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत सूचना को बिना अनुमति निगरानी,

अवरोधन और डिक्रिप्ट करने की शक्ति दी गई है। मेरे विचार में यह भी एक प्रकार का मानवाधिकार उल्लंघन है। यह स्वीकार्य नहीं है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।

वर्ष 2016 के मानव विकास सूचकांक में भारत को 188 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो श्रीलंका और मालदीव जैसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भी पीछे है। यह स्थिति निश्चित रूप से सुधार की मांग करती है। मैं माननीय मंत्री को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब भी वे हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएंगे, हम सभी उनके साथ खड़े होंगे। महोदय, इस सभा में कोई भी सदस्य यह नहीं चाहता कि भारत को मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन भारत की वैश्विक छवि को बेहतर बनाने और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मानवाधिकारों के क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान दिलाने की जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की ही है, जिसे गंभीरता से निभाना होगा।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे देश में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की गौरवशाली परंपरा है। इस देश के नागरिक वास्तव में भाई-बहन के रूप में सभी क्षेत्रों में एक साथ काम कर रहे थे। दुर्भाग्य से, नवीनतम स्थिति क्या है? महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस देश में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के कारण इस देश का सुंदर चेहरा अंधकारमय हो रहा है। कई रिपोर्ट्स हैं। मेरे पास एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट है, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, मैं इन सभी चीजों को उद्धृत नहीं करना चाहता।

<u>अपराह्न 02.42 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

मॉब लिंचिंग के संबंध में हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, उसके बारे में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा। हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई, 2018 को एक टिप्पणी की, कृपया इसे नोट करें। माननीय उच्चतम न्यायालय ने न केवल मॉब लिंचिंग की घटना की निंदा की, बल्कि इसे भीड़तंत्र का भयावह कृत्य बताते हुए टिप्पणी की कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और न ही इसकी अनुमति दी जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि इसे कठोर तरीके से नियंत्रित किया जाना चाहिए। कोई भी नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और न ही वह खुद को कानून समझ सकता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दंडात्मक, निवारक और उपचारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में पुलिस अधिकारी को, जो कम से कम पुलिस अधीक्षक (एसपी) रैंक का हो, नोडल पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, ताकि भीड़ द्वारा उत्पन्न हिंसा को प्रभावी रूप से रोका जा सके। इसके साथ ही, टीवी, रेडियो प्रसारण और ऑनलाइन संदेशों के माध्यम से यह चेतावनी फैलानी चाहिए कि लिंचिंग और भीड़ द्वारा उत्पन्न

हिंसा के गंभीर परिणाम होंगे। इसके अलावा, जो भी व्यक्ति झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय की इतनी टिप्पणी के बाद भी कुछ नहीं किया गया। मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति हैं, श्री संजीव भट्ट, जो एक बहुत अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, जिन्होंने जहां भी तैनात थे, वहां कई अच्छे काम किए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें एक झूठे मामले में फंसा दिया गया है। उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया और अब वे जेल में हैं। वे निलंबित भी हैं। मैंने उनके परिवार से मुलाकात की। उनकी पत्नी और अन्य परिवार के सदस्य यहां आए थे, वे रो रहे थे। वे बहुत अच्छे अधिकारी थे, लेकिन उनके खिलाफ मामला पूरी तरह से गढ़ा गया।

एक और उदाहरण उत्तर प्रदेश में डॉ. कफील खान का है। वे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। आप सभी को उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में हुई गैस त्रासदी के बारे में जानकारी होगी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वे सत्ताधारी पार्टी और उसके सहयोगियों की नजरों में अच्छे नहीं थे। फिर उनके साथ क्या हुआ? वे अब निलंबित हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि वे निर्दोष हैं। सभी अन्य लोग भी कह रहे हैं कि वे निर्दोष हैं। इन सभी बातों के बावजूद, उन्हें बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं यह अत्यंत विनम्रता से कहता हूँ कि सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का उत्पीड़न या अन्याय नहीं होना चाहिए।

महोदय, हमें इस बात को समझना होगा कि यह देश सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुनिया में प्रसिद्ध था। दुर्भाग्य से, क्या हो रहा है? मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सरकार को मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि मानवाधिकार उल्लंघन की लगभग सभी घटनाएं सरकार द्वारा प्रायोजित हैं। इस सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मानवाधिकार केवल आपके लिए ही महत्वपूर्ण हैं, जबकि दूसरों की स्थिति को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए, ताकि देश समृद्ध और संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य - असादुद्दीन ओवैसी।

माननीय सदस्य शॉर्ट में बोलिएगा।

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): सर, मैं पॉइंट फॉर्म में बोल रहा हूँ, मेरे दस पॉइंट्स हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य चूंकि आप इंट्रोडक्शन ऑफ बिल पर ही इतना बोल लेते हैं कि आपको बिल विधेयक पर चर्चा का समय ही नहीं बचता है।

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, मैं डिवीज़न नहीं मांगूंगा। [अनुवाद] केवल दस पॉइंट्स ही बोलूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर आप डिवीज़न भी करें तो मुझे लगता है कि यह तो आपका अधिकार है। कोई दिक्कत नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, आपका हुकुम हो तो करता हूँ। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है। मैं क्यों मना करूंगा?

... (व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : जी सर। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने का पहला कारण यह मानता हूँ कि चयन प्रक्रिया में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का एक सदस्य शामिल किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से क्यों नहीं? मंत्री महोदय जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इसे इसमें शामिल किया जाना चाहिए था।

दूसरी बात, महासचिव की नियुक्ति में पेरिस सिद्धांत कहते हैं कि महासचिव और जांच निदेशक सरकार से स्वतंत्र होने चाहिए। आप पेरिस सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं।

तीसरी बात, तीसरे, सांसदों को निर्वाचित सदस्य के रूप में क्यों रखा जा रहा है? आप मानवाधिकार आयोग में सत्तारूढ़ दल के सांसदों को क्यों रखना चाहते हैं? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो उन्हें सलाहकार के रूप में वहां रखा जाए।

चौथी बात, वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में, आखिरी बार आपने कब वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें एन.एच.आर.सी. की सिफारिशों के विवरण के साथ यह बताया गया हो कि आपने कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है?

पांचवीं बात, चयन प्रक्रिया बहुत ही अस्पष्ट थी और यह सत्तारूढ़ पार्टी के प्रभुत्व में थी।

छठी बात, मानवाधिकार न्यायालयों के संदर्भ में, राज्यों ने अभी तक राज्य मानवाधिकार न्यायालयों का गठन नहीं किया है, जबकि यह 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत एक आवश्यक प्रावधान था।

मेरा सातवां मुद्दा यह है कि एनएचआरसी की सिफारिशों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। इसे न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों को संपन्न करने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे निर्णयों पर अपील या पुनरावलोकन कर सकें जो वर्तमान में संभव नहीं है।

मेरा आठवां मुद्दा जांच अधिकारियों के बारे में है। पेरिस सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस अधिकारी स्वतंत्र होने चाहिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी तेलंगाना से आता है और अगर तेलंगाना में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, उसी कैडर का अधिकारी होने के नाते वह किस तरह की जांच करेगा?

मेरा नौवां मुद्दा यह है कि हमने 1997 में यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार या सजा (यू.एन.सी.ए.टी.) के खिलाफ यू.एन. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। बी.एस. चव्हाण की अध्यक्षता वाले विधि आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बावजूद हमने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। यदि हमने इसकी पुष्टि कर दी होती, तो हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन कर सकते थे। पुलिस अब सम्माननीय संस्था है। कोई भी सरकार पुलिस के खिलाफ नहीं जाएगी। भले ही मैं प्रधानमंत्री बनूं, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, मैं पुलिस के खिलाफ नहीं जाऊंगा। यह इसलिए है क्योंकि पुलिस हमारे समाज की सुरक्षा का आधार है, और हम इसके बिना नहीं रह सकते। आपको यू.एन.सी.ए.टी. को मंजूरी देनी चाहिए।

माननीय विदेश मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप को लेकर वह सतर्क रहे, क्योंकि यू.एस. फ्रीडम रिपोर्ट अब एक वार्षिक प्रक्रिया बन चुकी है। मैं यह नहीं चाहता कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे। उन्हें हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी, वे जानबूझकर अपनी रिपोर्टों में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यह एक नियमित प्रक्रिया बन सकती है, और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर नियंत्रण रखें और हमारी संप्रभुता की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए।

एनएचआरसी के अनुसार, 2015-16 में 179, 2016-17 में 169 और 2017-18 में 155 एनकाउंटर किलिंग की घटनाएँ हुईं जिनमें से अधिकांश मामले निचली जातियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों से जुड़े हैं।

पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की बात करें तो 2016-17 में 145 और 2018-19 में 136 घटनाएँ सामने आईं। न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु की संख्या 2018-19 में 1,797 रही। इस कारण, मैं यह कहता हूं कि यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अंत में, महोदय, मॉब लिंचिंग का मुद्दा है। माननीय सदस्य ने सही कहा है। माननीय गृह मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। [हिन्दी] सर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि मॉब लिंचिंग पर एक कानून बनाइए। आप क्यों नहीं बनते हैं? आप तो सुप्रीम कोर्ट के हर ऑर्डर को कानून बनाते हैं, इस पर क्यों नहीं बनाते हैं। आज बिहार में हुआ है। सर, आखिर में तबरेज़ अंसारी को मारा गया है। सर, आप देखिए कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ कितनी हेट्रेड है। सर, मैं बस खत्म ही कर रहा हूँ। सर, मारने वाले रात भर मारें, पुलिस ले कर अस्पताल जाती है, अस्पताल वाले नहीं देखते हैं। ज्यूडिशियल कस्टडी में नहीं देखते हैं। सर, जब संजीव भट्ट को 18 साल के बाद सजा हो सकती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि झारखण्ड की सरकार भी उन तमाम पुलिस अधिकारियों, उन ज्यूडिशियल ऑफिसर्स को सज़ा देगी। सर, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए, वर्ना जो लोग खड़े हो चुके हैं, मैं होम मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि आपको इन लोगों को बैन करना पड़ेगा। सर, प्लीज़ आधे मिनट में खत्म करने दीजिए। मैं, आपके ज़रिए होम मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि एक फ्रैंककेनस्टाइन खड़ा हुआ है। आपको किसी न किसी ऑर्गनाइज़ेशंस को बैन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो याद रखिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आज 302 हैं, मगर कल नुकसान पहुंचाएंगे देश को और आपको।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019 का विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूं। मैं इस विधेयक का विरोध केवल इसके विषयवस्तु के कारण नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरा मानना है कि यह विधेयक हमारे देश में वर्तमान में व्याप्त स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही मुख्य कारण है कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

महोदय, मेरी समझ और अध्ययन के अनुसार, जैसा कि श्री ओवैसी जी ने भी कहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि यह शामिल नहीं है, तो यह सरकार की ओर से एक गंभीर चूक होगी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को बाहर रखा गया है। हालांकि, मेरी समझ और अध्ययन के अनुसार, धारा 3, उप-खंड 3 के तहत, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग मानवाधिकार आयोग का अभिन्न हिस्सा है। इस पर कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण प्रदान किया जाए।

महोदय, मैं इस विधेयक के विवरण में नहीं जाना चाहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर काफी समय से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकांश मुख्य न्यायाधीश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने में रुचि नहीं रखते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए, तर्क के लिए, हम विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मुझे मानवाधिकार आयोग में अन्य समावेशिता को भी स्वीकार करना होगा। मैं समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यह कहता हूँ कि मानवाधिकार की परिभाषा और व्याख्या अत्यंत व्यापक है। इसमें प्रत्येक नागरिक का अधिकार, मौलिक अधिकार और अन्य सभी संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं।

महोदय, यह मूल अधिनियम वर्ष 1993 में पारित किया गया था। अब, यह वर्ष 2019 है। पिछले 26 वर्षों के हमारे अनुभव के आधार पर, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभाव का एक व्यापक समीक्षा अध्ययन कराए, जो पिछले 26 वर्षों में हुआ है, और इस अध्ययन के आधार पर एक समग्र विधेयक तैयार करे, ताकि वर्तमान स्थिति को उचित रूप से संबोधित किया जा सके।

आजकल मानवाधिकार आयोग को एक कागज़ी बाघ के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जो कभी-कभी राज्य की मशीनरी द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघनों से सामान्य नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसा क्यों है? संजीव भट्ट का मामला यहाँ पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है। इसी तरह, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मणिपुर में 1,528 व्यक्तियों की कथित अतिरिक्त-न्यायिक हत्याओं के मामलों में न्याय दिलाने में अपनी असमर्थता से निराश हो चुका है। एनएचआरसी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया कि वे एक निरर्थक संस्था हैं। उन्होंने स्वयं उच्चतम न्यायालय में यह बात मानी है। एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांत है जिसे पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मानवाधिकार आयोग को पेरिस सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। पेरिस सिद्धांत क्या हैं? अधिनियम में संशोधन एन.एच.आर.सी. को अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद और व्यापक कार्यों से संबंधित पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप बनाएगा ताकि मानवाधिकारों की प्रभावी रूप से रक्षा और संवर्धन की जा सके। लेकिन यह टिप्पणी करना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान अधिनियम और प्रस्तावित संशोधन पेरिस सिद्धांतों का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसलिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत और व्यापक विधेयक की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपका बहुत - बहुत धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. के. जयकुमार जी, आपकी पार्टी का समय खत्म हो गया है पर आपकी पार्टी के नेता ने कहा है कि आपको बुलवाए तो आप दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कीजिए।

[अनुवाद]

डॉ. के. जयकुमार (तिरुवल्लुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित इस विधेयक पर अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे सहयोगी डॉ. शशि थरूर ने उल्लेख किया है, यह विधेयक केवल एक टुकड़ों में किया गया और सतही संशोधन प्रतीत होता है। इसमें कुछ छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकाल अवधि को कम करना, एक अतिरिक्त सदस्य को शामिल करना और राष्ट्रीय आयोग में बीसी का समावेश आदि।

इसी संदर्भ में, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों को इस विधेयक में सह-निर्वाचित सदस्य के रूप में क्यों नहीं शामिल किया गया है? ये श्रेणियाँ हैं जो मानवाधिकार उल्लंघनों से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि इन्हें रिकॉर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। हो सकता है कि यह सरकार इस विधेयक को लाने का कानूनी अधिकार रखती हो, लेकिन इसके पास नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पिछले पांच वर्षों में मानवाधिकार उल्लंघन की कई गंभीर घटनाएँ घटित हुई हैं।

पिछले पांच वर्षों में घृणास्पद और अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस दौरान 266 लिंचिंग और घृणा अपराधों की घटनाएँ दर्ज की गईं, जो शायद स्वतंत्र भारत में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके बावजूद, सरकार इन घटनाओं को दर्ज और रिकॉर्ड करने के लिए कोई ठोस कानून बनाने से इनकार कर रही है। जैसा कि मुझे जानकारी है, वर्तमान में इन घटनाओं को आधिकारिक रूप से रजिस्टर करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने बहुत कड़ी आलोचना की और कहा कि यह आयोग एक प्रभावहीन आयोग है। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अब तक नहीं किया गया है। इस देश में राजनीतिक लोकतंत्र तो है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि क्या हमें सामाजिक लोकतंत्र भी प्राप्त है। ऐसा एक संस्थान ही सामाजिक लोकतंत्र ला सकता है, और इसलिए इसे मजबूत किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि कितने पत्रकारों, तर्कवादियों, विचारकों और विद्वानों को केवल इस कारण मार

दिया गया क्योंकि वे सरकार या प्रशासन के विचारों के अनुसार नहीं चलते थे और यह बात सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। इसलिए, कई बुद्धिजीवियों ने विरोध में अपने पुरस्कार वापस कर दिए हैं।

इसी भवन में संविधान सभा में, जब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने 25 नवम्बर, 1949 को संविधान को प्रस्तुत किया, तो उन्होंने कहा था, "चाहे संविधान जैसा भी हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो यह अच्छा संविधान बन जाएगा; चाहे संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हों तो यह बुरा संविधान बन जाएगा।" तो, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस तरह का आयोग बनाएंगे या कौन से नियम बनेंगे, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि इसे लागू करने वाले लोग कैसे होंगे।

[हिन्दी]

श्री नित्यानन्द राय: महोदय, मानव और मानवता का संरक्षण, उनके अधिकारों का संरक्षण माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की नीतियों के केंद्र बिन्दु में है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों के मानव अधिकार आयोग की व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह ठीक है कि यह आधुनिक रूप में होगा। भारत की सामाजिक व्यवस्था में पहले भी मानवता का उच्च स्थान रहा है। भारतीय संस्कृति में संतों की वाणी में, मानव का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, सत्य की विजय हो, असत्य की पराजय हो, ऐसा हमेशा आशीर्वाद या संदेश के रूप में मिलता रहता था। भारतीय परम्परा में किसी संत को कोई व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता था, तो उनके मुख से आशीर्वाद के रूप में यह वाणी निकलती थी। संतो के मुख से यह वाणी अभी भी निकलती है। मैं याद कराना चाहूँगा कि विश्व में लोकतंत्र की प्रथम जननी वैशाली है। वहाँ लिच्छवि वंशजों का राज्य रहा है। उस लोकतंत्र, गणतंत्र में मानवता के अधिकारों के संरक्षण के लिए इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई थी।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

प्रो. सौगत राय: क्या आप लिच्छवी से शुरू करके आज तक आएंगे?

श्री नित्यानन्द राय: हमने कितने धैर्य से आप को सुना है और आप बेधैर्य होने का हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विवेकानन्द जी ने भी कहा है कि मानव में भगवान बसता है, अगर भगवान को पाना है तो मानव की सेवा करो। इसी ध्येय और अवधारणा को लेकर हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए आज दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मानवता को राजधर्म बनाया है। न किसी पर कोई अत्याचार हो और न ही कोई अत्याचारी बख्शा जाए, इस संकल्प के साथ माननीय मोदी जी की सरकार काम कर रही है।

यह ठीक है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का ग्लोबल अलायंस है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानव परिषद् का एक निकाय है। मानव अधिकार के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने की व्यवस्था को सुदृढ़ तथा सफल और सरल बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर बहुत चर्चा हुई है। इस संशोधन विधेयक में जो प्रावधान लाने का प्रस्ताव है, उस पर सब लोगों ने चर्चा की है। माननीय सदस्यों के द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारी चिंताओं का उत्तर और समाधान संशोधन विधेयक के प्रावधानों में ही है।

महोदय, महिलाओं पर चिंता व्यक्त की गई। आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके लिए पहले से भी महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में आयोग की सदस्य तो हैं ही, इसके अलावा एक और सदस्या मानद सदस्य के रूप में इस आयोग में सम्मिलित हों, इसके प्रावधान का प्रस्ताव है। उनकी 50 प्रतिशत की आबादी है और इस मोदी युग में महिलाएं आगे आ रही हैं। वे तत्परता के साथ आगे आ रही हैं और नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग कर रही हैं, इसलिए यह अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। मानव अधिकार आयोग के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो, उनके उत्थान का हो या संवेदनाओं का हो, आयोग में उनकी सदस्य की संख्या यह संरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा।

महोदय, आयोग में सिविल सोसायटी को और ज्यादा अधिकार देने के लिए सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों की संख्या, जो आयोग में पहले दो था, उसे बढ़ाकर तीन कर दिया गया है। इससे सिविल सोसायटी की भागीदारी बढ़ेगी और निश्चित रूप से समाज के अधिकारों और मानव अधिकारों को संरक्षण मिलेगा और बल मिलेगा।

एन.एच.आर.सी. में विभिन्न वर्गों की अभिव्यक्ति को शामिल करने तथा बहुलता को सुरक्षित करने के लिए पहले से ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग तथा महिला आयोग का विधान है।

ओवैसी साहब चले गए। पता नहीं, गृह मंत्रालय से उन्हें क्या है?... (व्यवधान) उन्होंने यहां आरोप लगाया कि इसमें अल्पसंख्यकों के लिए सदस्य का कोई प्रावधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले से ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को इस आयोग के सदस्य के रूप में रहने का प्रावधान है। वैसे भी इसमें पहले से ओबीसी आयोग नहीं था। इसको नए प्रावधान में लाने का प्रस्ताव है, तो ओबीसी वर्ग में अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं। इसलिए उनके लिए उसमें कोई रुकावट नहीं है।

महोदय, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ-साथ मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन को भी एन.एच.आर.सी. के मानद सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मैं जानना चाहूंगा कि क्या अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं?

[हिन्दी]

श्री नित्यानन्द राय: माननीय प्रेमचन्द्रन जी, इसके अंदर सारी बातें हैं। जब आप इसे देखेंगे, तो आपको जरूर पता चलेगा। ... (व्यवधान) अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का स्थान पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में है। यह सुनिश्चित है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके साथ-साथ हमने यह भी बताया कि जब हमने ओबीसी वर्ग को इसमें लाने का प्रावधान किया है, तो अल्पसंख्यक भाई भी कहीं न कहीं से ओबीसी की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त... (व्यवधान) उनको हटाया नहीं गया है। यह चिंता का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनकी पात्रता को कहीं बाधित किया गया है। उनकी पात्रता तो है ही, इसके अलावा अध्यक्ष पद के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी पात्र बनाने का प्रावधान है।

अध्यक्ष महोदय, यह चिंता का विषय रहा है, इसलिए इसे करने के लिए माननीय मोदी जी की सरकार चिंतित है। मैं यहां स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि राज्यों के 13 आयोग के अध्यक्ष पद खाली है। 25 में से 13 पद खाली है और 12 इन पोजिशन है। ऐसी स्थिति में अगर आयोग के गठन में सरलता नहीं लाई जाएगी, तो आज जो प्रश्न उठ रहा है कि बहुत सारे केसेज़ पेंडिंग हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं, प्रक्रिया में विलंब हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है, इसीलिए चाहे वह राष्ट्रीय आयोग हो या राज्य का मानवाधिकार आयोग हो, उनमें कोई भी पद रिक्त न हो, इसके लिए इस प्रावधान को यहां लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार राज्य के मानवाधिकार आयोग में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अध्यक्ष पद के लिए पात्र हो सकते हैं। मैंने जो पूर्व में बताया कि वे सारी सरलता एवं सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। आयोग के अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण वर्ष 2006, 2007, 2009, 2010 और वर्ष 2015-16 में कुछ अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति को भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करके आयोग ने कार्य किया है। वैसी स्थिति भी आई थी। इस आयोग में जो प्रावधान किया गया है, दिल्ली के सिवाय संघ राज्य क्षेत्र में जहां मानव अधिकारों से जुड़े हुए कार्य अन्य राज्य आयोग को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, इसका कारण यह है कि उन लोगों को दिल्ली आना पड़ता है। इसलिए, जो संघ राज्य है और उसके बगल के राज्य में जहां राज्य मानवाअधिकार आयोग है, वहां उसको अटैच किया जा सके, वहां उनकी सुनवाई हो, वहां उनका संरक्षण हो, इसलिए इस प्रस्ताव को लाना बहुत आवश्यक था। अभी माननीय शशि थरूर साहब बोल रहे थे। उन्होंने कई चिंताएं भी व्यक्त की हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, आज उन्होंने एक बात यह कही कि एनएचआरसी को सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग प्राप्त नहीं है।... (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: मैंने कहा कि वर्ष 2017 में आपको मिला।... (व्यवधान) मैंने कहा था कि वर्ष 2016 में आपको यू.एन. सब-कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया, इसलिए आप वर्ष 2017 में जाकर एश्योरेंस दे दिए। आप इसको रिफार्म करेंगे। उसकी बेसिस में आप ... (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द राय: माननीय सदस्य ऐसा नहीं है। आपने पेरिस संधि की बात कही। आपने ऐसा कहा कि वहां आपने जो वचन दिया है, उसके लिए प्रस्ताव ला रहे हैं और आपकी रेटिंग कम है। मैं उस पर कह रहा हूं कि आज की डेट में एनएचआरसी को, हमारे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 'ए' अंक प्राप्त है, जो प्रथम होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की जो रेटिंग होती है, उसमें 'ए' शब्द का उपयोग होता है और हमें 'ए' ग्रेड प्राप्त है। ... (व्यवधान) हमें आगे भी 'ए' रेटिंग को बरकरार रखना है, इसलिए यह प्रावधान प्रस्तावित है।

अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को ध्यान में रखते हुए ही, निश्चित रूप से जो आप कह रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुझाव आए थे। हम एक निकाय हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हम एक निकाय हैं। हम एक-दूसरे के सुझावों को देते-लेते रहते हैं और मानते भी हैं। जो अच्छे सुझाव हैं, उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं है। आपके अच्छे सुझाव मानने में क्या ऐतराज हो सकता है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 100 सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों को लाने का जो प्रावधान है, यह उस सुझाव का परिणाम नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी की मानवता के प्रति संवेदना और मानव अधिकार को संरक्षित करने का संकल्प और विचार इसका आधार है।

अभी आप पेरिस समझौते की बात कर रहे थे और मापदण्ड की चर्चा कर रहे थे। आप कह रहे थे कि अध्यक्ष तथा सदस्यों की चयन प्रक्रिया पर्याप्त रूप से विस्तृत और पारदर्शी नहीं है। यह पूरी तरह से पारदर्शी है। जो पात्रता बनाई गई थी, उस पात्रता के आधार पर अनुपलब्धता होने की वजह से जो पद रिक्त होते थे, वे पद रिक्त नहीं रहे। मानव अधिकार आयोग पूर्ण रूप से गठित हो, इसके लिए पारदर्शिता में कोई दिक्कत नहीं है।

आपने असम में एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण 57 लोगों की आत्महत्या की बात कही। एनआरसी सरकार का संकल्प है। आप इसे जानते हैं। एनआरसी में अगर कुछ त्रुटियां रह गई हों और वह पूर्ण रूप से, अच्छे ढंग से, इसमें कोई योग्य व्यक्ति छूटे नहीं और ऐसे व्यक्ति शामिल नहीं हों, जो भारत की नागरिकता रखने के पात्र नहीं हों, उसके योग्य नहीं हों, यह रजिस्टर त्रुटिपूर्ण न हो, इसके लिए समय की मांग की गई है। एनआरसी में शामिल नहीं होने के कारण यह हुआ है, यह सही नहीं है। आप सही जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका

कारण कुछ और हो सकता है। आत्महत्या अच्छी चीज नहीं है। केन्द्र की सरकार संवेदनशील है। आप जो बात बोल रहे हैं, वह सही नहीं है। आपने कैंसर रोगियों की चर्चा की। आपने गिरफ्तारी में भेदभाव का आरोप लगाया। गिरफ्तारी में कहीं भेदभाव नहीं हुआ। जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही दिखाई देता है। ... (व्यवधान) मानव के अधिकारों का हनन दो प्रकार से होता है, एक व्यक्तिगत है और दूसरा समूह में है।

माननीय सदस्य, मानवता तार-तार कब होती है? शाम के समय सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी में मानवता तार-तार होती थी। मैं किसी येाजना का नाम नहीं लेने जा रहा हूं। जब बेबस और बीमार लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ते थे, मानवता वहां टूटती थी, मानवता वहां लाचार होती थी।

मानवता तार-तार वहां होती थी, मानवता का सर वहां झुक जाता था, जब हमारी अबोध बच्चियों और बेटियों के साथ घोर पाप करता था, पहले फांसी का प्रावधान नहीं था। मानवता वहां शर्मसार होती थी, मानवता वहां झुकती थी, मानवता वहां अपमानित होती थी, जब किसान की बेटी शादी का अरमान मन में पाले रहती थी और पैसे के अभाव में उसके हाथों में मेहदी नहीं रचती थी। एक भाई का सपना भी चकनाचूर होता था, जो सोचता था कि हमारी बहन भी अच्छी घर में ब्याही जाएगी, उसके अरमान कुम्हलाते थे, मानवता वहां शर्म करती थी, मानवता का मान वहां चूर होता था। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : हम संस्कृत के प्रोफेसर नहीं हैं, हिन्दी हमको समझ नहीं आती?

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, सुरक्षाबलों की कार्रवाईयों पर भी प्रश्न उठाया गया है। आप खड़े हो जाते हैं, यह मानव स्वभाव है, ध्यान को केन्द्रित करने वाला कोई बिन्दु खड़ा हो जाता है तो ध्यान उधर चला जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप हमें संरक्षित कीजिए। माननीय सौगत राय, मैं भी राय हूं इसलिए नहीं कहना चाह रहा हूं। दादा ही बोला हूं और उम्र भी दादा वाली है। सशस्त्र बलों द्वारा मानव अधिकार का उल्लंघन कहा गया है, इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर सशस्त्र बल मानव

अधिकार का उल्लंघन करती है, यह संवेदनशील सरकार है, यह मोदी जी की सरकार है। वहां से रिपोर्ट मंगाई जाती है, जांच की जाती है, निष्पक्ष जांच की जाती है और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। वैसे भी आप आदरणीय गृह मंत्री जी से परिचित हैं।

लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मानवता उन विधवाओं के लिए भी है, संवेदना उन विधवाओं के भी होनी चाहिए जिनके मांग में सिंदूर की लालिमा सजी होनी चाहिए, वहां उनके शहीद पति की चिता की राख सज जाती है, इसकी भी संवेदना हम सभी के मन में होनी चाहिए। यह संवेदनशील सरकार है। मुझे दो-चार मिनट दे दीजिए।

महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं, जब परिश्रम कोई इंसान करता है यानी परिश्रम और प्रयास परिणाम लाती है। परिश्रम और प्रयास से सरकार ने परिणाम लाई है और आगे भी लाएगी। जब मोदी है तो मुमकिन है और शाह है तो सिद्धी है। पूरे देश ने भरोसा किया है, आप सभी से भी आग्रह है कि भरोसा कीजिए। देश और दुनिया भरोसा कर रही है, आप भी भरोसा कीजिए। सभी के दिन अच्छे आए हैं और आपके लिए भी आगे खुशियां आएंगी। मानव जीवन के मानक में सत्ता छोड़, मानव का आत्मसुख और सुख सत्ता से नहीं होता, आप हमारी संस्कृति को पहचानिए। बाकी जो पारिवारिक सुख है, आपके दीर्घायु होने और बाकी अन्य सुविधाओं का है, अच्छे से जीने का है, माननीय प्रधान मंत्री आपकी भी चिंता कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तमिलनाडु में तो हमारी सरकार नहीं रही, जब तमिलनाडु सरकार को अपने राज्य में मानव अधिकार आयोग के गठन में कठिनाइयां हुई तो उन्होंने केंद्र को सुझाव दिया। उसके सुझाव का भी अंश इसमें है। वहां वर्षों तक आयोग के अध्यक्ष पद का चयन नहीं हो सका, नियुक्ति नहीं हो सकी। मैं तमिलनाडु सरकार के विचारों को समर्थन देने वाले राज्यों के बारे में बताना चाहता हूं। तमिलनाडु राज्य सरकार के प्रस्ताव की भावनाओं का का आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, गोवा, हिमाचल, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने आदर किया। उनकी भावनाओं का एक रूप इस प्रस्ताव में भी है। जनवरी 2014 में 21 राज्यों का सपोर्ट भी

हुआ है। जिन राज्यों ने बिल्कुल शतप्रतिशत सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने विरोध भी नहीं किया। छ: स्टेट के तो कमेंट ही नहीं हैं। कमेंट नहीं आने का मतलब है कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार से समर्थन किया है।

माननीय अध्यक्ष, विरोधी दल विरोध के लिए कोई बात कहे, यह भी लोकतंत्र में कोई अच्छी बात नहीं है। परंपरा को बदलिए। विचारों के आधार पर बात कही जानी चाहिए। मानवता के प्रति आप सबकी संवेदना होनी चाहिए। हमें अच्छे सुझाव की उम्मीद थी, बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं। सतपाल जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, कनिमोझी जी, श्री नटराजन, औवेसी साहब समेत 14 से 15 लोगों ने चर्चा में भाग लेकर अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं एक बार फिर माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की ओर से इन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मानवता जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मानवता के लिए संवेदना चाहिए, सत्कार का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए और जरूरत पड़े तो साहस भी उसमें दिखाना चाहिए। साहस दिखाने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दुनिया में जाने जाते हैं। वे मानवता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मानवता के लिए ही करेंगे। हिंदुस्तान की भूमि को तपोभूमि कहा जाता है, मानव जाति के लिए सबसे पवित्र भूमि मानी जाती है, अपने संतों की उस परंपरा में आज भी उसी प्रकार और उसी विचार से इस भूमि पर मानव के अधिकारों के संरक्षण का पूर्णरूपेण ख्याल रखा जाएगा।

मैं एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि आप संवेदनशीलता के साथ इस प्रस्ताव को पारित होने दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, हमने मंत्री जी का भाषण सुना, मानवता, मानवता सुनते हुए भूल ही गए कि हम मानव अधिकारों की बात कर रहे हैं। ... (व्यवधान) ह्युमैन राइट्स पर चर्चा थी और आप ह्युमेनिटी की बात कर रहे थे। ... (व्यवधान) मानवाधिकार की चर्चा हो रही थी, मानवता, मानवता करते-करते हमने सब खो दिया। ... (व्यवधान) मोदी जी कहते हैं कि डिजिटल युग आ गया, आप कहते हैं कि मोदी युग आ गया।

अमित शाह को गुस्सा न आए, इसलिए उनको कहा कि सिद्धि आ गयी। मैं माननीय मंत्री श्री अमित शाह जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सब चीज ठीक है। नेशल ह्यूमन राइट्स कमीशन में प्रिजन रिफार्म और पुलिस रिफार्म की रेक्मंडेशन है। हमारे हिन्दुस्तान में लगभग साढ़े चार लाख प्रिजनर्स हैं, उनमें से 68 परसेंट अंडर ट्रायल हैं। उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि वे पसर्नल बान्ड से भी अपने को छुड़ा सकते हैं। हम कभी-कभी जेल में जाते हैं तो मुझे बड़ा दु:ख होता है कि उम्र कैद की सजा वाले बहुत लोग को हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें कितने साल जेल में रहना पड़ेगा। कोई 14 साल, 20 साल, 30 साल के बाद छूट जातें हैं। एक यूनिफार्म तरीके से उम्र कैद की सजा वाले को व्यक्ति की, कम से कम ओपन प्रिजन बढ़ाकर, इन लोगों के प्रति जो मानवता की बात की जाती है, उसको अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का रवैया है कि:

[अनुवाद]

> “कारावास में बंद व्यक्ति को मानवाधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। उसे सभी अधिकार प्राप्त हैं। कारावास की प्रक्रिया में पहले से मौजूद कष्टों को और बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।”

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> **"**कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

[अनुवाद]

धारा 2 खंड 2 का संशोधन

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

धारा 3 खंड 3 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, संशोधन संख्या 1 यह है कि सदस्य के पास न्यूनतम एल.एल.बी. या न्यूनतम स्नातक की डिग्री हो और पांच वर्षों का अनुभव हो। मैं माननीय मंत्री जी से पूरी तरह सहमत हूँ कि विधेयक का विरोध केवल विरोध के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि वे केवल इस वजह से संशोधन का विरोध न करें क्योंकि वे सत्ता पक्ष में हैं। यह एक बहुत ही उचित संशोधन है जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 10, --

"सदस्यों" *के पश्चात्* (1)

"कानून में डिग्री प्राप्त करने के साथ-साथ अधिवक्ता के रूप में कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य होना चाहिए।" *अंत:स्थापित करें*।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 4 खंड 4 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं संशोधन संख्या 2 और 3 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।**"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 5 खंड 21 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, संशोधन संख्या 4 ।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, जब केंद्र सरकार राज्य आयोग को मामलों की सुनवाई के लिए निर्देशित कर रही है, तो कम से कम राज्य सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए। इसलिए, मेरा संशोधन है – "राज्य सरकार की पूर्व सहमति से"।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

“पृष्ठ 2, पंक्ति 41, --

"केंद्र सरकार हो सकती है," *के पश्चात्* (4)

"राज्य सरकार की पूर्व सहमति से" *अंतःस्थापित करें*।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 6 खंड 24 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के प्रेमचन्द्रन जी, क्या संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए। **"**

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।**"**

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सभी लोगों की सहमति हो तो पहले शून्य काल को शुरू कर दें, उसके बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस को ले लेंगे।

[अनुवाद]

कई माननीय सदस्य: हाँ, कृपया शुरू कीजिए।

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी।

श्री भर्तृहरि महताब: यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब जी, एक मिनट रुकिए, सभा में थोड़ा व्यवधान हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं सभा के साथ-साथ सरकार के भी ध्यान में लाना चाहूंगा। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, प्लीज अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए। माननीय सदस्यगण खड़े-खड़े बात न करें। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, पीठ करके बात नहीं की जाती है। मैं फिर माननीय सदस्यगणों से आग्रह करता हूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सदस्यों से कुछ कहूं। हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य भर्तृहरि महताब जी बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: हाल ही में, कैथरीन एबन द्वारा लिखित 'बॉटल ऑफ लाइज़: रैनबैक्सी एंड द डार्क साइड ऑफ इंडियन फार्मा' नामक एक किताब प्रकाशित हुई है, जिसे कैथरीन एबन ने लिखा है। इस किताब में भारतीय

दवाओं की जेनरिक दवाओं के पीछे छिपे डरावने सत्य को उजागर किया गया है, जो 20,000 यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दस्तावेजों और 240 से अधिक लोगों के साक्षात्कार पर आधारित है। उस पुस्तक में यह खुलासा किया गया है कि भारत में निर्मित बड़ी संख्या में जेनेरिक दवाएं वास्तव में अप्रभावी और कुछ हानिकारक भी हैं। अक्सर जेनरिक दवा निर्माता यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता की दवाएँ बनाते हैं, जहां नियमन बहुत कड़ा होता है, जबकि वे भारत में निम्न गुणवत्ता और प्रभावहीन दवाएँ खुशी-खुशी बेचते हैं। एबन की पुस्तक में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएस एफडीए) के निरीक्षकों द्वारा भारत स्थित विनिर्माण इकाइयों के निरीक्षण के दौरान पाए गए गंभीर अनियमितताओं का विस्तृत एवं गंभीर चित्रण किया गया है। इन निरीक्षणों में धोखाधड़ी, अस्वच्छ कार्यपरिस्थितियाँ एवं जानबूझकर अपनाए गए निम्न गुणवत्ता वाले निर्माण मानकों का खुलासा हुआ। एक संयंत्र की माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला में, जहाँ सूक्ष्मजीवों एवं बैक्टीरिया की जांच की जानी थी, वहाँ वास्तविक नमूने मौजूद ही नहीं थे- परीक्षण मात्र औपचारिकता भर थे, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। पूरी प्रयोगशाला फर्जी थी। अगर एबन की पुस्तक में लिखा गया अगर एक चौथाई हिस्सा भी सच है, तो यह डरावना है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जेनेरिक दवाओं पर हमारा विश्वास कई बार भ्रमित कर देने वाला होता है, क्योंकि वे अपेक्षित रूप से बीमारी या संक्रमण का उपचार नहीं कर पातीं। हाल ही में, जेनरिक दवाओं की प्रभावशीलता को लेकर प्रश्न भी उठाया गया था जिस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था। हमें जेनरिक दवाओं पर बहुत विश्वास है — जब भी मैं किसी बीमारी के लिए जेनरिक दवा लेता हूँ, तो यह विश्वास करता हूँ कि वह दवा मुझे ठीक कर देगी। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, और इस विषय पर हुई जांच-पड़ताल को जानने के बाद, अब मुझे संदेह होने लगा है कि जो दवा मैं ले रहा हूँ, विशेष रूप से जेनरिक दवाएँ, क्या वे वास्तव में प्रभावी हैं।

अतः, मैं माननीय सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि वह इस विषय पर यथाशीघ्र एक निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच प्रारंभ करें चाहे वह जेनरिक दवाओं के पक्ष में हो अथवा पुस्तक में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में हो। यह विषय देशवासियों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है, अतः आवश्यक है कि इस संबंध में

सत्य को सार्वजनिक किया जाए। मुझे आशा है कि सरकार इस गंभीर विषय पर यथोचित ध्यान देते हुए उपयुक्त प्रतिक्रिया प्रदान करेगी।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने 2022 तक सभी को अपने हक का पक्का घर देने का वादा किया है। सभी राज्य सरकारों ने इस ओर अपने कदम बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने 2011 तक महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। अफसोस की बात यह है कि राज्य सरकार की जो जमीनें हैं, उदाहरण के तौर पर जो फॉरेस्ट लैण्ड है, बाकी अलग-अलग प्रकार की जमीनें सभी राज्यों में होती हैं, रेलवे की जमीन है, बीपीटी लैण्ड है, वहां पर आज भी घर बनाने की परमीशन नहीं दी जाती है, सीवर लाइन डालने के लिए विरोध किया जाता है, टॉयलेट बनाने के लिए भी विरोध किया जाता है, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन्स भी नहीं दिए जाते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहूंगा कि आने वाले 15 अगस्त से पहले संबंधित मंत्री को इस बारे में एक सर्कुलर पूरे देश भर के लिए निकालना चाहिए। जब देश के प्रधान मंत्री एक मैसेज देते हैं तो लोगों में भी उम्मीद जागती है कि अपना घर अच्छा और ठीक से बनाएं, इस प्रकार का वे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार को जितनी भी जगह चाहिए, प्राइवेट फॉरेस्ट के माध्यम से कायदे के हिसाब से पर्याप्त जगह लोगों को देकर, जमीन मालिक को जमीन का पैसा देकर सारी जमीन इन्कलूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन ऐसा जब तक नहीं होता है, तब तक वहां रहने वाले लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली आए, वे अपना घर अच्छे तरीके से बना पाएं, उनको शौचालय की सुविधा मिले, उनको सीवर लाइन और इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन्स मिलें, इस प्रकार की व्यवस्था हमें आने वाले 15 अगस्त से पहले करना चाहिए। हम इस वर्ष महात्मा गांधी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, इस अवसर पर यह एक तोहफा पूरे देश के लोगों को दें। इस प्रकार की मांग, मैं आपके माध्यम से, सरकार से करता हूं। धन्यवाद।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव (गुना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: रोज ही बोल रहे हो, यह भी तो कहो, माननीय सदस्य।

श्री कृष्ण पाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गुना में तीन जिले आते हैं - शिवपुरी, गुना और अशोक नगर और आठ विधान सभा क्षेत्र आते हैं। वहां की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है और 17 लाख वोटर्स हैं, लेकिन इन जिलों के 150 से 200 किलोमीटर के एरिया में कोई भी बड़ा मल्टी-स्पेशियिल्टी हॉस्पिटल नहीं है। यहां के नागरिकों को अपने इलाज के लिए भोपाल, इन्दौर, कोटा या झांसी जाना पड़ता है।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है, विनम्र आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अशोक नगर जिले में एम्स की एक शाखा खोलने की कृपा करें।

[अनुवाद]

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदय, *शून्य काल* के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

वर्ष 1962 में, जब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र थुम्बा में एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई, तब थुम्बा के लोगों और लैटिन कैथोलिक चर्च ने एक आपसी समझ के आधार पर अपने आवासीय और गिरजाघर की भूमि देने पर सहमति व्यक्त की।

निर्माण कार्य के कारण विस्थापित हुईं 900 परिवारों विशेषकर उन मछुआरों, जिन्होंने अपनी रोजमर्रा की आमदनी और आजीविका खो दी थी, को भूमि और रोजगार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया था। यह समझौता 5 अप्रैल 1970 को डॉ. विक्रम साराभाई और पल्लीथुरा समन्वय समिति के बीच एक औपचारिक समझ के रूप में संपन्न हुआ।

लेकिन आज तक, इन सभी 900 परिवारों में से केवल 210 लोगों को भूमि और नौकरी प्रदान की गई है। मुझे अपने निर्वाचन-क्षेत्र के लोगों से जानकारी प्राप्त हुई है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में बाहरी व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है, जबकि उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है जिनके माता-पिता और दादा-दादी ने राष्ट्र के लिए, हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों के लिए अपनी भूमि का त्याग किया था।

इसलिए, मैं सरकार से इन विस्थापित परिवारों के प्रति संवेदनशील होने और अपने वादों को अक्षरशः पूरा करने का आग्रह करता हूँ।

मुझे खेद है कि हमारे माननीय मंत्री, जो बाह्य अंतरिक्ष विभाग के प्रभारी हैं, अभी हाल ही में इस सदन से बाहर गए हैं। हालांकि, मुझे विश्वास है कि यह विषय उन्हें सूचित किया जाएगा और वे इस पर सहानुभूतिपूर्वक प्रतिक्रिया देंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी - उपस्थित नहीं।

श्री विष्णु दयाल राम जी।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में एक प्रखण्ड है - कांदी। उस प्रखण्ड का कटाव दोनों ओर से हो रहा है। एक ओर कोयल नदी से कटाव हो रहा है और दूसरी ओर सोन नदी से कटाव हो रहा है। कृषि योग्य सिंचित भूमि है, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और अब तो मकान भी कटने शुरू हो गए हैं। वहां लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। झारखण्ड सरकार के सिंचाई विभाग ने जलशक्ति मंत्रालय को एक पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड, जो पटना में स्थित है, के पदाधिकारियों को भेजकर इसका सर्वे कराया जाए और सर्वे के बाद इम्बैंकमेंट बनाने की कार्रवाई कराई जाए।

अध्यक्ष जी, उस प्रखण्ड की बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है, इसलिए मेरा आपसे खासकर निवेदन है कि इस मामले को देखने का कष्ट करें।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): अध्यक्ष जी, मैं कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के विद्युतीकरण से संबंधित समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। सन् 2018 में 'सौभाग्य योजना' के माध्यम से जैक्शन कंपनी को अनुबंध मिला था कि गांव-गांव के जर्जर पोलों को बदल कर नए पोल-तार एवं बीपीएल कार्ड धारकों को नि:शुल्क कनेक्शंस की सुविधा दी जाए। परन्तु, आज भी कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के सैंकड़ों ऐसे टोले-मजरे हैं, जहां अभी पुराने जर्जर पोल-तार मौजूद हैं। बहुत लोगों को कनेक्शन नहीं मिला है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जीरो अवर किस विषय के लिए दिया था।

कभी भी माननीय सदस्यगण, वरिष्ठ माननीय सदस्य भी शून्य काल में अपने विषय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है।

आपको अनुमति दी जाती है, आप बोलें।

श्री विजय कुमार दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, शून्य काल समाप्त हो गया, इसलिए हम विकास के बारे में बोलना जरूरी समझें।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कुशीनगर लोक सभा क्षेत्र के लिए मेरा अनुरोध है कि जब हम लोग जैक्शन कंपनी को निर्देश देते हैं कि अमूक जगह पर आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आप उसे बदलें तब वे कहते हैं कि मेरा अनुबंध समाप्त हो गया है। जब तक नए अनुबंध के लिए हमें आदेश नहीं मिलेगा, तब तक कार्य आगे नहीं बढ़ाएंगे।

मेरा आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री जी से अनुरोध है कि उसे हमारे लोक सभा क्षेत्र के लिए नया अनुबंध कर दिया जाए या उसके अनुबंध को आगे बढ़ाया जाए ताकि विद्युतीकरण की सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जनपद, चित्रकूट जो भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली रही है। भगवान राम वनवास के समय में 12 वर्ष चित्रकूट में रहे थे। वहां कर्वी, हमारा कस्बा है, चित्रकूट का मुख्यालय है, उससे एन.एच.-76 राष्ट्रीय राजमार्ग, पिण्डवारा, झांसी, प्रयागराज, मिर्जापुर तक जाती है और वह सड़क वहां बीच से निकल कर जाती है। चित्रकूट में हर अमवस्या को लोग लाखों-लाख की संख्या में भगवान कामतानाथ जी के दर्शन करने आते हैं। भारत सरकार द्वारा हर माह की अमावस्या में कानपुर, प्रयागराज, चित्रकूट और झांसी से मेला एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाई जाती हैं, तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाती है। वहां राजमार्ग पर जाम लग जाता है, चित्रकूट धाम में जाम लगता है। लौढ़िया, सपहा, रंगौली, इटरौर, छिपनी, बाहर खेड़ा और शिवरामपुर गांव के बाहर बीस किलोमीटर का एक बाइपास बना कर, इसे बांदा से प्रयागराज की तरफ जोड़ दिया जाए, इससे जाम की स्थिति खत्म हो जाएगी।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस बाइपास को बनाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन, उपस्थित नहीं।

श्री एंटो एन्टोनी, उपस्थित नहीं।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष जी, भारत के राजपत्र अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 की संख्या 108 के अनुसार 'नायक' समुदाय राजस्थान की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया था। अनुसूचित जनजातियों को विनिदिष्ट, शामिल करने वाले अनुच्छेद 342 के खण्ड (1) के तहत जारी अधिसूचना को केवल संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून से ही संशोधित किया जा सकता है।

अध्यक्ष जी राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में दिनांक 13.5.2013 को राज्य सरकार ने इसको बदल कर पोर्टल में 'नायक' की जगह 'नायका' कर दिया, जबकि 'नायका' नाम से कोई जाति ही नहीं है। पिछले 37 साल से यह 'नायक' जाति के नाम से जाना जाता था और इनको अनुसूचित जनजाति में रखा गया था। पूरे

राजस्थान में लगभग 15 लाख की आबादी है, जबकि राजस्थान के अलावा 'नायक' दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में अभी भी नायक के नाम से ही जाने जाते हैं।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इनकी जाति को 'नायिका' की जगह 'नायक' कर दिया जाए, ताकि उन्हें लाभ मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री जयदेव गल्ला - उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष महोदय, मेरठ में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग बहुत पुरानी है। पिछले लगभग 40 वर्षों से इसके लिए आंदोलन हो रहा है। मैंने भी इस प्रश्न को लोक सभा में अनेक बार उठाया है, निजी विधेयक लाया गया, मंत्रियों से मुलाकात की है लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं हुआ है। मेरठ के अतिरिक्त आगरा एवं गोरखपुर में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ की मांग उठाई जाती रही है। देश के अन्य प्रदेशों में भी उच्च न्यायालयों के खंडपीठ स्थापित किए जाने की मांग अनेक माननीय सांसद उठाते रहे हैं। वास्तव में किसी भी प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करना वर्तमान व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहुत कठिन है। संबंधित उच्च न्यायालय की संतुति तथा संबंधित प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना यह संभव नहीं है। परिणाम यह हो रहा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के बावजूद कहीं भी उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित नहीं हो पा रही है तथा लम्बित मामलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत के न्यायालयों में कुछ साढ़े तीन करोड़ मामले लम्बित हैं, जिनमें से 46 लाख उच्च न्यायालयों में तथा 3 करोड़ से भी अधिक अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित है। सर्वोच्च न्यायालय में भी 59 हजार मामले लम्बित हैं। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अंदर 7 लाख से अधिक वाद लम्बित हैं। इन मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए अनेक स्थानों पर उच्च न्यायालयों के खंडपीठ की स्थापना तथा न्यायधीशों की नियुक्ति करना बहुत आवश्यक है। सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार सम्पूर्ण

न्याय व्यवस्था की समीक्षा करे तथा संसद में कानून बनाकर मेरठ इत्यादि स्थानों पर उच्च न्यायालयों की खंडपीठों की स्थापना करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री हरीश द्विवेदी - उपस्थित नहीं।

प्रो. सौगत राय - उपस्थित नहीं।

श्री बिद्युत बरन महतो - उपस्थित नहीं।

श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी - उपस्थित नहीं।

श्री दानिश अली - उपस्थित नहीं।

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के गन्ना किसानों को उनके भुगतान न होने का मामला सदन में उठाना चाहता हूं। सबसे दुख की बात यह है कि ये दोनों चीनी मिलें सुगौली और लौरिया हिंदुस्तान पेट्रोलियम की हैं, जिनका सीएसआर सैकड़ों करोड़ रुपयों का है। इसी की सब्सिडरी कम्पनी एचपीसीएल है, जहां चीनी मिलों ने मार्च महीने तक का भुगतान कर दिया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सुगौली और लौरिया चीनी मिलें गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया करके वे इस बात को देखें कि जिनका सैकड़ों करोड़ रुपये का सीएसआर फंड है, वह गन्ना किसानों का भुगतान क्यों नहीं कर रही है? मैं अनुरोध करता हूं कि गन्ना किसानों का जल्द से जल्द भुगतान करवाया जाए।

[अनुवाद]

कुमारी गोड्डेति माधवी (अराकु): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र अराकु में कुछ कृषि उत्पादों के बारे में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहती हूँ जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य कृषि उत्पाद हल्दी, कटहल, काजू और अनानास हैं। इन फसलों का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। उदाहरण के लिए, अकेले मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में लगभग 5000 मीट्रिक टन हल्दी

का उत्पादन होता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती है और देश में दूसरे स्थान पर आती है। एक और उदाहरण कटहल का है, जहाँ 4500 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त, 8000 से 10000 मीट्रिक टन अनानास का उत्पादन होता है, और 2500 मीट्रिक टन काजू का उत्पादन होता है।

हालाँकि, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसका समाधान मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण और बेहतर विपणन पहुंच सुनिश्चित करने में निहित है।

मैं आपके माध्यम से माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र अराकु में इन इकाइयों को स्थापित करने में हमारी मदद करें।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल जेल में भी रही हूँ। इसलिए कहती हूँ कि प्रत्यक्षम किं प्रमाणम। जब मैं वहाँ थी, तो मैंने वहाँ देखा, आज की स्थिति तो और बुरी है, वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं। वहाँ तीन हजार पुरुष कैदी हैं, लगभग डेढ सौ महिलाएँ और 25-30 बच्चे हैं। उन बच्चों का कोई अपराध नहीं है, जो 10-12 दिन के समय से लगभग छह वर्ष तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, लेकिन उनके लिए डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि वे बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और उनको कोई डॉक्टर नहीं मिलते हैं।

महिलाओं के लिए भी कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक कि कोई नर्स भी नहीं है, जो तत्काल चेक करके उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट देकर भेज सके।

उन बच्चों को प्रॉपर आहार भी नहीं मिलता है। बच्चों को जो विटामिन्स और प्रोटिन्स मिलने चाहिए, वह डाइट भी उनको नहीं मिल पाती है।

जब किसी को पकड़कर जेल भेजा जाता है, जाने कब किसको जेल में जाना पड़े, यह पता नहीं होता है। वर्तमान में राज्य सरकार किसी को भी जेल भिजवा देती है, वह फोन करती है और वहाँ जैसे ही कोई बंदी कोर्ट से आता है, तो जेलर द्वारा उसको इतना पीटा जाता है, जब कि पीटने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है, कोई भी कागजी कार्रवाई की जा सकती है, किन्तु उनको बहुत पीटा जाता है। हमारा एक कार्यकर्ता घायल हुआ और अंत में वह आत्महत्या करने के लिए तैयार था। परंतु, मैंने उसको रोका और उसे विश्वास दिलाया कि तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी।

महोदय, कानून का पालन हो, वहाँ लेडी डॉक्टर्स आएँ, नर्सेज आएँ और बच्चों की विशेष केयर के लिए कम-से-कम शिशु रोग विशेषज्ञ आएँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री थॉमस चाज़िकाडन (कोट्टायम): माननीय विदेश मंत्री जी के समक्ष इस महती सभा के माध्यम से मुझे एक लोक महत्व के विषय के मामले को प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद महोदय।

महोदय, कई मिलियन भारतीय विदेशों में निवास कर रहे हैं। भारतीय प्रवासी जब अपना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड नवीकरण करते हैं, तो उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, जब कोई ओ.सी.आई. कार्डधारक 50 वर्ष की आयु पार करता है, तो उसे अपना ओ.सी.आई. कार्ड नवीनीकरण के लिए फिर से सभी दस्तावेज़ों को सरकार को प्रस्तुत करना होता है, जिनको वे पहले ही शुरुआती समय में जमा कर चुके होते हैं। यह विशेष रूप से वृद्ध लोगों के लिए एक कठिन प्रक्रिया है। जब सरकार के पास पहले से ही जानकारी है, जिसमें ऐसे व्यक्तियों के प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां

शामिल हैं, सभी दस्तावेजों को फिर से जमा करने की मांग करना अनावश्यक और निरर्थक है और वास्तव में, केवल समय की बर्बादी है।

मैं माननीय विदेश मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और संबंधित अधिकारियों को ओ.सी.आई. कार्डों की नवीनीकरण प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्देश दें। दस्तावेजों को फिर से जमा करने की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

[हिन्दी]

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिनों के बाद मेरा बोलने का नम्बर आया है। हालांकि, कल आपने शून्यकाल बहुत लम्बे समय तक चलाया।

मेरे क्षेत्र सिरसा में एक घग्गर नदी जाती है। पंजाब की फैक्ट्रियों का प्रदूषित जल उसमें आता है और हमारे यहाँ तक आते-आते वह इतनी प्रदूषित हो जाती है कि उसमें से बदबू आती है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हैं।

जल संसाधन मंत्रालय से मेरी गुजारिश है कि जैसे बड़ी नदियों के लिए प्रोविजन रखा गया है, उनकी सफाई के लिए एक खास प्रावधान है। चूंकि घग्गर नदी भी एक बरसाती नदी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंत्रालय का ध्यान इस तरफ भी जाए। अगर इस नदी का जल साफ हो जाए, तो आसपास के क्षेत्र को कृषि में लाभ होगा। वहाँ रतिया क्षेत्र है, जहाँ से मैं पहले विधान सभा सदस्य भी रह चुकी हूँ, वहाँ के लोगों की यह बड़ी समस्या है। उन लोगों की यह समस्या हल हो जाए, तो मैं आभारी रहूँगी।

माननीय अध्यक्ष: श्री राहुल कास्वां को श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में वर्ष 2016 में एक राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ था। सिरसा से लेकर नौहर, सावा, तारानगर और चुरू का यह राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुआ।

इसकी डीपीआर बनाने के लिए वर्ष 2016-17 में साढे चार करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। वर्ष 2018 के अंत में डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार इस हाइवे का नम्बर आबंटन करे और जल्द-से-जल्द इसके निर्माण के लिए राशि का आबंटन करे।

तारानगर से चुरू का जो रोड है, वह मात्र तीन मीटर का बचा हुआ है। वहां पर रोज ऐक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐक्सीडेंट होने के कारण पब्लिक को बड़ी समस्या आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सिरसा, नौहर और चुरू का हाइवे जल्द से जल्द बनाया जाए।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अध्यक्ष महादेय, धन्यवाद। मेरे क्षेत्र अम्बेकरनगर एन.टी.पी.सी. (टांडा) का विस्तार हो रहा है, जिसके लिए 9 गांवों को विस्थापित किया जा रहा है। इनमें हासिमपुर, सलाहपुर रजौर, हुसैनपुर सुधाना, शरीफपुर आदि गांव आते हैं। इन सब गावों में पुनर्वास एक्ट के हिसाब से घर उजाड़ने से पहले उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मकान देना जरूरी है। लेकिन सरकार ने यहां सिर्फ 9 लाख रुपये देकर किनारा कस लिया है, जिससे आज ये लोग पूरी तरह से विस्थापित हो गए है। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि 9 लाख रुपये में कहां जमीन और मकान देकर विस्थापित कर सकते हैं। यह पूरी तरह से असम्भव है।

मान्यवर, इसी को देखते हुए लोग रोड के किनारे झोपड़ियों में बसे हुए हैं, जहां पर निरंतर सरकार उनको हटाने का प्रयास करती है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन लोगों को इनके अधिकारों के अनुसार पुनर्वास एक्ट के हिसाब से इन लोगों के लिए जमीन खरीदकर उसके ऊपर आवास बनाकर इनको दिया जाए। अन्यथा यहां पर स्थिति बड़ी विस्फोटक है और आगे भी यहां बहुत बड़ा आन्दोलन होने की चर्चाएं आम हो रही हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और मुझे याद है कि जब वर्ष 1996 में सांसद बनकर आया था तो मुझे दो वर्ष शून्य काल में विषय उठाने में लगे थे। हमारे सभी सांसद इतने सौभाग्यशाली हैं कि माननीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन और प्रयासों से उनको मौका मिला है। मुझे वर्ष 1996 व 1997 में शून्य काल में विषय उठाने में दो साल लग गए थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। महोदय, हर किसी को अपना शहर सुंदर लगता है। मैं सारण से हूं और छपरा मेरा मुख्यालय है। भारत के इतिहास में इण्डस वैली सिविलाइजेशन से आप अभी तक देखें तो भारत में जितने शहर मुख्यत: नदी के किनारे बसे हैं, छपरा भी नदी के किनारे बसा शहर है। भारत सरकार ने हमारे शहर के लिए बहुत पैसे स्वीकृत किए हैं। हाल में नमामि गंगे में 230 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो शहरों के नालों के डायवर्जन तथा इंस्पेक्शन के लिए पैसा मिला है। साथ ही साथ खनुआ नाले के लिए भी 30 करोड़ रुपये की राशि मिली है। इसके अलावा 120 करोड़ रुपये की राशि नल-जल के ऊपर मिली है, जो अमृत योजना के अंतर्गत है। मेरी चिंता यह है कि उसी शहर में खम्भे के बिजली के तारों को नीचे करते हैं। जब राज्य सरकारों के पास इतने पैसे चले जाते हैं तो किसी जिले में इन सभी चीजों को एक करना चाहिए। कोई एक तरफ से गढ्डा खोदेगा, कोई दूसरी तरफ से लाईन बिछाएगा, कोई तीसरी तरफ से खम्भा लगाएगा, कोई चौथे तरफ से पुल बनाएगा, कहीं नाला होगा, कहीं ढक्कन होगा आदि। कठिनाई यह होती है कि जिला स्तर पर इसका समन्वय नहीं होता है, जिसके कारण कार्य में गुणवत्ता नहीं आ पाती है। आपके माध्यम से मेरा बिहार सरकार और बिहार के मुख्य सचिव से आग्रह है कि आपने जो नई परम्परा शुरू की है कि ऐसे विषयों को राज्य सरकारों को भेजेंगे। यदि आप इस विषय को राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेजेंगे तो एक बड़ी समिति बनाकर ये जो 300 करोड़ छपरा शहर के सौन्दर्यीकरण के लिए जाने वाला है, इसका समन्वय हो सकता है। पुराने शहरों में यह काम कराना कठिन है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि छपरा शहर का सौन्दर्यीकरण हो। स्वच्छ भारत में उसका नाम सूची में 140 पर है, उसे 40 पर पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत सरकार की इस बड़ी योजना को सफल बनाने के लिए आपकी तरफ से मार्ग निर्देशन जाए।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एवं आभार। मैं इस सदन के माध्यम से आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बिहार के अंतर्गत आने वाले गोपालगंज या थावे रेलवे जंक्शन से रेल सेवा शुरू करने का आग्रह कर रहा हूं। [अनुवाद] मेरे क्षेत्र की आबादी 25 लाख है। [हिन्दी] यहां कोई ट्रेन न होने से दूसरे जिलों में जाकर लम्बी दूरी की ट्रेनें पकड़नी पड़ती हैं। दिल्ली एवं अन्य नगरों के लिए ट्रेन नहीं हैं। दिल्ली के लिए 150 प्राइवेट बसें जरूर चलती हैं, जिसके कारण स्पीड की आपाधापी में दुर्घनाएं होती रहती हैं। अत: आपसे आग्रह है कि दिल्ली एवं अन्य महानगरों, जैसे कोलकाता, पटना को नई ट्रेनें दी जाएं या कुछ ट्रेन्स छपरा एवं सीवान से गोपालगंज, थावे होते हुए दिल्ली के लिए दी जाएं।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण और उद्योग मंत्रालय का ध्यान प्रदूषण के महत्वपूर्ण विषय पर दिलाना चाहता हूं। प्लास्टिक और पॉलिथिन के प्रदूषण के कारण एक समस्या इस देश के अंदर है।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u> (श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

हर जगह पॉलीथीन और प्लास्टिक के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पॉलीथीन और प्लास्टिक पर कई राज्यों ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन प्रतिबंध इस देश में कानून का रूप लेता है, पर इसके बाद भी उसका पालन नहीं होता है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि प्लास्टिक और पॉलीथीन उद्योगों को बन्द करने का काम करना चाहिए। जो पॉलीथीन शॉर्ट टर्म के लिए उपयोग की जाती है, उस तरह के उद्योगों को बन्द करना चाहिए और उन उद्योगों को चलाने वालों को निर्धारित समयावधि उपलब्ध कराएं कि वे 2 वर्ष के भीतर प्लास्टिक और पॉलीथीन उद्योग बन्द करें और इसके विकल्प में उनको जो तैयारी करनी है, उसके लिए उनके पास केवल 2 साल का समय है। जब तक हम उद्योगों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, तब तक इस देश से पॉलीथीन और प्लास्टिक का प्रदूषण फैलाने वाली जो विकृति है, उससे मुक्ति हमें नहीं मिल सकती। इसी पॉलीथीन से जानवरों को नुकसान होता है। यही पॉलीथीन

समुद्र किनारे मछलियां खाती हैं, उनको इससे क्षति पहुंचती है और इसी के कारण मुझे लगता है कि कैंसर व अन्य तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए आपके माध्यम से अनुरोध है कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के उद्योगों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगे और ये उद्योग चलाने वालों को वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे इनके स्थान पर दूसरा उद्योग स्थापित कर सकें। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15, प्राइवेट मेंबर बिजनेस, श्री जगदम्बिका पाल जी अपना भाषण जारी करें, जो पिछली बार रह गया था।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं तो समझ रहा था कि शून्य पहर में आप समय देने जा रही हैं।

माननीय सभापति : नहीं, इसीलिए आपको बुलवाया था कि आपको पूरा समय दिया जाए।

श्री जगदम्बिका पाल: आज हम और मेरे मित्र हनुमान भाई, दोनों वंचित रहे थे।

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय मंत्री जी रूठे हुए हैं क्या? पीछे बैठै हुए हैं, उनको कृपया आगे बुला लिया जाए?

माननीय सभापति : नहीं, काम कर रहे हैं। फाइल देख रहे हैं। उन्हें स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। श्री जगदम्बिका पाल जी।

अपराह्न 04.03 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण...जारी[13]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मैं बहुत आभारी हूं कि आपकी स्वेच्छा से कृपा मिली। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय है जिससे सारा सदन चिंतित है, वे चाहे सत्तापक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के लोग हों। कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी ने अपने क्षेत्र बुंदेलखण्ड के संबंध में यह विषय उठाया था कि बुंदेलखण्ड में लगातार वर्षों से पानी के संकट के कारण स्थिति यह है कि वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पानी के संकट व चारे की कमी के कारण लोग अपने जानवरों को खुला छोड़ दे रहे हैं, जिसको अन्ना प्रथा कह रहे हैं। इस कारण वहां के किसानों की फसल को बहुत नुकसान होता है। बुंदेलखण्ड चाहे उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, या मध्य प्रदेश का हिस्सा हो, उन दोनों इलाकों में पानी के संकट के कारण जलस्तर में गिरावट आ रही है, जिसके कारण निश्चित तौर पर बड़ी पथैटिक कंडीशन हो गई है। उन्होंने इस विषय को लिया और आपने कृपापूर्वक इसको स्वीकार किया।

महोदया, यह संकट अब केवल बुंदेलखण्ड -में नहीं है, यह संकट केवल कुछ क्षेत्र तक सीमित नहीं है, आज यह संकट कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। आज देश के सभी राज्यों में कहीं न कहीं पानी का ऐसा संकट है कि इसके समाधान के लिए सदन को भी सोचना होगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो पानी का संकट है और जिस पानी के संकट के समाधान के लिए आज तमाम राज्यों में जिस तरह की मतभिन्नता है, वह अत्यंत गंभीर है। राज्यों में आपस में लिटिगेशन्स हैं। राज्यों में आपस में आंदोलन हैं, चाहे वह तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो या देश का कोई भी राज्य जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखण्ड हो।

---

[13]*श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा 21 जून, 2019 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा।

महोदया, इसे देखते हुए जिस तरीके से एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, वह इसीलिए कि प्रधान मंत्री जी की इच्छा थी कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में वाटर कन्जर्वेशन कर सकें या वाटर हार्वेस्टिंग या रेन हार्वेस्टिंग कर सकें, क्योंकि यही इसका एक समाधान हो सकता है।

सभापति महोदया, एक बात से आप सहमत होंगी कि आज इस मंत्रालय को बनाने के लिए पहली बार अगर प्रधान मंत्री जी ने यह फैसला किया, तो निश्चित तौर पर इसलिए किया कि आज पानी एक ऐसी चीज है, जिसे अगर हमने प्रिजर्व नहीं किया या उसका संचयन नहीं किया, तो हम पानी का निर्माण नहीं कर सकते हैं। पानी के संकट का समाधान केवल पानी को बचाने से ही हो सकता है और किसी चीज से नहीं हो सकता है। आज मुझे चंदेल साहब के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया है।

आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 13 जनपदों में जो स्थिति है, करीब 70 हजार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वर्ष 2003 से जल संकट शुरू हुआ है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार बुंदेलखंड के इंटरनल इलाकों से जो माइग्रेशन हो रहा है, उसका मुख्य कारण पानी है। पानी का संकट लोगों के सामने गम्भीर चुनौती इसलिए भी हो गया है कि सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का आंकड़ा है कि वहां के जो कुएं थे, जिनसे लोग पानी निकालकर इस्तेमाल करते थे, उन कुओं के पानी का जल स्तर 61 परसेंट तक नीचे चला गया है। नीति आयोग ने भी वाटर क्राइसिस पर अपनी रिपोर्ट दी है कि 600 मिलियन इंडियंस ऐसे हैं जो आज पानी के गम्भीर संकट से गुजर रहे हैं। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित हैं। हमें इस बात की चिंता करनी होगी कि ऐसे कौन से कारण हैं, जिनके कारण पानी का यह संकट खड़ा हुआ है और किस तरह से उन पर काम किया जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय को बनाने के पीछे प्रधान मंत्री जी की परिकल्पना थी। उन्होंने वर्ष 2014 में मिशन मोड के रूप में स्वच्छता अभियान की शुरूआत की थी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह से प्रधान मंत्री जी ने राजधानी दिल्ली की सड़क पर झाड़ू चलाया। यह पूरे देश के लिए संदेश था। हमारी सरकार ने केवल स्वच्छता अभियान का नारा ही नहीं दिया अपितु नौ करोड़ घरों में शौचालय देने का काम किया है। पहले महिलाओं को शौच जाने के लिए सांय काल का इंतजार करना पड़ता था। मैं

समझता हूं कि यह अभियान अपने आप में क्रांतिकारी है। पिछले पांच सालों में देश के तमाम राज्यों में जागरुकता आयी है और अब लोगों को सार्वजनिक रूप से गंदगी फैलाने पर अपराध बोध होता है। इससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया में हमारे देश के प्रति नजरिया बदला है। अब भारत में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शहरों की सफाई होती है। देश की आजादी के कई सालों बाद भी करोड़ों परिवारों के पास घर नहीं था और घर था तो शौचालय नहीं था। गांव से लेकर शहरों तक गंदगी थी। पूरी दुनिया का नजरिया था कि भारत में इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। पिछले पांच सालों में हमारी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां तैयार की हैं कि पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण पैदा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, सामाजिक या सार्वजनिक स्थान, ऐसी सभी जगहों पर स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में चेतना आयी है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो दिन हमारे लोक सभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी ने स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए लोक सभा और राज्य सभा के हम सभी सांसदों को लोक सभा परिसर में स्वच्छता अभियान को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम प्रधान मंत्री जी के स्वच्छता के अभियान के साथ अपने गांव में भी जुड़े थे और स्वच्छता अभियान में शामिल थे। संसद में स्पीकर साहब ने उस काम को बढ़ाया है।

महोदय, जब एक अभियान इस तरह से मूर्त रूप ले रहा है तो मैं समझता हूं कि पानी के संकट को वर्ष 2019 में हमारी सरकार बनने के बाद प्रधान मंत्री जी ने कहा कि हमें जल संकट के समाधान के लिए जल का संरक्षण है। इसके लिए हमारे युवा मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के ऊपर जिम्मेदारी दी गयी है। अभी तक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि देश के 17.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से अभी तक केवल 3.27 ग्रामीण नल और पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलता है।

यह स्वाभाविक है कि देश सन् 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 से आज हम वर्ष 2019 में खड़े हैं और आज भी 2019 में देश के करोड़ों-करोड़ परिवारों के पास स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि यह इस देश के लिए कितनी सोचने और चिंता करने का विषय है। शायद यह परिस्थितियां सन् 1947 से देश की आज़ादी के बाद से अब तक निर्मित थीं। इस बात की चिंता पिछली सरकारों में भी हो सकती थी,

लेकिन मैं आज निश्चित तौर से इस बात के लिए बधाई दूंगा कि प्रधान मंत्री मोदी जी ने यह तय कर लिया है कि वर्ष 2024 तक हम देश के हर घर में पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि यह दुनिया में एक क्रांति है, जैसे उन्होंने 'आयुष्मान भारत' के लिए किया है। आज ओबामा केयर की बात हो रही थी। इसी तरह मोदी केयर की चिंता है कि 10 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह सिर्फ किसी सरकार की इच्छा शक्ति से ही हो सकता है और किसी सरकार के संकल्प से ही हो सकता है।

यह विपक्ष हमसे सवाल करता है कि आखिर इतनी बड़ी योजना घोषित हो गई है, तो इसके लिए पैसा कहां से आएगा, वह 50,000 करोड़ रुपये कहां से आएंगे? प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई और वह 12 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इस बार के बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि आज किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए, निश्चित तौर से किसानों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे 75,000 रुपये करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ परिवारों और आयुष्मान भारत के लिए 50,000 करोड़ रुपये हों, अगर वर्ष 2024 तक हर घर में पाइपलाइन से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का संकल्प लिया है, तो निश्चित तौर से हमारी सरकार और इस नए मंत्रालय के नेतृत्व में हर घर में पानी पहुंचेगा और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचेगा।

महोदया, हम पिछली सरकरों की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में देश की 100 प्रतिशत आबादी के सापेक्ष अभी तक 18.33 प्रतिशत आबादी को ही केवल नल से पानी उपलब्ध हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज तक 50 प्रतिशत लोगों के लिए देश की आजादी का क्या अर्थ है। हमने जंगे आज़ादी की ब्रितानिया हुकूमत से गुलामी की दास्तां की जंजीरों से मुक्ति दिलाई। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी थीं, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाई और शहादत दी, हंसते-हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। अगर ब्रितानिया हुकूमत की गोली लगी, तो अपनी बहनों को दिए हुए वचन के मुताबिक अपने सीने पर गोलियां खाईं। उस कुर्बानी की कीमत यह थी कि वर्ष 2019 तक केवल 18 प्रतिशत घरों में स्वच्छ पेयजल

मिल सके। हम पानी जैसी बुनियादी चीज न दे सकें। आज मैं समझता हूं कि वह सबसे बुनियादी चीज थी और लोगों का हक था कि उनको कम से कम स्वच्छ पेयजल मिल सके। उस स्वच्छ पेयजल के बुनियादी हक को पहुंचाने का संकल्प अगर पहली बार किसी सरकार ने सोचा है, तो वह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। यह संकल्प निश्चित तौर से केवल संकल्प नहीं होगा, बल्कि यह सपना साकार होगा। इसीलिए, वर्ष 2019-20 के केन्द्रीय बजट भाषण में... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि इस संकल्प पर पहले ही चार घंटे की चर्चा हो चुकी है और इस प्रकार इस चर्चा पर आबंटित समय लगभग समाप्त हो चुका है। चूंकि उक्त संकल्प पर हो रही चर्चा में 12 और सदस्यों को भाग लेना है, इसलिए सभा को इस संकल्प पर अधिक चर्चा करने के लिए समय को बढ़ाना होगा। इसलिए, क्या सभा सहमत है कि संकल्प पर चर्चा हेतु समयावधि को दो घंटे और बढ़ा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

माननीय सभापति : ठीक है, समयावधि को दो घंटे और बढ़ाया जाता है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदया, जब 2019-20 का केन्द्रीय बजट हमारी वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस हुआ है, वह जल जीवन मिशन के लिए हुआ है। जल जीवन मिशन का केवल यही उद्देश्य था कि हम वर्ष 2024 तक सभी घरों में निश्चित रूप से जल को पहुंचाने का काम करेंगे। [अनुवाद] आज केवल हमने जल जीवन मिशन नहीं बनाया है, हमने कोई स्लोगन दे दिया है या किसी कार्यक्रम का नाम दे दिया है, बल्कि उस जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने के लिए, जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए, हमने जल शक्ति अभियान का निर्धारण किया है, उसका रोड मैप बनाया है।

उसने चिन्हित किया है कि देश के 256 जिले ऐसे हैं, जिसमें 1592 ब्लॉक्स का चयन किया गया है कि जहां पर पानी का संकट था। उन 1592 ब्लॉक्स में से 312 ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां पर इतना पानी निकाला जा

चुका है, इतना अति दोहन हो चुका है कि गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसी तरह से 1186 ब्लॉक्स में भी पानी का संकट पैदा हो गया है। उन ब्लॉक्स के लोगों को नीचे तक, डीप बोरिंग के बावजूद भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार पानी को हम यूज़ करते रहते हैं। अगर पानी का कंज़र्वेशन हम नहीं करेंगे, पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में यह क्राइसिस दुनिया के सामने हो रहा है, भारत के सामने हो रहा है, लेकिन समय रहते हुए हमारी सरकार ने सोचा है। मैं कह सकता हूँ कि उस पर काम होगा।

महोदया, आज कम से कम जो हमारे 94 ब्लॉक्स हैं, उनमें भी भू-जल की कम उपलब्धता है। हमारे माननीय मंत्री जी ने 5-6 कार्यक्रमों पर सभी मंत्रियों को पत्र भी लिखा। सभी राज्य सरकारों को 11.06.2019 को कहा है। मतलब सरकार बनते ही सबसे पहले जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह जी के द्वारा सभी संबंधित मंत्रियों को, राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ एक अस्थायी जल-प्रबंधन के लिए लिखा गया है क्योंकि मान लीजिए कहीं अगर बुंदेलखंड में पानी का संकट है तो हम ट्रेन से पानी पहुंचा दें। कहीं कर्नाटक में, कहीं महाराष्ट्र में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में या किसी राज्य में पहुंचा दें तो वह एक अस्थायी समाधान होगा। निश्चित तौर से अस्थायी समाधान के लिए हमें जो कार्ययोजना तैयार करनी होगी, उस संबंध में कम से कम एक अस्थायी जल प्रबंधन के मुद्दे पर चर्चा हमारे इस जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू की है और माननीय मंत्री जी ने पहल की है। निश्चित तौर से मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया है और बढ़ाया है, उस पर हमारे राज्यों के सहयोग से आने वाले दिनों में संकट दूर हो सकेगा।

इसी तरह से प्रधान मंत्री जी ने भी 08.06.2019 को देश के एक-एक गांव के सरपंचों को, चाहे वह जल संरक्षण के लिए या वर्षा जल-संचयन, वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर कंज़र्वेशन एण्ड वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए उसके महत्व को रेखांकित करते हुए आज पानी का इतना मूल्य है, पानी की कितनी आवश्यकता है, उसके बारे में खुद प्रधान मंत्री ने स्वयं देश के सभी राज्यों के सरपंचों को अपनी तरफ से पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि यह केवल एक केन्द्र सरकार या केवल प्रशासन के माध्यम पर छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से जल संरक्षण की, जब तक कि स्वच्छता अभियान की तरह से यह आंदोलन नहीं बनेगा, तब तक शायद इसको हम जन आंदोलन

नहीं बना सकते हैं। आज जल संरक्षण को एक जल आंदोलन बनाने के लिए हमारे सरपंच, जो एक स्थानीय स्तर पर हैं। ... (व्यवधान) मैडम, अभी तो आपने हमें स्वेच्छापूर्वक कहा था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मैंने अभी टाइम देखा है तो आप 23 मिनट पहले बोल चुके हैं, 17 मिनट अभी बोल चुके हैं।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: थोड़ी देर आप टाइम मत देखिए, सदन की तरफ देखिए।

माननीय सभापति : जगदम्बिका जी, टोटल 43 मिनट्स हो गए हैं तो इसको आप वाइंड-अप कर दीजिए। और भी लोग बैठे हैं।

... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: मैडम, हम कर देंगे। अभी तो बोलने दीजिए।

मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम शुरू हो रहा है तो इस कार्यक्रम में जब हम आगे करेंगे, आज पूरी दुनिया में यह बात लिखी जा रही है कि किस तरीके से जल संरक्षण किया जाए। हमारी तो जो इंड्स रिवर थी, उसी के नाम पर हमारे देश का भी नाम पड़ा है। वे भारत की लैण्ड ऑफ सैवन रिवर्स कहलाती भी है। आप अगर संजीव सन्याल की बुक को देखें, मतलब उसी समय उन्होंने नाम दिया था कि हमारी यह जो इंड्स रिवर है, उसी के नाम पर देश का नाम पड़ा है। आज अगर उस पानी के संकट को दूर नहीं किया गया तो केवल सूखा ही नहीं पड़ेगा, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, जो पैरलल वॉटर क्राइसिस है, उससे भी कठिनाई होगी। इस तरीके से इस कठिनाई के बाद जो स्थितियां बनेंगीं, उसमें आगे हम कैसे काम करेंगे? सरकार ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ की हैं। चाहे वह जल-जीवन मिशन हो या सन् 2024 तक हर घर को पानी की बात हो या नैशनल रूरल ड्रिंकिंग वॉटर प्रोग्राम हो, यह भी एक बड़ा प्रोग्राम है। नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हो या जल-शक्ति मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की हो, मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा।

जो ईजमेंट एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करना पड़ सकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब को रेशनलाइज करते हैं, वाटर को भी रेशनलाइज करे। कैसे रीसाइक्लिंग कर सकते हैं या हम क्रॉप के भी पैटर्न को चेंज करें। जिन क्रॉप्स में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस तरह से हम कुछ चेंज इन क्रॉप पैटर्न करें, जिससे कम पानी की आवश्यकता हो। लोकल पार्टिसिपेशन की भी आवश्यकता है। इसी तरह से मिहिर शाह की कमेटी ने भी रिकमंड किया था कि एक नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए। मुझे लगता है कि आज इसकी भी ज़रूरत होगी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि बुंदेलखंड के जल संकट पर यह चर्चा है। आज पानी सब के लिए एक्सेसिबल हो, पानी अविरल हो या पानी एफोर्डेबल हो। इस बात पर कम से कम हर आदमी का अधिकार भी बनता है। उस अधिकार के अंतर्गत यह करना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो जल संरक्षण है वर्षा का जल भंडारण है, उसके संबंध में सरकार की कौन सी योजना होगी। पहले पारंपरिक और अन्य जल भंडार ट्रेडिशनल थे। आप देखते हैं कि उन जल भंडारों का वाटर लेवल इसलिए ऊपर होता जा रहा है। पुराने ज़माने में ब्रिटिशर्स ने नेपाल की फुटहिल्स में बांध बनाए थे या तालाब बनाए थे। आज जिस तरह से मिट्टी का क्षरण हो रहा है, जिस तरीके से परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, कल बिहार के 32 सदस्यों ने कहा कि अगर नेपाल में बारिश शुरू होती है, चाहे बिहार की कोसी हो, बानगंगा हो, करनाली हो, जलकुण्डी हो, उससे जिस तरह का सैलाब आता है, उसके साथ जो मलबा आता है, वह हमारे रिवर बेड्स को भी ऊपर करता जा रहा है और हमारे तालाब को भी ऊपर कर दिया है, जिसके कारण हम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में आप आगे क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर तालाब को हम गहरा नहीं कर रहे हैं या हम निश्चित तौर से लाइन डिपार्टमेंट के बजाय, हम यह तय कर दें कि ब्लॉकों में, क्षेत्रों में हर गाँव के तालाब की हम खुदाई करेंगे, नए तालाब की खुदाई करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री अनुराग शर्मा।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं दो-चार मिनट में कनक्लूड करूँगा।

माननीय सभापति : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल: हमने सोचा था कि आपने टाइम दे दिया है।

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 45 मिनट हो गए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल: मैं वाटर शेड विकास के लिए आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। गहन वनीकरण करना होगा। केन और बेतवा की बात हुई है। केन और बेतवा की इंटरलिंकिंग... (व्यवधान) मैं कहता हूँ कि आज बुंदेलखंड के संकट को लेकर चर्चा है। पानी का संकट बुंदेलखंड में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। जो यह डार्क जोन है, इतने ब्लॉक्स हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें भी निश्चित तौर से एक गम्भीर संकट है। मैं समझता हूँ कि आज इस प्रस्ताव के माध्यम से और प्रधान मंत्री जी के प्रयास से एक जन आंदोलन बनाने की बात चल रही है। हमारा मंत्रालय भी कार्य योजना बनाने के लिए काम कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में एक गम्भीर विषय जो पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी ने उठाया है, उस पर सरकार का ध्यान जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, एक सूचना है कि अभी जगदम्बिका जी को इतना समय मिल गया, लेकिन अभी बहुत लम्बी सूची है। हर सदस्य को समय मिल पाए तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब 10 से 15 मिनट के बीच में अपनी बात समाप्त करें, ताकि सब को अपनी बात कहने का मौका मिले।

श्री अनुराग शर्मा।

श्री अनुराग शर्मा (झांसी): सभापति महोदया, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं झांसी से आता हूँ। दूसरी चीज यह कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ दो बहुत पवित्र स्थल हैं- पीताम्बर माँ का शक्ति पीठ और राम राजा का मंदिर। उन दोनों का आशीर्वाद इस पूरे सदन पर रहे और आप सब पर रहे।

महोदया, हम बुंदेलखंड के लोग हैं और बुंदेलखंड इस देश में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। यह बहुत वीरों की भूमि रही है। यहाँ से हमेशा वीर आए हैं, चाहे आला उदल की कहानियाँ हों, चाहे हमारी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानियाँ हों, हमारे वहाँ से दुर्गावती जी रही हैं, हमारे वहाँ चन्देलाओं का राज्य रहा है, हमारे वहाँ बुन्देलाओं का राज्य रहा है, इस क्षेत्र पर खंगाराओं और मराठाओं ने राज्य किया है। इन सबने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है। इन्होंने बुंदेलखंड में सम्पूर्ण रूप से 8 हजार से ज्यादा तालाब बनवाए। यह वही धरती है, जो खुजराहो के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तब से हमारे वहाँ एक व्यापक रूप से और इतने बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम होता रहा है। इन्होंने वहाँ बावड़ियाँ बनवाईं, ताल खुदवाये और बड़े-बड़े मंदिर बने, लेकिन अब हमारे वहाँ जल के अभाव से, जैसे किसी ने बहुत पहले कहा था कि अगर जल न हो तो जल जायेगा जग, तो आज बुंदेलखंड जल रहा है। आज वह अवसर भी है, आज मंगल पांडे जी की जयंती है। इन्होंने सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरूआत की थी। मैं कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झाँसी के बारे में कुछ लिखा था।

सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भृकुटी तानी थी,

बूढ़े भारत में आई फिर से नयी जवानी थी,

गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी,

दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी।

चमक उठी सन सत्तावन में,

वह तलवार पुरानी थी,

बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी,

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥

यह सब इस देश में बच्चों को कंठस्थ याद है, हम सबको याद है और जो इतनी वीर भूमि रही है, आज वहाँ उस गरीबी के हाल में, क्योंकि पानी के अभाव से वह पूरा का पूरा क्षेत्र जल रहा है, इससे दिल को बहुत चिंता होती है, इससे हम सबका दिल टूटता है, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं रह गया है। इसमें मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। इस देश पर पुलवामा का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। उसके अगले दिन भी आदरणीय प्रधान मंत्री जी झाँसी आये और विशेष रूप से उन्होंने हमारे बुंदेलखंड के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया, जिसमें से वे 9 हजार 21 करोड़ रुपये की पेयजल योजनाओं के लिए बोलकर गए। अगर ये पेयजल की योजनाएं हमें सचमुच में चलानी हैं और उधर पेयजल पहुँचाना है, तो पेयजल की योजना तो बन जाएगी, पेयजल के लिए लाइने बिछ जाएंगी, पर जल कहाँ से आएगा। यह जल लाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का तो विशेष रूप से आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने बुंदेलखंड की आवाज सुनी और बुंदेलखंड ने उनकी आवाजा सुनी। जितनी भी बुंदेलखंड में सीटें रही हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश की सीटें रही हों या मध्य प्रदेश की सीटें रही हों, हमारे वहाँ से सारे के सारे सांसद जीतकर आए हैं। हमारे सांसद केवल जीते ही नहीं हैं, बल्कि सभी सांसद लाखों वोटों से जीतकर आए हैं। सब की जीत रिकॉर्ड रही है। हमारे प्रधान मंत्री जी वहाँ आए थे। यह तो वैसे ही वाली कहानी हो जाती है, जैसे हनुमान जी से एक जड़ी बूटी माँगी गई थी और वे पूरा पहाड़ उठा लाए थे।

जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि हम तो इस कोशिश में हैं कि एक नदी को उठाकर दूसरी नदी में ले आएं। मैं यह चाहूंगा कि इस पर हमारे यहां काम होता रहे।

महोदया, मेरा आग्रह है कि अगर प्रधान मंत्री और हमारे जल शक्ति मंत्री जी इस योजना को चालू करवा दें तो वे हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। बुंदेलखण्ड में जब भी कोई बहुत वीर या कोई बहुत अच्छी चीज होती है तो उसके लोकगीत बनते हैं, जो एक नहीं, दस नहीं, सौ नहीं, बल्कि पाँच-पाँच सौ सालों के बाद भी गाए जाते

हैं। हमारे यहां आल्हा होते थे। आल्हा-उदल की कहानी ऐसे ही सुनाई जाती है। मेरा आग्रह यही है कि अगर हमारे जल शक्ति मंत्री जी ने यह कार्य करा दिया तो 500 सालों के बाद भी हम इनके भी गीत गाएंगे।

महोदया, मैं जल शक्ति मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जहां से वे आते हैं, वह मेरी पैतृक भूमि है। मैं भी राजस्थान का ही हूं। मेरे पूर्वज वहीं से निकल कर आए। राजस्थान में भी हमेशा जल संकट रहा, पर चूंकि मैं उस जगह से वाक़िफ हूं, मैं अपने गांव जाता रहता हूं तो वहां इतनी बुरी हालत नहीं है, जितनी कि बुंदेलखण्ड में है। उनसे यही आग्रह रहेगा कि कभी हमारे साथ आएं और कभी जरा देख कर जाएं कि यह परियोजना हमारे लिए कितनी जरूरी है। मैं इनको यह आश्वासन दिलाऊंगा कि हमारे मुख्य मंत्री आदरणीय महाराज योगी जी इस परियोजना को लाने में यू.पी. की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, अब मैं बताना चाहता हूं कि पानी के अभाव से कितनी समस्याएं खड़ी होती हैं। जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है, वह कल्टीवेशन की है, एग्रीकल्चर की है। आप कहीं के भी आंकड़े निकाल लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि बुंदेलखण्ड में अक्सर एक ही फसल होती है। हमारे यहां चावल, धान की फसल नहीं लगती क्योंकि वहां पानी नहीं है। हमारे वहां पर अगर कोई फसल लगाई जाती है तो थोड़ी बहुत मूंगफली लगाई जाती है और बाद में थोड़ी सरसों लगाई जाती है। अगर इस देश में सरसों का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 25 क्विंटल है तो हमारे बुंदेलखण्ड में मात्र चार या साढ़े चार क्विंटल है। अगर हमारे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर आउटपुट 3200 या 3400 है तो बुंदेलखण्ड में यह 2700 या 2800 पर ही रह जाता है। इस तरह हमारे यहां न तो किसानों को पैसा मिल पाता है और न ही उसकी जमीन उतनी उपजाऊ रह जाती है।

मैडम, बुंदेलखण्ड में तो एक ही कहानी है कि जब इतने साल बारिश नहीं होती है तो अगर कोई हमसे पूछता है कि वहां क्या उग रहा है तो हम कहते हैं - पत्थर। हमारे यहां पत्थर ज्यादा उगते हैं, फसलें कम।... (व्यवधान) जी, पत्थर फसल से महंगा है, पर उसकी माइनिंग भी करनी पड़ती है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है।

महोदया, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पहले हमारे यहां एवरेज रेनफॉल 800-900 एम.एम. था और पिछले चार सालों से गिरकर आज वह मात्र 400-450 एम.एम. रह गई है। हम जो इन दो नदियों, केन और बेतवा को जोड़ने की बात करते हैं, ये उत्तरायण नदियां हैं, उत्तर की ओर जाती है। इनका जो वाटरशेड एरिया है, वहां पर 1100 एम.एम. से अधिक बारिश होती है। मध्य प्रदेश में अक्सर बारिश ठीक हो जाती है। इन नदियों में इतना पानी आ जाता है कि हमारे यहां बाढ़ आती है और 70 से 80 प्रतिशत इनका वाटर का रन-ऑफ हो जाता है। यह पानी सीधा यमुना जी में चला जाता है और वहां से महासागर में चला जाता है, जिस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बुंदेलखण्ड एक रेन शैडो एरिया में पड़ता है। बारिश हम से 400 या 600 किलोमीटर दूर होती है। हमारे वहां वह होना जरूरी नहीं है, पर वह पानी हमारे यहां से गुजरता है और कभी-कभी यह हमारे यहां तबाही भी मचाता है।

हमारे यहां कभी-कभी तबाही भी हो जाती है। अगर रिवर्स लिंकिंग का काम हो गया, तो हम तबाही से बचेंगे और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि हम पहले यूपी के कृषि के लिए 15 परसेंट कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन आज यह गिरकर सात परसेंट रह गया है। बाकी सभी जगह हरित क्रांति हुई और वहां उत्पादन बढ़ता चला गया, लेकिन हमारे यहां उत्पादन घट गया। इस साल भी हमको नहीं लग रहा है कि इतनी बारिश हो पाएगी। बुंदेलखंड में अक्सर चार साल सूखा पड़ता है और एक-दो साल कभी बारिश हो जाती है। इस वजह से हमारे यहां अन्ना प्रथा शुरू हो गई। उसकी इतनी भयानक स्थिति हो गई कि जिस किसान के खेत में गलती से कुछ लग गया और कुछ फसल भी हो गया, तो अक्सर जानवर उनकी फसल में घुस जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं मिलता। इससे खेत के खेत उजड़ जाते हैं और उस किसान का परिवार तबाही की ओर चला जाता है।

सभापति महोदया, अगर हमारे यहां जल होता, तो हम चारा भी उगा लेते, हमारे यहां लाइव स्टॉक भी ठीक हो जाता और अन्ना प्रथा की समस्या भी कम हो जाती। आज जब किसान अपने जानवर को खिला नहीं सकता, तो वह उस गाय का क्या करेगा? वह उस गाय को छोड़ देता है। जब आप गाय को खिला नहीं सकते,

तो गाय के मिल्क का प्रोडक्शन कहां से होगा? अगर हम अपने यहां औसतन मिल्क प्रोडक्शन देखें, तो दो-तीन लीटर से ज्यादा मिल्क नहीं निकलता। हमारे यहां को-ऑपरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक-दो डेयरीज़ वाले भी आए, लेकिन जहां 100-200 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता हो, तो वहां यह काम संभव नहीं। हमारे यहां मिल्क कलेक्शन के चक्कर में सभी डेयरीज़ बंद हो चुके हैं। पानी के अभाव से हर चीज़ पर फर्क पड़ता है। इस देश में एक बार विशेष रूप से मेलन्यूट्रिशन पर चर्चा हो चुकी है। आज बुंदेलखंड में मेलन्यूट्रिशन और एनिमिक इतना ज्यादा बढ़ता चला गया है कि हमारे यहां औसत से 25 परसेंट लेडीज़ एनिमिक पाई गईं। आज वहां इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि हम अपना पैदावार नहीं कर पाते हैं। वहां ताल सूख गए हैं, नदियों में पानी नहीं है, नहरों में हम कुछ दे नहीं पाते हैं। हमारे जो कुछ ताल रह गए हैं, उसी में से इंसान भी पानी पीता है और उसी में से जानवर भी पानी पीता है। उसके लिए इतनी बुरी हालत हो जाती है कि अब वहां बीमारियां बढ़नी शुरू हो गई हैं।

सभापति महोदया, मैं आपके ध्यान में एक और चीज लाऊंगा। हमारे बुंदेलखंड के लोग बाहर वाले से बहुत झगड़ा किए हैं, चाहे ब्रिटिशर्स रहे हो, चाहे मुगल साम्राज्य रहा हो, यह वही देश हैं, जहां पर हमने दक्कन विजय के बाद अकबर की आर्मी को रोक दिया था। हमारे महान राजा वीर सिंह देव जी थे, उन्होंने अयोध्या में कनक भवन बनवाया, मथुरा का मंदिर बनवाया, परंतु अब यह हालत है कि बुंदेलखंड के लोग आपस में ही झगड़ते हैं। हमारे यहां एक-एक पानी के टैंकर्स के ऊपर झगड़ा शुरू हो जाता है। सड़कें इतनी दूर हैं कि अगर एक टैंकर किसी गांव में आ जाए, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जल के स्रोत इतने दूर रह गए हैं, हमारा क्षेत्र पथरीली है, वाटर लेवल काफी नीचे है। [अनुवाद] यह क्वार्ट्ज है और यह ग्रेनाइट है। आप गहरे बोर ट्यूबवेल नहीं कर सकते। [हिन्दी] वहां हम 150, 250 और 300 फुट नीचे चले जाते हैं और आधे ग्रेनाइट की वजह से फेल हो जाते हैं।

ऊपर से अगर आप डीप बोरिंग भी करने लग गए, तो वहां पानी के चांसेज़ इतने पुअर हैं कि इतने पैसे लगाने के बाद वह 99 पर्सेंट अनसक्सेज़फुल रहेगा। मेरे क्षेत्र में तकरीबन 10 हजार से ऊपर हैंडपंप सूखे पड़े

हैं। एक माननीय सदस्य आए थे, उन्होंने कुछ पिक्चरें बनाई हैं। वे हैंड पंपों की बात कर रहे थे। वे कहीं भी जाते थे, तो लोग उनको किसी पिक्चर की वजह से हैंड पंप दे देते थे। मैंने कहा कि आप झांसी आ जाइए। आपको जितने हैंड पंप चाहिए, हम आपको गिफ्ट कर देंगे। हमारे यहां पानी का बहुत अभाव है। सारे हैंड पंप सूखे पड़े हुए हैं। ... (व्यवधान) यहां लोग 50-50 मिनट बोल रहे हैं।

माननीय सभापति : इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूं।

श्री अनुराग शर्मा: महोदया, मेरा दु:ख-दर्द तो एक बार बयां हो जाने दीजिए।

माननीय सभापति: आपका दु:ख-दर्द हम सबको समझ आ गया है।

[अनुवाद]

श्री अनुराग शर्मा : इससे वहाँ कोई उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। बुन्देलखण्ड जैसी जगह पर उद्योग नहीं आएंगे।

माननीय सभापति : क्यों?

श्री अनुराग शर्मा : वे पानी चाहते हैं, लेकिन वहां पानी उपलब्ध नहीं है। बिना पानी के आप उद्योग कैसे चला सकते हैं? आज भारत सरकार ने उस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर के रूप में अपनी सबसे बड़ी योजनाओं में से एक की घोषणा की है। पहले ही भारत सरकार द्वारा 2,000 एकड़ से अधिक भूमि चिन्हित और अधिग्रहित की जा चुकी है। अब इसे लगभग 2,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना है। यदि कोई उद्योग वहां आना चाहता है, तो सबसे पहले उसे भूमि की और उसके बाद पानी की आवश्यकता होगी। [हिन्दी] अगर वहां पानी ही नहीं है, तो इंडस्ट्री कैसे आएगी? माननीय सभापति, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे यहां आने की बात हो रही है और अगर वहां पानी नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? इससे बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है।

मुझे यहाँ वेस्टर्न कोर्ट में एक कमरा दिया गया है। मैं जब पहली बार वेस्टर्न कोर्ट एनेक्सी में गया, तो मुझसे 15 लोग मिलने आये। वे सब के सब बुंदेलखंड से थे। वे सब के सब गार्ड्स थे। मैंने उनसे पूछा कि आप

यहाँ कैसे काम कर रहे हैं? उनकी तरफ से बताया गया कि उधर काम कहाँ है। अपने परिवारों को लेकर वे सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्य वेस्टर्न कोर्ट में रहते होंगे। आपको जितने भी गार्ड्स वहाँ मिलेंगे, वे सब बुंदेलखंड के हैं। हमारे झाँसी रेलवे स्टेशन से हजारों लोग डेली माइग्रेट करते हैं। गर्मियों के मौसम में वहाँ जगह नहीं मिलती है। 20 से 25 हजार आदमी तक स्टेशन से जाते हैं। कुछ ट्रेनें तो सिर्फ माइग्रेशन के लिए हो गई हैं। वे वहाँ से अपना गाँव छोड़कर नौकरियाँ ढूँढने के लिए दिल्ली, लखनऊ या पंजाब जा रहे हैं। इतने बड़े लेवल पर माइग्रेशन हो रहा है। वे किनको छोड़कर जाते हैं? अपने जानवरों को और बूढ़े माँ-बाप को। उनकी देखभाल करने वाला वहाँ कोई नहीं रहता है। वहाँ पानी का बहुत अभाव है। वे बेचारे पानी नहीं ला पाते हैं। उन्हें उनके पास पानी पहुँचाने के लिए कोई न कोई विशेष प्रबंध करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं।

माइग्रेशन की वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन खराब हो रही है। हम बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ का आन्दोलन सब जगह छेड़ते हैं, पर बेटी को तो तब पढ़ने को मिलेगा, जब वह बेचारी सुबह पानी लेने के लिए नहीं जाएगी। अगर उस बच्ची को उसके माँ-बाप पानी लेने के लिए भेज देते हैं, तो वह कैसे पढ़ेगी? हर बार यही होता है। ग्रामीण बुन्देलखण्ड में युवा लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की दर शायद 45 प्रतिशत से अधिक है। वे कुपोषण से पीड़ित हैं। तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर उस धूप में जाना पड़ता है। बुंदेलखंड के लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं कि जब वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहां रिकार्ड गर्मी पड़ती है। हमारे यहां औसत तापमान, जो हमारे यहां नौतपा कहा जाता है, वह 48 डिग्री रहता है और रात का तापमान 39 डिग्री से नीचे नहीं आता है।

उस भयानक गर्मी में लोग पानी कलैक्ट करने के लिए जाते हैं इसलिए नदी जोड़ने के लिए अभियान बहुत जरूरी है। मुझे डर लग रहा है कि आप घंटी न बजा दें। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहूंगा। हमारी नदियां उतरायण हैं, इनका वॉटरशेड एरिया, 427 किलोमीटर दूर है और दूसरा 610 किलोमीटर दूर है, ये यमुना में मिलती हैं। दोंनों अलग-अलग एमपी के एरिया से स्टार्ट होती हैं। बेतवा नदी होशंगाबाद जिले से शुरू

होती है और केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास से निकलती है। यहां औसतन बारिश ग्यारह से बारह सौ मिलिमीटर होती है। हमारे चार सौ पांच सौ मिलिमीटर से दोगुनी बारिश होती है। यहां पर 90 परसेंट तक चार या पांच साल में अच्छी बारिश हो जाती है। इस एरिया में चैक डैम जरूर बने हैं, कुछ बड़े डैम्स भी बने हैं, वह पानी कुछ ही एरिया को सिंचित कर पाता है।

यह स्कीम सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कंसीव की गई थी। यह उनका ही आइडिया था। उनकी सोच वहां से शुरू होती थी जहां से लोगों की सोच अक्सर खत्म हो जाती है। उन्होंने इस देश के लिए इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का इतना बड़ा सपना देखा था, इंजीनियरिंग के नए चमत्कारों को अंजाम दिया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए एक विशेष रूप से कमेटी गठित की थी। नेशनल वॉटर डेवलपमेंट एजेंसी ने एक कम्प्रिहेन्सिव रिपोर्ट भी बनाई थी, इसको फेज वन और फेज टू में किया गया था। इसके अलावा, दोनों सरकारें मान गई थीं, दोनों सरकारों में विलय भी हो गया था। शुरू में कुछ परेशानियां जरूर रही थीं कि किसको कितना पानी मिलेगा, लेकिन बाद में एमओयू भी साइन हो गया था। एनजीटी से भी एप्रूव्ड हो गया था। वाइल्ड लाइफ बोर्ड से कुछ ऑब्जेक्शन्स आए थे, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इसके लिए कहा था, वहां एक पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जमीन दे दी जाएगी। इसके लिए सरकार मान गई थी। वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व छोटा नहीं किया जाएगा और इसे बड़ा कर दिया जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लियर हो चुके हैं। जब ये सारे ऑब्जेक्शन्स क्लीयर हो गए थे तब भी इस पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है। आज यह देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि यह टेक्नीकली प्रूव कर सकेगा, [अनुवाद] हम अपनी नदियों को जोड़ने में सक्षम हैं और यह एकमात्र परियोजना है जहां मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इसे स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया है। यह न केवल पानी को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। वे नहर को कवर करने की योजना बना रहे हैं और यह 140 मेगावाट जल विद्युत और 27 या 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगा। इस परियोजना के

माध्यम से लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि की प्रतिवर्ष सिंचाई की जा सकती है; पेयजल आपूर्ति सहित 4843 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का उत्पादन किया जाएगा।

परियोजना को दो चरणों में परिकल्पित किया गया था; एक की लागत लगभग 14,000 करोड़ रुपये है और दूसरे की लागत लगभग 21,000 करोड़ रुपये है।

मैं फिर से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस परियोजना पर पुनर्विचार करें। यह परियोजना न केवल देश के लिए सामाजिक रूप से लाभकारी है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। यदि मैं सही हूं, तो इसका आंतरिक लाभ दर 10.95 प्रतिशत है, जो इस प्रकार की सामाजिक इंजीनियरिंग परियोजना के लिए एक अभूतपूर्व लाभ सिद्ध होगा।

[हिन्दी]

मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस विनती पर थोड़ा सा गौर करें और देश में पहला प्रोजेक्ट बनाने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति श्रीमती : माननीय मंत्री जी बैठे हैं, प्वाइंट्स ले रहे हैं।

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों ने जो बात कही हैं, जब चर्चा समाप्त होगी तो निश्चित रूप से सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड की विशेष परिस्थितियों के बारे में बात की है और बुंदेलखंड में जो हालात है, उस दर्द को आपके माध्यम से सदन और देश के सामने रखा है।

माननीय सदस्य ने बुंदेलखंड के राजाओं की वीरता और इतिहास की चर्चा की। उन्होंने इसकी भी चर्चा की कि किस तरह से मंदिरों का निर्माण किया, तालाबों का निर्माण किया। तालाबों की जो वर्तमान स्थिति है, इतिहास साक्षी है, इस तरह के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि 9,000 तालाब चन्देल राजाओं ने 1000 बीसी से 600

बीसी तक बनाए थे। इन तालाबों में से आज केवल 250 तालाब बचे हैं और ऐसी परिस्थिति में 2500 को रिस्टोर किया जा सकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने जलशक्ति अभियान प्रारंभ किया है, उसका मूल यही है। उन्होंने सभी सांसदों से अपेक्षा की है और मैंने भी सबको पत्र लिखा है कि सब अपने क्षेत्र में वाटर लीडर की तरह काम करें। अभी यह अभियान चल रहा है। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा और बुंदेलखंड और अन्य क्षेत्रों से जो सदस्य आते हैं, सब इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने क्षेत्र में इन सब विषयों को देखें। उन 250 तालाबों में जहां काम हुआ है, वहां बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। यदि ऐसा करेंगे तो केन-बेतवा लिंक एक तरफ है, आप अपने क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी राहत दे सकेंगे।

माननीय सभापति: अनुराग जी, आप पर्सनली मंत्री जी से मिल लीजिए, जो स्कीम है उसे अपने क्षेत्र में ले जाइए। यह स्कीम पूरे देश के लिए है, लेकिन बुंदेलखंड की जो समस्या है, वैसी समस्या समस्या बाकी क्षेत्रों की नहीं है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): माननीय सभापति जी, आपने मुझे कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा सामाजिक संकल्प, जो बुंदेलखंड की जल की स्थिति और अन्ना प्रथा से संबंधित है, पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि इस पर बोलूं या न बोलूं क्योंकि सवाल अन्ना प्रथा की व्यवस्था और जल का संकट का है। जल संकट तो आज देश में बहुत विकराल रूप में सामने खड़ा हुआ है। अन्ना प्रथा का विषय सीधे मेरे लोक सभा क्षेत्र से जुड़ा है। कौशाम्बी लोक सभा की अगर बात की जाए, तो इसके पूर्व में पूर्वांचल है, पश्चिम में कानपुर है, उत्तर में अवध क्षेत्र है और दक्षिण का भाग बुंदेलखंड से लगा हुआ है। यहां यमुना नदी है, जो हमें आपस में बांटती है। एक तरफ बुंदेलखंड और दूसरी तरफ दुआबा है।

जब इस बिल पर चर्चा शुरू हुई तो इसका मुख्य विषय था कि अन्ना प्रथा में लोग पशुओं को छोड़ते हैं। मैंने इस पर ध्यान दिया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड तक नहीं है। अन्ना पशुओं को लेकर बुंदेलखंड की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब लोग वहां से उससे मुक्ति पाने के लिए अपने सभी जानवरों को यमुना से पार करके मेरी लोक सभा क्षेत्र में भेज रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है। मेरे बगल के, बांदा के माननीय सांसद जी हैं। निश्चित रूप से यह समस्या केवल बुंदलेखंड की ही नहीं है, बल्कि आने वाले समय में जिस तरह से भूजल स्तर गिर रहा है, उसके कारण ये समस्या धीरे-धीरे बढ़ेगी और विकराल होती जाएगी। माननीय प्रधान मंत्री जी की पहल पर देश के 1592 ब्लॉकों को चिह्नित किया गया है, जिनमें 256 जिले हैं, जो इस जल संकट से जूझ रहे हैं, इसमें मेरा भी जनपद है। मेरी लोक सभा में 12 ब्लॉक्स हैं, इनमें 10 ब्लॉक डार्क जोन में हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में स्थिति और भी खराब होगी।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह से जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है, उससे स्पष्ट है कि माननीय प्रधान मंत्री जी को इस विषय का संज्ञान भी है और चिन्ता भी है। [अनुवाद] मैं बुंदेलखंड के किसानों के साथ अपना समर्थन व्यक्त करते हुए इतना कहना चाहूंगा कि देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो, किसान की आय बढ़े और बुंदेलखंड में वे सारी चीजें विद्यमान

हैं। इसका बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास है। यह वीरों की भूमि है, जोत भी बड़ी है। सब कुछ होने के बावजूद आज बुंदेलखंड के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। उसके मूल में जो कारण है, वह कारण कुछ और नहीं केवल जल है। माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए देश भर के किसानों को नीम कोटेड यूरिया समय पर उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध करा रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है, उनको मिल रही है। लेकिन, बुंदेलखंड का किसान बेचारा क्या करे, वह फर्टिलाइजर लेकर क्या करेगा, क्योंकि पानी ही नहीं है तो वह खेती कहां से करेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगतार एमएसपी बढ़ा रहे हैं। लेकिन एमएसपी का बुंदेलखंड के किसानों को तब मिलेगा, जब वे फसल पैदा करेंगे। उनकी फसल दिनोंदिन घटती जा रही है तो वे किसानी नहीं करेंगे। जब किसान अन्न पैदा ही नहीं करेगा तो कहां से उसे फसल का लाभ मिलेगा। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को लेकर चिंतित है। वर्ष 2014 में जब सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री ने देश भर में सॉयल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की । उस योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है, लेकिन बुंदेलखंड के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे चाहकर भी नहीं ले सकते है, क्योंकि जो मूल आवश्यकता पानी है, वह उनको नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बीज से लेकर बाजार तक की व्यवस्था की है, उसका लाभ भी बुंदेलखंड के किसानों को नहीं मिल रहा है। चाहे फसल बीमा योजना हो, जब वे फसल पैदा नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो बीमा का लाभ उन्हें कहां से मिलेगा। निश्चित रूप से बुंदेलखंड के किसानों की मूल समस्या जल है और यह समस्या अब केवल बुंदेलखंड की नहीं है। आज पूरे देश में इसका संकट है। मुझे लगता है कि ऐसे ही समय को देखते हुए रहिमन ने एक बार लिखा था-

"रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून,

पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।"

जब पानी ही नहीं है तो न मोती होगा, न मानुष बचेगा और न ही चून इसलिए पानी की आवश्यकता जितनी है, उतनी ही बुंदेलखण्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आने वाले समय में जल संकट को समझते हुए नदियों की शुरुआत की थी। ऐसा कार्य करने वाले वह देश के पहले प्रधान मंत्री थे और इसको समय पर किया जाता, इसकी समय पर शुरुआत होती तो मुझको लगता है कि आज बुंदेलखण्ड की जो समस्या विकराल हो गई है, उससे हम लोग बच सकते थे या उसमें थोड़ी कमी ला सकते थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण आज किसान वहां पर केवल खेती के पानी के लिए ही नहीं, बल्कि उनको पीने के लिए भी शुद्ध जल मिल नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से बुंदेलखण्ड के एक साथी ने कहा कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' बेटी को जब घरके काम से मुक्ति मिलेगी, समय मिलेगा तभी तो पढ़ाई करेगी। सबसे ज्यादा समय तो उनका पानी ले जाने में खर्च हो जाता है। देश की एक नहीं अनेक योजनाएं हो, चाहे महिला सशक्तीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या किसानों की बात हो ये सब जल पर निर्भर करती हैं। बुंदेलखण्ड के लिए कहा जाए तो पानी की जितनी आवश्यकता है, जितने में जीवन चल सकता है, कम से कम उतने पानी की तो व्यवस्था की जानी चाहिए। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए चिंतित है। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने पहले कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान को एक मिशन मोड में लेकर देश में अभियान चलाया था, जिसके कारण आज देश स्वच्छता की ओर बढ़ा है। चारों ओर देश में स्वच्छता दिखाई पड़ती है।

अपराह्न 05.00 बजे

देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही जल की गंभीरता को महसूस करते हुए जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया और जल शक्ति मंत्रालय का नेतृत्व भी एक ऐसे प्रदेश के नेता को दिया, जो तेज तर्रार और युवा हैं, जिनके प्रदेश का पूरा जीवन जल संकट से जूझता रहा। इस बात के लिए मैं शर्मा जी को फिर जोड़ूंगा कि राजस्थान में जितनी चर्चा पानी के संकट की है, उससे ज्यादा पानी का संकट बुंदेलखण्ड में है। आज वहां गांव के गांव खाली हैं। वहां पर हमारे क्षेत्र से लगा हुए एक क्षेत्र है, जहां न तो रहने के लिए लोग बचे हैं और न ही पशु बचे हैं और जो पशु बचे भी हैं, वे पशु भी बेचारे चारा और पानी की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़कों पर घूम रहे हैं। उनसे एक नहीं अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज वे लोगों के बीच में झगड़े का कारण बन रहे हैं, रोड पर आ जाए तो एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, तो ऐसी एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। निश्चित रूप से यह सामाजिक संकल्प जो लाया गया है, उस पर सरकार ध्यान देगी, लेकिन यह काम सरकार ही करे यह संभव नहीं है, क्योंकि जल किसी फैक्ट्री में नहीं बन सकता, किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बन सकता, जल तो केवल और केवल उसके सदुपयोग से और उसका संरक्षण करके बचाया जा सकता है।

निश्चित रूप से मंत्री जी ने इस संबंध में सभी सांसदों को पत्र भी लिखा है और उनकी यह अपेक्षा है कि सभी सांसद और केवल सांसद ही नहीं, देश का बच्चा-बच्चा, देश का हर जागरूक नागरिक, देश के हर सम्भ्रांत नागरिक, सभी को इस चिन्ता होनी चाहिए। वे जब तक इसमें वाटर लीडर के रूप में काम नहीं करेंगे, इस जल संकट का समाधान नहीं हो सकता है। मैंने भी सांसद बनने के बाद कुछ संकल्प लिए कि इसे कैसे किया जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हैं। आप कल्पना कीजिए कि आठ ब्लॉक्स डार्क जोन में हों तो वहां स्थिति कितनी भयावह होगी। लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि कौशाम्बी लोक सभा क्षेत्र मां गंगा और मां यमुना की अन्तर्वेदी में है, जिसके कारण सिंचाई के लिए कुछ

पानी गंगा की कैनाल से मिल जाता है और कुछ यमुना की कैनाल से मिल जाता है, लेकिन उनकी भी एक सीमा है। आने वाले समय में जिस तरह से डिमाण्ड बढ़ रही है, वे उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।

मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में एक संकल्प लिया और यह तय किया कि जितनी भी बरसाती नदियां हैं, उन सब जितने चेक डैम बनाने की जरूरत है, उसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों के साथ पहली बैठक में ही रिपोर्ट बनाने और योजना बनाने के लिए कहा दिया कि आप इसकी रिपोर्ट बनाइए और एक योजना बनाइए। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे मनरेगा से पैसा लेने की जरूरत होगी, चाहे सांसद निधि से पैसा देने की जरूरत पड़ेगी या जन-भागीदारी के माध्यम से हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जल को संरक्षित किए बिना हम इस कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। जल के विषय में देखा जाए तो भारत का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। भारत की सभी सभ्यताओं का जन्म और विकास नदियों के किनारे हुआ, लेकिन जागरूकता के अभाव में, ज्ञान के अभाव में, सरकार के प्रयास के अभाव में और जिस तरह से दिनों-दिन हमने जल का दोहन किया, उसके हिसाब से हमने जल का संरक्षण नहीं किया। हमने जल का दोहन ज्यादा किया गया और संरक्षण कम किया, जिसके कारण आज जल संकट देश के सामने खड़ा है।

मैंने एक सामाजिक संकल्प मूव किया है। वैसे जल राज्य का विषय है और केन्द्र इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन मैं जो संकल्प ला रहा हूं, उसमें मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि जल को केन्द्र सूची में रखा जाए, नहीं तो कम से कम इसे समवर्ती सूची में रखा जाए। जिस समय देश में जल का संकट नहीं था, उस समय यह बात समझ में आती थी कि इसे राज्य पर छोड़ा जाए, लेकिन अब जल संकट केवल राज्य ही नहीं, राष्ट्रव्यापी हो गया है। कई इतिहासकार और कई जानकार कहते हैं कि अगर अगला विश्वयुद्ध दुनिया में होगा तो वह जल के लिए होगा। निश्चित रूप से केवल सरकार पर निर्भर रहकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसमें हमें अपने स्तर पर प्रयास करना पड़ेगा, समाज को जागरूक करना पड़ेगा। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जब इसका बीड़ा उठाया है और जब इन्होंने इसे अपने हाथ में लिया है तो आज सरकार की इतनी विश्वसनीयता है कि यह संभव है।

मैंने पिछले भाषण में एक बात कही थी कि मोदी है तो मुमकिन है, तब लोग हंस रहे थे, लेकिन आज सभी नेता, सभी वक्ता इस बात को कहते हैं कि देश में अगर मोदी है तो मुमकिन है। अगर देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने इसका बीड़ा उठाया है तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जल संकट से केवल बुंदेलखण्ड को ही मुक्त नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश को भी मुक्त करेंगे। हमें देश को जल मुक्त नहीं करना है, जल युक्त करना है। इस देश में पर्याप्त जल है, जल की कमी नहीं है। हमारे पास जल के एक नहीं, अनेक स्रोत हैं। वर्षा के कारण जल हमें पर्यापत मात्रा में मिलता है, हमारी छोटी-बड़ी नदियां हैं, जिनके माध्यम से हमें जल मिलता है, लेकिन आवश्यकता है उनका संरक्षण करने की, आवश्यकता है उसका नए ढंग से प्रबंधन करने की। गडकरी जी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि 5 एमजीडी या 10 एमजीडी जल के लिए हमारी प्रदेश सरकारें आपस में लड़ती रहती हैं और उससे कई हजार गुना जल हम लोग समुद्र में जाने देते हैं।

जहां नदियां समुद्र में मिलती हैं, अगर हम लोग वहां समुद्र के मुहाने पर बांध बना कर नदियों के जल को पुन: प्रवाह के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से देश को जल संकट से ही नहीं उबारेंगे, बल्कि आने वाले समय में यह केवल सोशल इंजीनियरिंग ही साबित होगा, यह बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स भी है। इससे बहुत बड़ा लाभ देश को हो सकता है। जब दुनिया में पानी के लिए हाहाकार मचेगा, तब हम पानी की बहुत बड़ी ब्रांडिंग कर सकते हैं। उसके लिए बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के विधान सभा में एक बार बोला गया कि जब इस देश में डिब्बाबंद, बोतलबंद पानी की शुरुआत हुई, तो वहां पर किसी ने कहा था कि दूध से महंगा पानी है। आज यह हालत है कि बोतलबंद पानी दूध से भी महंगा होता जा रहा है। आने वाले समय में इसकी स्थिति और खराब होगी।

सभापति महोदया, हम लोग यहां प्राइवेट मैम्बर बिल पर चर्चा करने के लिए रुके हुए हैं कि हमें पर्याप्त अवसर मिलेगा, पर्याप्त बात रखी जाएगी, क्योंकि यह संकट अब केवल बुंदेलखंड का संकट नहीं है, यह संकट पूरे देश का हो चुका है। मैं आपका पड़ोसी हूं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के बाद मेरा क्षेत्र ही प्रभावित होने वाला है। इसलिए मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके साथ अपने को जोड़ने के लिए भी

खड़ा हूं और बुंदेलखंड की जो संवेदना है, वेदना है, जितनी वेदना और संवेदना के साथ आपने बुंदेलखंड की बात को रखा है, निश्चित रूप से यह पिछले सैंकड़ों साल से बुंदेलखंड की वेदना को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आज देश में कहीं मजदूर मिलेंगे तो वे दो ही जगह के होंगे। वे बुंदेलखंड के होंगे या पूर्वांचाल के होंगे। इत्तेफाक देखा जाए तो चाहे बुंदेलखंड हो या पूर्वांचल हो, इनका बहुत गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। ये बहुत समृद्ध प्रदेश रहे हैं, लेकिन आज यहां के लोग छोटी-छोटी मजदूरी के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हैं। छोटे-छोटे कामों के लिए अपने मां-बाप को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। इसको केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। हम लोगों को इसमें सरकार की अनेक योजनाएं का उपयोग उसको बढ़ावा देकर, भी कुछ समस्याओं को कम कर सकते हैं। चाहे वह स्प्रिंकल सिंचाई का माध्यम हो, जिसमें जितनी पानी की जरूरत है, ऐसे फसलों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिसकी वजह से पानी की बचत होगी।

साथ ही साथ सॉइल हेल्थ कार्ड, जो भारत सरकार, देश के प्रधान मंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, उसको भी बड़े पैमाने पर जागरूक किया जाए, लागू किया जाए, तो उससे भी पानी की बचत होगी।

मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। हम लोग पीने के लिए जो पानी हैंड पम्प लगवाते हैं, वह हमारे यहां 30 हजार रुपये से 40 हजार रुपये में लग जाता है, लेकिन बुंदेलखंड में वह हैंड पंप एक से डेढ़ लाख में भी नहीं लग पाता है। एक से डेढ़ लाख रुपये लगाने के बावजूद, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह हैंड पम्प सफल होगा, वहां पानी मिलेगा। यह स्थिति धीरे-धीरे बढ़ रही है। हम लोगों के यहां भी जल स्तर लगातार गिर रहा है।

सभापति महोदया, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कि वह बुंदेलखंड पर लगातार चिंता कर रही है। चाहे बुंदेलखंड के समग्र विकास की बात हो, बुंदेलखंड के पीने के पानी की बात हो या सिंचाई की बात हो। वह कैसे उपलब्ध हो, माननीय प्रधान मंत्री जी इसको लेकर चिंतीत हैं। 15 हजार करोड़ रुपये का एक पैकेज बुंदेलखंड

को दिया गया, जिससे आने वाले समय में वहां जल संकट के समाधान का रास्ता निकलेगा। बुंदेलखंड में जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से शुरू की गई है, वहां पर्याप्त जमीन है।

वहां उद्योग की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं। जिस डिफेंस कोरिडोर की शुरूआत की गई है, वह बुंदेलखंड तक आ रहा है। उसकी वजह से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुंदेलखंड में इंडस्ट्री शुरू करने के लिए भी जल की आवश्यकता है। माननीय जल मंत्री सदन में हैं, इन्होंने योजना की शुरूआत की है। सबसे पहले बुंदेलखंड में केन और बेतवा नदी को जोड़ना चाहिए। यह कोई नई योजना नहीं है। अटल जी ने 37 परियोजनाओं की शुरूआत की थी। इन योजनाओं में यह योजना भी थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर्यावरणविदों द्वारा लगातार सवाल खड़ा किया गया कि इससे इतने लाख पौधे खत्म हो जाएंगे, हमारा फारेस्ट रेंजर खत्म हो जाएगा। उसके समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था की है और मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने में कोई संकट है। एनजीटी से भी क्लीयरेंस मिली हुई है। सरकारों के बीच में भी आम सहमति है। सरकारों के बीच में जल बंटवारे को लेकर समझौता है। यदि इस काम को शुरू करते हैं तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था, उसके माध्यम से हम पुन: बुंदेलखंड को स्थापित कर पाएंगे और साथ ही साथ देश और दुनिया के सामने हम एक मॉडल भी स्थापित कर पाएंगे कि एक सफल रिवर लिंकिंग कैसे होता है।

महोदया, मैं फिर यही बात कहूंगा कि यदि मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। अगर मोदी जी न होते, तो शायद ये काम संभव ही नहीं होते, क्योंकि इतने लम्बे समय से जल का संकट देश में है। देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जहां जल का संकट न हो चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, बहुत प्रदेशों में जल का संकट है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। मोदी जी के विजन से यह चीज सफल होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जब ये नदियां आपस में जुड़ेंगी, तो आने वाले समय में जल के संकट का समाधान होगा और बुंदेलखंड के लोगों को पुन: स्थापित करने का अवसर मिलेगा और देश की नदियों को जोड़ने का एक बढ़िया उदाहरण हम पेश कर पाएंगे, यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदया, आपने मुझे कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चन्देल द्वारा प्रस्तुत संकल्प बुंदेलखंड में छुट्टा गोवंश, जिसे अन्न प्रथा कह रहे हैं और जल संकट पर लाया गा है, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं बुंदेलखंड के बांदा की धरती से चुनकर आया हूं। यह धरती भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या से चलकर बारह साल तक वनवास में रहे। भगवान राम ने माता सीता के साथ और भ्राता लक्ष्मण जी के साथ बिंद बुंदेलखंड प्रांत में विचरण करने का काम किया, मैं उस धरती से चुनकर आया हूं।

बुंदेलखंड क्षेत्र में अलग-अलग तरह की मिट्टी है और अलग-अलग तरह की वाणी है। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का मिलाजुला क्षेत्र है। वहां की मिट्टी, वहां का पानी, वहां की वाणी, वहां की जलवायु बहुत स्वच्छ है। वहां पन्ना हीरा पाया जाता है। तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर वहां है। वहां कांतानाथ जी की तपोस्थली है। वहां ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। वह परिक्षेत्र जहां वीरांगना लक्ष्मी बाई जैसी महान विभूति का जन्म हुआ।

"खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी,

बुंदेले हरबोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।"

वह धरती है बुंदेलखंड की। आज वह आल्हा-ऊदल की धरती बुंदेलखंड है।

खट-खट, खट-खट तेगा बोलै,

बाजै छपक-छपक तलवार।

वहाँ की जो परम्परा रही है, जिन्होंने अपना इतिहास बनाया है और वह राजा छत्रसाल की कर्मभूमि रही है।

इत यमुना उत नर्मदा, इत चम्बल उत टौंस,

छत्रसाल से लड़न को ना काहु में धौंस।

वह बुंदेलखंड क्षेत्र, जहाँ के राजा छत्रसाल रहे हैं, वहाँ के पन्ना में आज भी हीरा पाया जाता है। वहाँ मराठाओं का भी साम्राज्य रहा है। मराठाओं द्वारा बनाए गए बहुत-से ताल-पोखरिया के पद-चिह्न आज भी वहाँ विद्यमान हैं। वहाँ चंदेल कालीन किले, मंदिर, तालाब हैं और बहुत-से सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। खजुराहो मंदिर उस बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्यमान है। आज वहाँ के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, पानी के अभाव में जीने के लिए मजबूर हैं। अपनी भूख-प्यास मिटाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। आज वहाँ विकट समस्याएँ खड़ी हो रही हैं।

[अनुवाद]

श्री अब्दुल खालेक (बारपेटा): मेरे पास व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे लगता है कि कोई गणपूर्ति नहीं है। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री आर. के. सिंह पटेल: बुंदेलखंड में एक कहावत है**-** "कोस-कोस में पानी बदले और पाँच कोस में वाणी, बुंदेलों की यही कहानी।" बुंदेलखंड में कोस-कोस पर पानी बदलता है। कहीं पर 500 फीट नीचे पानी है, तो कहीं सौ फीट पर है, कहीं पर 50 फीट पर भी है। बुंदेलखंड में एक तरफ पंजाब जैसा क्षेत्र है, एक तरफ गुजरात जैसा क्षेत्र है, एक तरफ हिमाचल जैसा क्षेत्र है, तो एक तरफ माँ कामाख्या की गौहाटी जैसा क्षेत्र है, एक तरफ कश्मीर जैसा क्षेत्र है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह बुंदेलखंड क्षेत्र आज पूरी तरह से विश्व के युग पुरुष, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अलग से जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके और जल संरक्षण करके 20 जून को प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अभियान चलाकर और गाँव-गाँव में चौपाल लगाकर जल संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण

कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके माननीय प्रधान मंत्री जी एक सराहनीय कार्य किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारी इस समस्या का निदान मिलेगा। मुझे यह पूरा भरोसा है।

गाँव का पानी गाँव में, खेत का पानी खेत में संचय करने की पहल की जा रही है। आज से कई वर्ष पूर्व तालाबों को भरने के लिए आपस में लोगों की एक समिति बनाई जाती थी। उस समिति के माध्यम से, मेरे बचपन के समय में, मुझे याद है, मैं गाँव के एक किसान का बेटा हूँ, मैं खेती-किसानी करता आया हूँ और आज भी करता हूँ। उस समय जब बरसात का पानी बरसता था, तो उस पानी को संचय करने के लिए हम फावड़े उठाते थे, जो बड़े-बड़े जमींदार और नम्बरदार हुआ करते थे, जो फावड़ा नहीं चला सकते थे, वे किसी श्रमिक को भेजकर उसको मजदूरी देकर यह कराते थे। खेतों का पानी बहकर नालों, नदियों, यमुना से समुद्र में जाता था, उन तालाबों के पानी को हम संचित करने का काम करते थे। आज यह परम्परा समाप्त हो गई है। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे, आदरणीय शर्मा जी कह रहे थे, बहुत-से तालाब आज भी विद्यमान हैं।

अब उन तालाबों पर संचय करने की दिशा बदल गई है। वे नाले जो तालाबों पर आते थे, वे आज दूसरी तरफ डायवर्ट हो गए हैं और मैं अपनी भाषा में कह दूं तो बम खटाखट हो गए हैं। बम खटा का मतलब है कि सूखे पड़े हैं। हमारे बुन्देलखण्ड में कहा जाता है कि पानी बिना जो सूखा पड़ा है, वहां बम खटाखट। तालाब सूखे पड़े हैं और बरसात का पानी किनारों से निकलकर नालों द्वारा नदियों में जा रहा है। इसके लिए गांव में फिर से माननीय मंत्री जी ने जागृति पैदा करने का अभियान चलाया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मंत्री जी ने गांव-गांव में इस अभियान को चलाकर उन तालाबों को भरे जाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, बुन्देलखण्ड की पानी की जो विकराल समस्या है और इस पानी का संचय करने के लिए केन बेतवा गठजोड़ की उस समय हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरुआत की थी, लेकिन बीच की सरकरों ने इस योजना पर कार्य नहीं किया। आज भी वह समस्या है। केन बेतवा से नदियों के गठजोड़ की स्वीकृति प्रदान होने के बाद काम

हुआ होता और बजट फण्डिंग की गई होती तो आज काफी कुछ काम हो गया होता। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पिछले पांच साल की सरकार में उन्होंने इस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें जो दिक्कतें थीं, उनके लिए बजट देकर, उनको हल करके उसकी शुरुआत करने का काम इस सरकार ने किया है।

महोदय, नदियों से नहरें निकालकर ताल, पोखरों तक छोटी-छोटी पहाड़ी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं। बड़ी नदियों को तो हम लिंक कर रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी जो बरसाती नदियां हैं, उनको नहीं। मेरे क्षेत्र के बांदा और चित्रकूट में लगभग 25-30 छोटे-बड़े बंधे और बंधियां हैं। उन छोटी-बड़ी बंधियों को भरने के लिए उनको छोटी नदियों से लिंक करने की आवश्यकता है। जब बरसात का पानी आता है तो पानी उन नदियों और नालों से निकलकर बाहर बह जाता है और बंधे खाली रह जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव है कि उन बंधियों को भरा जाना चाहिए।

हमारे यहां पैसुनी नदी है, जो मां सती अनुसुइया के वरदान निकाली गई थी। "माता सती अनुसुइया ने डाल दिया पालना, तीन देव झूल रहे बनकर के लालना"। वह माता सती अनुसुइया का क्षेत्र है और वहां से पेसुनी नदी की अविरल धारा बहती रही है। आज वह पैसुनी की अविरल धारा बंद हो गई है। पूरे क्षेत्र के लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और जल स्तर नीचे जा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो हमारी तमाम नदियां हैं, उन नदियों जैसे पेसुनी नदी है, गुंता नदी है, ओहन नदी है, बागेन नदी है, केन नदी है, इनको केनबेतवा गठजोड़ से लिंक करने की जरूरत है। अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर अगर एक क्षेत्र में बाढ़ आती है, जैसे मध्य प्रदेश के आदरणीय पटेल जी बैठे हैं, यदि उनके क्षेत्र में पानी बरसता है तो हम उस पानी को डायवर्ट करके चित्रकूट, प्रयागराज तक की धरती तक जहां मेरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, हम वहां तक पानी को ले जा सकते हैं। इसलिए इनको आपस में लिंक करने की आवश्यकता है और इनको भरे जाने की आवश्यकता है। हमारा जो बांदा क्षेत्र है, वहां से केन नदी बहती है। केन नदी में बैराज बनाने की आवश्यकता है। बांदा में पीने के पानी के लिए बड़ी दिक्कत होती है। बांदा में हमारा कमिश्नरी मुख्यालय है और

चित्रकूट धाम मंडल का मुख्यालय है। बांदा में पानी की विकराल समस्या है। वहां पीने के पानी और सिंचाई के पानी की समस्या है। सिंचाई के लिए केन नदी से एक केन नहर निकाली गई थी। वहां मध्य प्रदेश की सीमा से रंगावा और बरियारपुर बांध निकाले गए थे। आज रंगवा और बरियापुर बांध पूरी तरह सिल्ट से भर गए हैं। उनकी क्षमता बहुत कम हो गई है। पहले पूरे बांदा जिले को केन नदी से सिंचित करने का काम करते थे। केन नदी से जो नहर केनमाइनर नदी निकाली गई थी, वह माइनर ध्वस्त और जर्जर पड़ी है। उनमें पानी नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश में पानी आता था। वहां जल बंटवारे की जो संधि है, उस हिसाब से जो पानी आता है, उससे बांदा जिले के लिए सिंचाई के लिए पानी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि हमारी केन नदी पर एक बैराज बनाये जाने की आवश्यकता है। बांदा में एक बैराज बना दें तो उस बैराज से हमारा जल स्तर बढ़ेगा। मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि उन बैराजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाया जाए, क्योंकि ये नदियां पहाड़ों से निकलने वाली नदियां हैं। अगर इन्हें पूरी तरह से बंद करके बांध बना देंगे तो सिल्ट भर जाएगी। अगर इनमें सिल्ट भर जाएगी तो धीरे-धीरे नदियों की क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि बैराज इस तरह से बनाया जाए कि जब बरसात का पानी बाढ़ से आता है तो उस बाढ़ के पानी के लिए बीच से ऐसे फाटक लगाया जाए, ताकि वह सिल्ट बह जाए।

जैसे ही बाढ़ थोड़ा रुकती है, तो फिर से उसके फाटक को बंद कर दिया जाए, जिससे हमारे बैराज सक्सेस होंगे। इस तरह से बांदा में केन नदी पर बैराज बनाने की जरूरत है। बागिन नदी जो बदोसा, बांदा के बगल से जाती है, उसको केन से जोड़ने की आवश्यकता है। बदोसा के पास बाघिन नदी पर बैराज बनाने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री जी, बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार को पानी देने की योजना है। इस परियोजना से 50 प्रतिशत पानी मध्य प्रदेश को, 25 प्रतिशत बिहार को और 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश को देने की योजना है। यह परियोजना बहुत लम्बे समय से लंबित थी। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि

पिछले लोक सभा चुनाव से पहले उन्होंने इसकी शुरुआत करके इसका लोकार्पण करने का काम किया है, जिससे हमारे इस पूरे क्षेत्र को लाभ मिल सकता है। अत: मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि बाण सागर परियोजना को सतना और रीवां, जो मेरे बगल के क्षेत्र हैं, वहां तक इस परियोजना की नहरें आई हैं। प्रयागराज के मेजा, करछना क्षेत्र को उसमें शामिल किया गया है। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों को उसमें शामिल किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है कि चित्रकूट, बांदा का जो क्षेत्र है, बाण सागर परियोजना की जो नहरें हैं, वे वहां से होकर जाएं। चूंकि ऊपर से पहाड़ हैं, मध्य प्रदेश के हिस्से से सतना, रीवां से ऊपर का घाटीनुमा पहाड़ हमारे क्षेत्र की तरफ आता है, नहरें ढालनुमा हमारी तरफ चली आएंगी। इनकी टेल हमारे यहां यमुना नदी में आ जाएगा। अत: उनको हमारे यहां यमुना नदी तक टेल से जोड़ दिया जाए, तो जो हमारे छोटे-बड़े बंधे हैं, बाण सागर परियोजना से जब एक्स्ट्रा पानी होगा और जब वहां बरसात होगी तो बरसात का पानी भी आएगा। अत: मुझे लगता है कि आपके यहां से बांध जो परियोजनाएं आती हैं, उनसे निश्चिचत तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और बांदा जिले के छोटे-बड़े बांधों को लिंक बनाकर जोड़ने से पानी की समस्या का निदान हो सकता है।

महोदया, बाण सागर परियोजना से चित्रकूट और बांदा जिले को जोड़ने की मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको शामिल करने का काम किया जाए जिससे हमारे चित्रकूट के पाठा की धरती जो प्यासी है, वह सिंचित हो सकती है, वहां की प्यास बुझ सकती है। सन् 1970 के करीब हमारे पाठा में एशिया की सबसे बड़ी परियोजना बनाई गई थी। हमारी जो परुष्णी नदी है, उस नदी से लिफ्ट करके पाठा पर एक जल योजना बनाई गई थी और पाठा क्षेत्र के पठारी भाग के गांव को पीने का पानी मिलता था, लेकिन आज परियोजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है।

महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पेयजल समस्या को हल करने के लिए बुन्देलखण्ड के लिए विशेष रूप से 9 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। प्रत्येक घर तक टोटी से पानी देकर के पाइप लाइन से पानी देकर प्रत्येक

घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य आदरणीय प्रधान मंत्री जी का है, हमारी सरकार का है और जल शक्ति मंत्री जी का है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होगा। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इन चीजों को करने की हमें जरूरत है। बुंदेलखण्ड में बहुत सैकड़ों छोटे बांध, बंधियां हैं, जो जर्जर पड़े हैं, उन जर्जर और ध्वस्त बंधे-बंधियों को कार्य योजना बनाकर पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। उनमें सिल्ट आ गई है। उस सिल्ट को हमें निकालने की आवश्यकता है।

स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई करने की योजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से सिंचाई करना कम्प्लसरी किया जाए ताकि पानी की बर्बादी न हो। इससे निश्चित तौर पर लाभ मिल सकता है।

महोदया, अन्ना प्रथा से हमारा क्षेत्र विशेष रूप से परेशान है। यह अन्ना प्रथा आज की नहीं है। बुंदेलखंड में हमारे यहां कहावत हुआ करती थी – 'बढ़ गयी होली और छूट गयी घोड़ी।' चैत के महीने में होली से पहले हमारे यहां फसल कट जाती थी। अन्ना मतलब आवारा जानवर से है। हम लोग उनको पगही बोलते हैं और उनको रस्सी से छोड़ने का काम हम लोग करते थे। आषाढ़ में जब पानी गिरता था और होली के टाइम में जानवर आवारा कर दिए जाते थे, अन्ना कर दिए जाते थे। जब नागपंचमी की गुढ़िया का समय आता था तो गांव में मुनादी होती थी, ढोल पीटा जाता था कि अपनी-अपनी लाठी उठाइए। लाठी उठाने का मतलब युद्ध करने से नहीं था, बल्कि अपने-अपने जानवरों को चराने और संरक्षित करने की परम्परा थी। आज वह परम्परा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। आज 12 महीने के लिए लोगों ने अपने जानवरों को छुट्टा कर दिया है क्योंकि खेती घाटे की हो गई है। एक फसली खेती है, वह भी भगवान भरोसे है। अगर बादल बरसेगा तो खेती होगी, अगर बदल नहीं बरसा और पानी नहीं आया तो बुंदेलखंड में सिंचाई का कोई साधन नहीं है, इसलिए खेती नहीं हो सकती है।

महोदया, पहले हमारा बैल उपयोगी हुआ करता था। मैं किसान हूं और सन् 1970 से 80 के बीच मेरे पास दस बैल थे। मैं उन बैलों से खेती करता था। मेरे पिताजी लगभग 50 गाय चराते थे। मुझे याद है सन् 1970

के करीब मेरा एक बछड़ा खो गया था। उस बछेड़े को ढूँढ़ने में हम लोगों ने एक हफ्ता लगाया था क्योंकि उस समय बछड़े की उपयोगिता होती थी, बैल की उपयोगिता होती थी। आज बैल की उपयोगिता न होने के कारण बछड़ों को लोगों ने छुट्टा छोड़ दिया है। जब तक गाय दूध देती है, तब तक हमारी और उसके बाद सरकारी। अन्ना जानवर हो गया, उसको सरकार देखे। यह परम्परा बन गयी है और इस परम्परा से निजात पाने के लिए हमें जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।

महोदया, जब किसान के घर रिश्तेदार आता था तो पूछा जाता था कि बाल-बच्चे ठीक-ठाक हैं, तो वह कहता था - हां, ठीक-ठाक हैं। दूध-दूहान होता है, वह कहता था - हां, दूध-दूहान होता है। खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है, वह कहता था - हां, खेती-बाड़ी ठीक-ठाक है। आज दूध-दूहान गायब हो गए हैं। आज किसान का बेटा खेत खलिहान में काम करने को तैयार नहीं है। आज उनके घरों में दूध नहीं बचा है। दूध वाली गाय सड़कों पर टहल रही है। अन्ना प्रथा हमारे लिए अभिशाप बन गयी है। अभी हमारे कौशाम्बी के सांसद साथी सोनकर जी कह रहे थे कि बांदा-चित्रकूट के लोग अपनी फसल को बचाने के लिए गाय-बछड़ों को यमुना नदी के सहारे दूसरी तरफ पार करा देते हैं। रात-दिन किसान लाठी लिए अपने खेतों पर दौड़ता रहता है, तब भी फसल नहीं बचा पाता है। आज हमारी फसलें नष्ट हो गयी हैं। किसान अपने खेत को बोने को तैयार नहीं है। यह आज हमारे यहां अभिशाप हो गया है।

महोदया, पहले कर्मकांड में जन्म के समय बछिया दी जाती थी, मृत्यु के समय भी बछिया का दान-गोदान होता था। जब मेरी शादी हुई, उस समय मेरे बाबा जिंदा थे, उन्होंने कहा कि अच्छी और दुधारू गाय दहेज में चाहिए। उस समय दहेज में दुधारू गाय दी जाती थी। आज वह परम्परा बंद हो गयी है। आज गाय को कोई लेने को कोई तैयार नहीं है। हम किसी पंडित जी को गोदान में बछिया भी देते हैं तो वह नकद लेने को तैयार है, लेकिन गोदान की बछिया लेने को तैयार नहीं है। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां का यह मुद्दा है। मैं अभी असली मुद्दे पर तो आया ही नहीं हूं।

माननीय सभापति: यह गलत है।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप असली मुद्दे पर नहीं जाकर गलत कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल: सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के लिए कुछ सुझाव हैं कि गोसेवा भत्ता दिए जाने की कार्यवाही शुरू की जाए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आवार गोवंश को संरक्षित करने के लिए 30 रुपये प्रति गाय और बछड़े के हिसाब से एक दिन में चारा-भूंसे की व्यवस्था करने का काम किया है। गांव सभावार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में अस्थायी गोशाला खोलकर मनरेगा से गोवंश को संरक्षित करने वालों को गोसेवा भत्ता दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी, जो आवारा-बेसहारा गोवंश हैं, उनको चराने के लिए मनरेगा से मजदूर नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर पशु आश्रय गृह खोले जाने की आवश्यकता है। उनको सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाना चाहिए। गोवंश के गोबर और गोमूत्र को खरीदने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर एक बाजार बनाया जाना चाहिए। हम जीरो बजट खेती के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे जीवा मृत घोल और घन जीवा मृत घोल बनाकर किसानों के खेतों के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए काम कर सकते हैं।

माननीय मंत्री जी, देशी गायों को पालने वाले किसानों को स्पेशल प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता है। यह बिल अन्ना प्रथा पर आया है, इसलिए पशु गणना कराकर जो बेकार नस्ल वाले बछड़े हैं, उनको चिह्नित करके उनका बधियाकरण कराया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश और पूरे बुंदेलखंड के किसानों को अच्छी नस्ल के बछड़े मुफ्त में दिए जाने की आवश्यकता है। आपने जो बछिया पैदा करने वाला बनाया है, मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि वह 90 प्रतिशत बछिया पैदा करेगा। वह मुफ्त में किसानों को दिया जाना चाहिए, चूंकि 100 या 200 रुपये उसका रेट रखा गया है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करना चहता हूं कि बछिया पैदा करने के लिए मुफ्त में दिया जाना चाहिए। जीरो बजट खेती पर बल दिया जाना

चाहिए और जीरो बजट खेती पर किसानों को तैयारी करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए।... (व्यवधान) किसान को कम से कम 10 से 15 हजार रुपये जीरो बजट खेती पर दिया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : पटेल जी, अब आपका समय समाप्त हो चुका है।

... (व्यवधान)

श्री आर. के. सिंह पटेल : सभापति महोदया, एक कवि घाघ हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि - जेकरे खेत पड़ा नहीं गोबर, सो किसान को समझो दूबर। जिस किसान के खेत में गोबर नहीं पड़ता था, उस जमाने में वह किसान दूबर होता था। इसका मतलब वह फसल पैदा नहीं कर सकता था। घाघ कवि की कहावतों के आधार पर हमारे बुंदेलखंड में दलहन, तिहलन और मोटे अनाजों की पैदावार होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मोटे अनाजों और दहलन-तिलहन पैदा करने वाले किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।... (व्यवधान) बुंदेलखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, उसको केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिए। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है। वहां पर जो दलहन-तिलहन की फसले हैं, उनको उगाने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वह दलहन-तिलहन का हब है।

अतः आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : आदरणीय सभापति महोदया जी, आपका धन्यवाद। मैं आर. के. सिंह पटेल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज अपना वक्तव्य थोड़ा समेट लिया है। वास्तव में, मैं प्रारंभ में ही हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी का इसके लिए अभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का महत्वपूर्ण विषय, इसका प्रवर्तन इस लोक सभा के अंदर कराया है। उन्होंने बेशक अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, केन-बेतवा को जोड़ने के बताई है और अन्ना पशु के संबंध में चर्चा की है।

परंतु इस चर्चा के बहाने पानी की जो समस्या है, और आवारा पशुओं की जो समस्या है और जो आज बहुत सीमा तक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, उसके ऊपर चर्चा को उन्होंने प्रोत्साहित किया और हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में इस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अध्ययन के साथ, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं सदन को उपलब्ध कराई हैं। पानी का क्या महत्व है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद बुंदेलखण्ड ही है। हमारे उपनिषदों में तो कहा ही गया है कि जलम् वई जीवनम्। विज्ञान भी मानता है कि कहीं किसी गृह पर, उपग्रह पर कोई जल है तो समझ लीजिए कि जीवन जरूर होगा। यानी जो सभ्यता की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से, विरासत की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था, अत्यंत संपन्न क्षेत्र था, पानी की अपउपलब्धता के कारण से वहां क्या स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमको ध्यान में आता है कि पानी का वास्तव में हमारे जीवन के लिए कितना महत्व है, जो सामान्यत: आज भी जहां पानी उपलब्ध है, वहां बहुत से लोग जाग्रत नहीं हैं। अब मैं तो मेरठ से आता हूँ। मेरठ गंगा-यमुना का दोआबा है। वहां पर पानी की कठिनाई को कोई सोच भी नहीं सकता था। परंतु आज वहां भी पानी की कठिनाई है। मेरठ जिले के 13 में से सात ब्लॉक डार्क जोन बन चुके हैं। यह पानी के संकट की स्थिति है। मैं पुष्पेन्द्र जी का इसीलिए अभिनन्दन करता हूँ कि इस समस्या को उन्होंने इस स्तर के ऊपर उठाने में मदद की है। हमारी सरकार बहुत जाग्रत है, जागरूक है। नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक समग्र दृष्टि के साथ सभी समस्यों का ध्यान रख के देश के अंदर योजनाओं को चला रहे हैं। पहली बार एक कैबिनेट मंत्री के साथ जल-शक्ति मंत्रालय का सृजन हुआ है। इसीलिए हुआ है कि जल से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनको समग्र रूप में देख कर उनका हल करने का प्रयास करें। जो विषय हमारे माननीय सांसद ने केन-बेतवा

का या नदियों को जोड़ने का, मैं भी यह मानता हूँ, अभी हमारे अन्य कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि नदियों को जोड़ने से कुलमिला कर के पानी का संकट तो संभवत: खत्म नहीं होगा। यह जरूर है कि उससे सिंचित क्षेत्र का विस्तार होगा। यदि नदियां जुड़ जाएंगी, कुछ बीच में नहर जैसी चीज़ें हमें निर्माण करनी पड़ेंगी, तो उसके कारण से पानी की उपलब्धता ऐसे क्षेत्रों को हो जाएगी, जहां अभी तक वह नहीं थी। मैं फिर से यदि मेरठ का उदाहरण दूं तो हमारे यहां गंगा से इतनी नहरें निकली हुई हैं, उसकी जो उप-नहरें निकली हुई हैं कि संपूर्ण क्षेत्र सामान्यत: नहर के या गंगा जी के पानी से सिंचित होता है। भूगर्भ जल का भी अब तो प्रयोग होने लग गया है, लेकिन मूलत: इन नहरों की वजह से सिंचित क्षेत्र का विस्तार हुआ है। वह उद्देश्य जरूर पूरा होगा, परंतु पानी का कुल जो संकट है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पृथ्वी की पानी को धारण करने की जो क्षमता धीरे-धीरे खत्म होनी चली जा रही है, उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा।

माननीय, मुझे ध्यान है कि सत्तर के दशक में मैं गांवों के अंदर जाता था। मेरी पृष्ठभूमि, मैं संघ का बहुत समय तक प्रचारक के रूप में कार्यकर्ता रहा हूँ तो गांवों में जाता था तो कहीं पर भी बरसात के दिनों में खास तौर से कुंओं में एक डेढ़ हाथ लंबी रस्सी आप ले लीजिए और पानी निकाल लीजिए। परंतु अब यह संभव नहीं है। अब सारे कुंए सूखते चले जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि क्रमश: पानी को धारण करने की जो क्षमता है, वह हमारे क्षेत्र के अंदर पूरी की पूरी तरह से खत्म हो गई है। कुएं सूख गए हैं। जो तालाब हैं, वे गाद से भर गए हैं, गंदगी से भर गए हैं। आज स्थिति यह है कि प्रत्येक गांव के अंदर तालाब एक प्रकार से कूड़ा घर बन गया है। उसकी कभी सफाई नहीं होती है। उसकी वजह से पानी थोड़ी बरसात होने के बाद भी सारे गांव के अंदर पानी भर जाता है। हम अगर शहरों के अंदर भी देखें तो धारण क्षमता का आभाव इतन हो गया है, अब पानी के बरसने की मात्रा घट रही है, लेकिन पानी की वजह से थोड़ी बरसात होने के बावजूद भी दिल्ली में क्या हाल होता है, मुंबई में क्या हाल होता है, कोलकाता में क्या हाल होता है। ये तो बड़े नगर हैं। मेरठ में या प्रयाग में या झांसी में, छोटे-छोटे स्थानों पर भी वॉटर लॉगिंग हो जाता है, क्योंकि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, उसको रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह जो संकट है, मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ बहुत बारीकी से देखने की

जरूरत है। कई बार जैसे अभी हमारे अनुराग जी इस बात को कह रहे थे कि इसका जो आईआरआर है, वह 10 प्लस है। मुझे लगता है कि इस बात की तरफ भी देखे जाने की जरूरत है कि पानी अनियंत्रित हो कर जब भरता है, सड़कों पर बहता है, उसके कारण से कितना नुकसान होता है। इसका आंकलन किया जाना चाहिए। यद्यपि हो सकता है कि यह हो सकता है कि सीधे माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में न आता हो, परंतु सरकार के क्षेत्र में तो सारे विषय आते हैं।

इतनी सड़कें टूटती हैं, प्रत्येक वर्ष उन पर कितना रुपया खर्च करना पड़ता है। यदि हम पानी की व्यवस्था कर लें तो शायद आर्थिक दृष्टि से, जहाँ हमको सिंचित क्षेत्र मिल जाएगा, पेयजल के लिए हमको जो व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, उससे हम थोड़ा बहुत बचेंगे। लेकिन जो नुकसान होता है, उससे भी हमको कुछ निजात मिल सकती है। इसलिए भी आकलन किया जाना चाहिए। वास्तव में यह बहुत महत्वपूर्ण बात है।

सांसद आदर्श ग्राम का विषय निकला। मुझे ध्यान है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी ने उसके विषय में बताया और उसकी लॉन्चिंग की गई, उन्होंने एक बात कही कि हम एक गाँव लें और वहाँ देखें कि सरकारी योजनाएँ किस प्रकार से काम करती हैं। हम सीधे काम करेंगे तो हमें कुछ अनुभव मिलेंगे और उन अनुभवों के आधार पर हमारी काम कराने की क्षमता भी बढ़ेगी। हमारी जानकारी बढ़ेगी, उन्होंने एक ऐसा विषय रखा था। हम लोगों ने गाँव लिए, हम जो कुछ भी कर सकते थे, हमने किया। अपनी निधि से भी कुछ काम करवाए, सरकारी योजनाओं से भी कुछ काम करवाए। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या गाँव के अंदर ध्यान में आई, जिसका हमारे पास हल नहीं था, जिसके कारण से मैं यह भी कह सकता हूँ कि कुछ अपयश भी मिलता था, गाँव के जो तालाब हैं, उनकी हम ठीक प्रकार से सफाई नहीं करवा पाए। कोई व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा के अंतर्गत करें या कुछ पाँच, दस, बीस लोगों को इकट्ठा करके भी करें, कुछ तालाब बड़े भी हैं, उन पर कब्जे भी हुए हैं, लेकिन तालाब कुछ बड़े भी हैं, उनमें आप बिना मशीन के उनकी सफाई कर ही नहीं सकते। यह स्थिति है। मैं इस चर्चा के माध्यम से इस बात का अनुरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तालाबों की सफाई प्राथमिकता पर है। मुझे ध्यान है, पिछले कार्यकाल के अंदर भी मेरे जिले के अंदर 100 तालाब चिह्नित किए गए थे कि इनकी

सफाई की जाएगी। लेकिन किसी कारण से कुछ हो नहीं पाया। तालाबों की सफाई को मिशन मोड में लेकर, केवल मनरेगा पर सीमित रखने से काम नहीं चलेगा, मिशन मोड में लेकर उनको मशीनों से भी साफ करा कर, यदि तालाब हम गहरे कराएँगे, साफ कराएँगे तो पानी की धारण क्षमता भी बढ़ जाएगी। हम लोग उससे स्थाई समाधान की ओर बढ़ेंगे।

वृक्षारोपण का विषय बड़ा पुराना है, मैं उस पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं समझता। कुल मिलाकर मैं यह मानता हूँ कि नदी को जोड़ना, उससे सिंचित क्षेत्र का तो विस्तार होगा परन्तु धरती की पानी को रोकने की क्षमता है, जब तक वह नहीं बढ़ेगी तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी।

जो अन्ना पशुओं की बात है, यहाँ कारण दूसरा होगा, किसी अन्य क्षेत्र में कारण दूसरा होगा, लेकिन आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले चुनाव के अंदर इसके ऊपर थोड़ा बहुत मुद्दा भी बना। किसानों को तकलीफ थी, हम पर उनको भरोसा था, उनको यह लगता था कि हम इस समस्या का हल करने के लिए गम्भीरता के साथ प्रयासरत है। उन्होंने हम पर विश्वास किया। चुनाव का जो परिणाम आया, वह सब को पता ही है। लेकिन मैं यह समझता हूँ कि यह चुनौती भी है, यह एक समस्या है, यह एक बड़े समाधान की तरफ भी लेकर जाती है। आज स्थिति यह है कि हम ज़ीरो बजट खेती की बात करते हैं, उसका आधार मुख्य रूप से हम जैविक खेती की तरफ जाएँगे, तभी ज़ीरो बजट खेती का कान्सेप्ट उसके अंदर आता है। ज़ीरो बजट खेती होगी या कम बजट की खेती होगी, उसके अंदर हम जैविक की तरफ जाएँगे तभी वह हो सकता है। आज इसके इतने पहलू हैं, जो रासायनिक खाद प्रयोग करने की वजह से, पेस्टिसाइड्स प्रयोग करने की वजह से जहाँ धरती बीमार हुई है, पानी अशुद्ध हुआ है, पानी प्रदूषित हुआ है यानी हमारे सामने ये समस्याएँ हैं। धरती की जो उर्वरक क्षमता है, उसको नुकसान हुआ है। यदि समग्र दृष्टि से सोचें और इस सरकार की विशेषता है कि यह सरकार किसी भी समस्या पर आइसोलेटेड ढंग से विचार नहीं करती, उसके सारे पहलुओं पर विचार करती है। यदि हम गोबर का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ाते चले जाएं, यूरिया का या कृत्रिम रासायनिक खादों का प्रयोग धीरे-धीरे कम करते चले जाएं तो जहाँ एक ओर धरती की उर्वरक क्षमता सुधरेगी, जहाँ पानी शुद्ध बना रहेगा, जहाँ पर

भोजन के अंदर जो तत्व हैं, वे अच्छे हो जाएँगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग बचपन में कहा करते थे कि सेब को बगैर छीले खाना चाहिए। छील कर नहीं खाना चाहिए। यदि कोई छील देता था, आपने भी ये बातें सुनी होंगी, मैं उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ, ये बातें सब को ध्यान होंगी कि सेब के बारे में कहा जाता था कि छिलका छील दिया तो वे कहते थे कि तुमने तो विटामिन निकाल दिए, ऐसा वे मज़ाक करते थे और बात मानी जाती थी कि सेब को छिलके सहित खाना चाहिए। हम बड़ी प्रसिद्ध कहावत सुना करते थे- [अनुवाद] प्रतिदिन एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।[हिन्दी] लेकिन आज स्थिति यह है कि यदि एक सेब छिलके के साथ खा लिया जाए, रोज़ खा लिया जाए तो महीने भर के अंदर उसको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना पड़ेगा। उसको कोई भी रोग या बीमारी हो सकती है। इसकी लगभग गारंटी उसके हो जाती है। जो खाद्य सामग्री है, वह प्रदूषित हो रही है। जल है, वह प्रदूषित हो रहा है, धरती है, वह प्रदूषित हो रही है और इसलिए ये जो हमारे पशु हैं, जैसा कि अभी योगी जी की सरकार का जिक्र हमारे आर.के. सिंह पटेल साहब कर रहे थे कि इनके लिए चारागाह बनाए जाए।

<u>अपराह्न 05.55 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए)*

इनके लिए ऐसे स्थान सुनिश्चित किए जाएं, जहाँ पर ये पाले जाएं। जैसे हम लोग रासायनिक खाद के ऊपर सब्सिडी देते हैं, सरकार इसको भी सब्सिडाइज करे, वहाँ पर उस प्रकार की खाद बनाई जाए, वहाँ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण हो और उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भी हो सकता है। कुल मिलाकर यदि समग्र रूप से हम इसका विचार करेंगे, तो हमारी धरती भी अच्छी हो जाएगी, पशुओं की भी चिंता का हल निकलेगा, खाद का निर्माण भी हो जाएगा, हम केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग को भी कम कर सकेंगे और हमारी खाद्य सामग्री भी ठीक हो पाएगी। यदि हम इस चुनौती का उपयोग अवसर के रूप में करें, तो मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग होगा। मैं इस चर्चा को शुरू करने के लिए एक बार पुन: चंदेल जी को धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश की है कि बहुत कम समय में अपनी बात पूरी कर सकूँ।... (व्यवधान) अभी एक वक्ता और हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : आप चाहें तो मैं सभा की कार्यवाही 2-3 घंटे तक बढ़ा सकता हूँ।

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): महोदय, जितने मंत्री यहाँ बैठे हैं, उतने तो सांसद भी यहाँ नहीं हैं।

श्री नायब सिंह सैनी (कुरूक्षेत्र): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मुझे एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश का एक बहुत ही अहम विषय, सबसे पहले उन्होंने 2014 से 2019 तक स्वच्छता अभियान के द्वारा देश को जागरूक करने का काम किया और उसके बाद उन्होंने हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना का आगाज किया था। वह भी एक महत्वपूर्ण विषय था और देश की जनता के दिलों को छूने वाला विषय था। उससे देश जागरूक हुआ।

अब आदरणीय प्रधान मंत्री जी द्वारा अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाकर इस विषय में देश को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इससे आने वाले समय के अंदर, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से स्वच्छता के अभियान के अंदर पूरा देश जुटा, जागरूक हुआ, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर देश जागरूक हुआ, उसी प्रकार से इस जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से भी देश जागरूक होगा। देश के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाले समय के अंदर जल के संबंध में आने वाली है। इसकी चिंता आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने देश के समक्ष रखी और जल शक्ति मंत्रालय बना कर लोगों को जागरूक करने और इस समस्या का समाधान करने का कार्य कर रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। अभी पिछले वर्ष हमारे यहां पर सरस्वती नदी का प्रवाह, जो विलुप्त हो चुकी थी, परन्तु नासा की रिपोर्ट के अंदर भी उस सरस्वती नदी का प्रवाह नीचे दिखाया गया था। उसके ऊपर काम भी चला और जब आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी हरियाणा के अंदर सरकार बनी, तो अलग से उसका एक बोर्ड भी बनाया गया - सरस्वती हैरिटेज बोर्ड। वह बोर्ड बनाकर के उस सरस्वती नदी के ऊपर काम चालू किया गया। आदरणीय नितिन गडकरी जी परिवहन मंत्री थे, आदि बद्री जहां सरस्वती नदी का उदगम स्थल है, वे वहां आए थे और वहां पर एक बांध की उन्होंने घोषणा की थी। यहाँ पर यह बांध बनेगा और सरस्वती के ऊपर जो काम लग रहा है, यह नदी

हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के बीच से यह नदी निकलती है, उसके अंदर 12 महीने पानी उस बांध के माध्यम से मिलेगा।

सायं 06.00 बजे

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर उस काम को थोड़ा जल्दी करके तेजी से काम चालू किया जाएगा तो वह नदी प्रवाह में आ जाएगी। इससे हरियाणा के किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना भाषण अगली बार जारी रखेंगे।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

सायं 06.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 22 जुलाई, 2019 / 31 आषाढ़, 1941 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2019 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित